वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

2012

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	मंत्रालय : एक परिचय	1-4
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन	9-11
3	वर्ष 2012-2013 की विशेषताएं	12-16
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	17-19
5	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	20-22
6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	26-40
7	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम	104-112
8	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	116-123
9	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	126-137
10	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	142-145
11	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	146-155
12	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम	182-185
13	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	191-196
14	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	197-198
15	जेंडर संबंधी मामले	201-204
16	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	207-208
17	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	209-214
18	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	218
19	विभागीय लेखा संगठन	221-224
20	नागरिक/ग्राहक चार्टर	225-235

अनुलग्नक

1क	जनजातीय कार्य मंत्रालय संगठनात्मक संरचना	5
1ख	वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (31-12-2012 तक) के लिए बजट आबंटन/ संशोधित आबंटन तथा व्यय	6-8
5-क	वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की स्थिति	23
5-ख	समग्र बजट अनुमान विवरण के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालय-वार परिव्यय (कुल जीबीएस) तथा जनजातिय उपयोजना परिव्यय	24-25
6क :	जनसांख्यिकी : जनगणना 2001	41
6ख :	शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)	42
6ग :	कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001	43
6घ :	बैंक खाताधारी तथा कुछ सचल परिसंपत्तियों वाले अनुसूची जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता अनुसूची जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की एक तुलनात्मक तस्वीर	44
6ड. :	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत	45
6च :	ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके आवास परिसरों में शौचालय तथा स्नान घर की सुविधाएं हैं	46
6छ :	परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके जनगणना मकान की स्थिति	47
6ज :	आवास के बाहर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	48
6झ :	आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	49
6ञ :	पेय जल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति द्वारा परिवार	50
6ट :	पेय जल के मुख्य स्रोत द्वारा परिवार	51
6ठ :	वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराध की घटना तथा दर	52
6ड :	वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अखिल भारत (पी) की तुलना में किए गए अपराध की घटना (आई) तथा दर (आर)	53
6ढ :	राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	54
6ण :	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची	55-68
6त :	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	69-101
6थ :	अनुसुचित क्षेत्रों के प्रसाशन पर राज्यपाल की रिपोर्टो की स्थिति	102
6द :	वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 से राज्यों द्वारा आयोजिक की गई जनजातीय परमर्शदात्री परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण	103

7क :	अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे	113
7ख :	वर्ष 2002-03 से वर्ष 2012-13 तक के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता की निर्मुक्ति	114
7ग :	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां	115
8 :	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की पुन: संरचना की है जो वर्ष 2012-13 के दौरान लाभार्थियों की कवरेज हेतु लक्षित है	124-125
9क :	अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	138
9ख :	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक की उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां	139
9ग :	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधिया	140
9घ :	प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां	141
9ङ :	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त	141
10 :	'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा	145
11क:	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	156-171
11ख :	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निर्मुक्त किये गये अनुदान	172-174
11ग :	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निधि पोषित संघ संगठनों की राज्य-वार सूची	175-179
11घ :	जनजातिया क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान वित्तपोषितगैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	180-181
12क :	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार नाम	186-187

12ख :	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी टी जी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31-12-2012 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	188-190
14क :	वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां	198
14ख :	वर्ष 2012-13 (31-12-2012 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	199-200
15 :	वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	205-206
17 :	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति (31.12.2012 तक)	215-217
18क :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	219
18ख :	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	220
19 :	जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कृत कार्रवाई (एटीएन) टिप्पण की स्थिति	224

अध्याय 1

मंत्रालय : एक परिचय

अधिदेश

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:–

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. कल्याण मंत्रालय : सितंबर, 1985 से मई, 1998 तक।
3. मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है। इनमें ये शामिल हैं –

1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।

2) जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।

3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।

4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

5) अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5 क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। इन समुदायों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास की योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि और साथ ही इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

6) (क) अनुसूचित क्षेत्र;
(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम;

7) (क) आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देना; तथा
(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

8) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955

का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989(1989 का 33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।

भूमिका

1.2 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारी अंतराल को पाटने के लिए आशयित होते हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों की संपूर्ति करता है। इनमें आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री श्री वी. किशोर चन्द्र देव के समग्र निर्देश में कार्य कर रहा है। श्रीमती रानी नराह राज्य मंत्री के रूप में उनकी सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय के मुखिया सचिव हैं तथा उनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उप महानिदेशक (सांख्यिकी) तथा एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है। संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सभी वित्तीय मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक लेखों से संबंधित मामलों को नियंत्रित कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 135 कर्मचारियों (पीएओ के 5 पदों सहित) की स्वीकृत संख्या है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 103 है। समूह "क" के 41 पद, समूह "ख" के 58 पद, समूह "ग" के 36 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1-क** में दिया गया है।

प्रशासन

1.4 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वे मामले जिनमें मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत होती है, उन्हें मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय के संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग, विभिन्न सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे अनुसंधान और मीडिया (आर एंड एम), योजना और विविध (पी एंड एम), सांख्यिकी तथा सहकारी विपणन एवं विनियमन प्रभाग भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित है। माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

कंप्यूटर केन्द्र (एनआईसी)

1.6 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। एनआईसी 'लैन' तथा 'वैन' के कार्यकरण का रख रखाव कर रहा है। साइबर आक्रमण की रोकथाम करने के लिए विंडोज, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और पैच मैनेजमेंट का ऑन-लाइन अपग्रेडेशन करेन के लिए शास्त्री भवन में पृथक एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर कार्यरत है।

1.7 वर्ष 2012-13 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु बजट आबंटन 4090.00 करोड़ रुपए तथा संशोधित अनुमान (आरई) 3100.00 करोड़ रुपए था। वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई कुल निमुर्क्तियां 2533.84 करोड़ रुपए हैं जो संशोधित अनुमानों का 81.73 प्रतिशत है।

1.8 वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय **अनुलग्नक 1-ख** में दिए गए हैं।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.9 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय इसके अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की भी निगरानी करता है। अधिकतर अधि कारी तथा कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं या उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.10 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, 2012-13 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टे द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

हिन्दी पखवाड़ा

1.11 मंत्रालय में दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2012 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी में टिप्पण लेखन, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण और श्रुतलेख जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यकलाप

1.12 मंत्रालय में सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता संबंधी कार्य भी देखते हैं। मंत्रालय में निदेशक (सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं। जनता की जानकारी के लिए कार्यालय परिसर में मानक सूचना पटल लगाए गए हैं।

1.13 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2012 से 03.11.2012 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया । दिनांक 29.10.2012 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शास्त्री भवन में तथा उपमहानिदेशक (डीडीजी) ने कर्मचारियों को अगस्त क्रांति भवन में शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.14 मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। उनके विवरण जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करते हैं और कभी-कभी उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित करते हैं ताकि उनकी समस्याएं और शिकायतें सुन सकें। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑन लाईन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है तथा डीएआरपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से तथा सीधे ही ऑन लाईन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान ऑन-लाइन किया जा रहा है।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2013

1.15 वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, इस वर्ष भी मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2013 में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक महिला और एक पुरुष को आमंत्रित किया।

1.16 गणतंत्र दिवस समारोह 2013 में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 46 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2013, 28 जनवरी, 2013 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली तथा 29 जनवरी, 2013 को बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखा। जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से भी मिले तथा दिनांक 24 जनवरी, 2013 को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी उपस्थित हुए। वे रक्षा मंत्री से भी मिले। जनजातीय अतिथियों ने दिनांक 30.01.2013 को राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री/जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने जनजातीय अतिथियों के सम्मान में रात्रि-भोज का आयोजन किया तथा उन्हें उपहार प्रदान किए गए। प्रधाान मंत्री और रक्षा मंत्री की ओर से भी उन्हें उपहार संवितरित किए गए।

1.17 मेहमानों को दिल्ली और उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों पर ले जाया गया।

संसदीय स्थायी समिति

1.18 श्री दारा सिंह चौहान की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति (2010-11) ने वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में 09.04.2012 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए। स्थायी समिति ने की गई कार्रवाई अर्थात 25वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) से संबंधित अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.05.2012 को संसद में प्रस्तुत की।

1.19 जनजातीय कार्य मंत्रलय से संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति (2012-13) (पंद्रहवीं लोक सभा) ने दिनांक 19.12.2012 को जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगें 2012-13 पर पच्चीसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिश/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी तेरहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे उसी दिन राज्य सभा में रख दिया गया था।

1.20 परामर्शदात्री समिति की बैठक

वर्ष के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी:-

1.	21.05.2012	ट्राइफेड के लिए विपणन विकास रणनीति।
2.	13.08.2012	जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान का अनुच्छेद 275(1)।
3.	07.12.2012	(क) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, तथा (ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय योजना।

1.21 जनजातीय कार्य मंत्रालय का नागरिक/क्लाइंट चार्टर 2012-13 इस रिपोर्ट के अध्याय-20 में दर्शाया गया है। ❑

अनुलग्नक-1क

जनजाति कार्य मंत्रालय: संगठनात्मक संरचना

एसजी	:	राज्य अनुदान
प्रशा.	:	प्रशासन
सं.सम.स.	:	संसद, समन्वय एवं सतर्कता
सीपीएंडआर	:	सहकारी विपणन एवं विनियमन
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
शि.	:	शिक्षा
सीएंडएलएम	:	संवैधानिक एवं विधायी मामले
वि.	:	वित्त
सा.	:	सामान्य
स्था.	:	स्थापना
रा.भा.	:	राजभाषा

सं.स. एवं वि.स.	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
मु.स.अ.	:	मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे.	:	उप महा निदेशक
मु.ले.नि.	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
निदे.	:	निदेशक
उ.स.	:	उप सचिव
सं.निदे.	:	संयुक्त निदेशक
ले.नि.	:	लेखा नियंत्रक
अ.स.	:	अवर सचिव
उ. निदे.	:	उप निदेशक
अनु.अधि.	:	अनुभाग अधिकारी

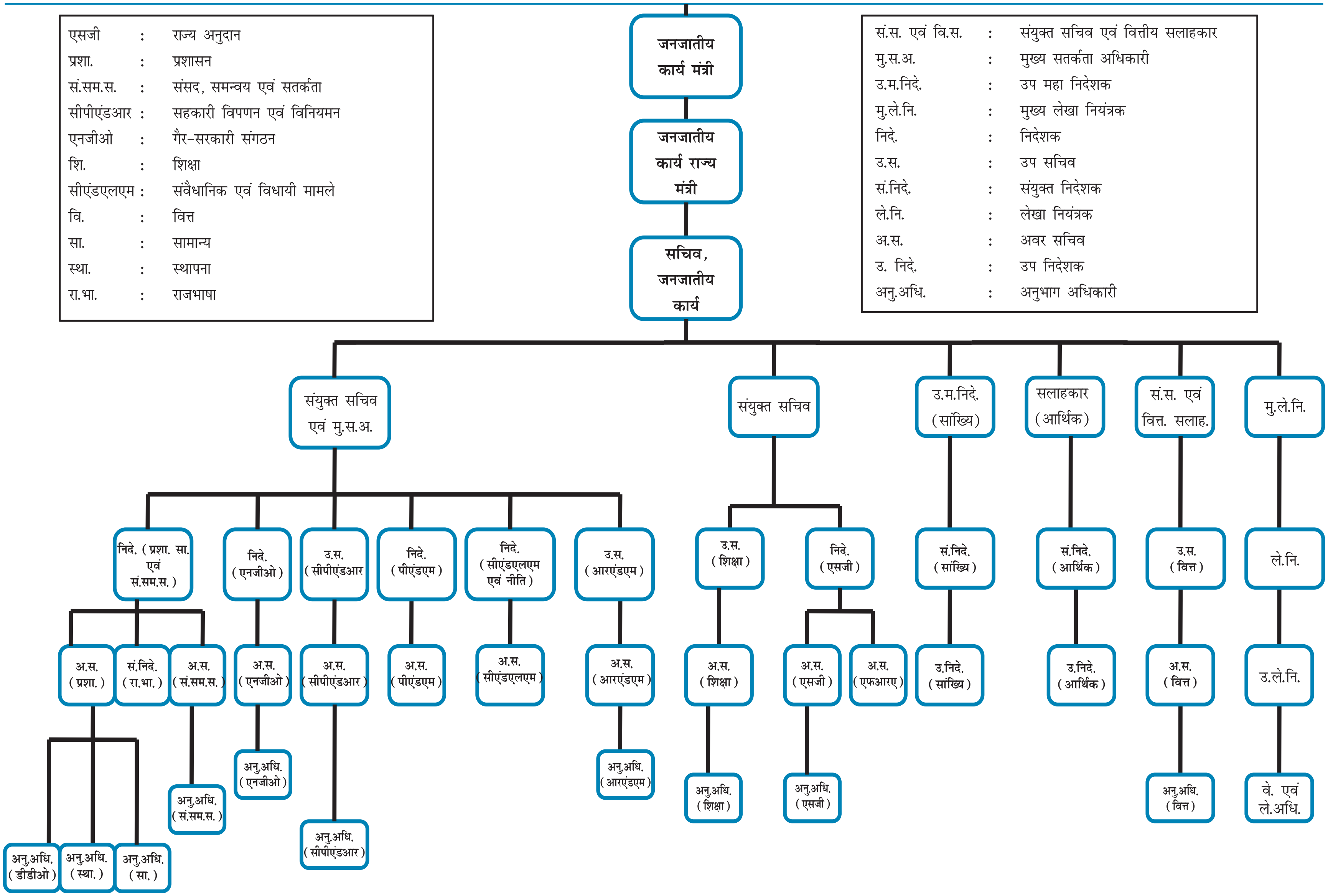

अनुलग्नक-1ख

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (31-12-2012 तक) के लिए बजट आबंटन/संशोधित आबंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	*व्यय
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**										
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	36.99	39.00	52.6092	39.50	39.50	53.4822	39.50	23.25	10.21
2225	अनुकरणीय कार्य निष्पादित करने वाले एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन		0.01	0.50							
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना		4.50	4.50	1.5274	4.50	4.50	2.4993	4.50	0.50	0.14
	2225 का कुल		**41.50**	**44.00**	**54.1366**	**44.00**	**44.00**	**55.9815**	**44.00**	**23.75**	**10.35**
3601	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225, 3601, 3602 का कुल		**42.00**	**44.00**	**54.1366**	**44.00**	**44.00**	**55.9815**	**44.00**	**23.75**	**10.35**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.00	2.90	0.8794	3.00	3.00	1.7956	3.00	2.22	1.23
3601			5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	1.65	0.00
	कुल		**8.00**	**7.90**	**6.8794**	**8.00**	**8.00**	**7.7956**	**8.00**	**3.87**	**1.23**
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षराता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	39.70	37.5602	40.00	40.00	31.2350	40.00	14.61	1.41
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का विपणन विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का विपणन विकास	12.00	14.53	14.53	22.00	22.00	22.00	22.00	47.24	22.00
3601	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	13.00	11.56
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	6.00	5.80	5.2085	5.80	5.80	5.6031	5.80	1.50	0.55
3601			175.00	234.40	227.2388	234.20	234.20	225.6999	234.20	173.00	161.6439
	कुल		**181.00**	**240.20**	**232.4473**	**240.00**	**240.00**	**231.3030**	**240.00**	**174.50**	**162.1939**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास नगम को समर्थन	70.00	70.00	69.99	70.00	70.00	70.00	70.00	68.10	45.00
4225	राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम										
	कुल		**70.00**	**70.00**	**69.99**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**68.10**	**45.00**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	72.00	60.69	60.6822	62.00	84.93	84.93	90.00	45.00	45.00
2225	उत्कृष्टता संस्थान उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	उत्कृष्टता संस्थान उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	2.50	5.00	4.9952	5.00	7.00	6.9693	13.00	10.11	5.82
2225	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	1.00	0.50	0.3021	1.00	1.00	0.7831	1.00	1.00	0.87
	'क' का जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)		**443.50**	**497.52**	**496.52**	**512.00**	**536.93**	**531.00**	**548.00**	**401.18**	**305.4339**

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	*व्यय
ख	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं										
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति / पुस्तक बैंक	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा उनकी प्रतीभा के उन्नयन की योजना	0.10	0.10	0.10	0.10	0.28	0.10	0.10	0.10	0.07
	2225 का कुल		**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.28**	**0.1000**	**0.10**	**0.10**	**0.07**
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति / पुस्तक बैंक		467.93	467.93	555.9300	571.40	715.40	865.40	628.10	628.10	483.36
3601	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन		2.00	1.50	0.7238	1.50	2.10	1.9706	1.50	0.64	0.14
	3601 का कुल		**469.93**	**469.43**	**556.6538**	**572.90**	**717.50**	**867.3706**	**629.60**	**628.74**	**483.50**
	2225 तथा 3601 का कुल		**470.03**	**469.53**	**556.7538**	**573.00**	**717.78**	**867.4706**	**629.70**	**628.84**	**483.57**
2225	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.33	0.00
3601			0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	80.00	106.40	80.00
	कुल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**45.00**	**0.00**	**81.00**	**106.73**	**80.00**
2225	लड़कियों के छात्रावास	अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2225	लड़कों के छात्रावास										
	2225 का कुल		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3601	लड़कियों के छात्रावास		63.00	63.00	73.00	63.00	63.00	73.00	63.00	63.00	54.8907
3601	लड़कों के छात्रावास										
	3601 का कुल		**63.00**	**63.00**	**73.00**	**63.00**	**63.00**	**73.00**	**63.00**	**63.00**	**54.8907**
	2225 तथा 3601 का कुल		**68.00**	**68.00**	**78.00**	**68.00**	**68.00**	**78.00**	**68.00**	**68.00**	**59.8907**
2225	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601			75.00	65.00	65.00	75.00	75.00	75.00	75.00	61.00	36.2759
	कुल		**75.00**	**65.00**	**65.00**	**75.00**	**75.00**	**75.00**	**75.00**	**61.00**	**36.2759**
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार व अन्य	0.60	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
2225	सूचना एवं मास मीडिया		3.00	3.00	1.63	3.00	3.00	2.7039	3.00	1.99	1.00
2225	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार		0.17	0.29	0.25	0.14	0.45	0.4440	0.50	0.46	0.29
2225	उत्कृष्टता केन्द्र		1.00	0.65		0.65	0.56		0.56		
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजनाएं		1.00	0.40	1.8373	0.40	0.20	2.1575	0.30	1.86	0.90
2225	जनजातीय त्योहारों का आयोजन		1.75	1.75		1.50	1.73		1.60		
2225	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान		0.45	0.20		0.71	0.38		0.44		
	2225 का कुल		**7.97**	**6.29**	**3.7150**	**6.50**	**6.32**	**5.3054**	**6.50**	**4.31**	**2.1900**

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उपयोजनाएं	योजना	2010-11			2011-12			2012-13		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	*व्यय
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		12.00	5.00	4.0621	4.00	3.00	3.6652	4.00	3.25	0.59
	2225 तथा 3601 का कुल		**19.97**	**11.29**	**7.7771**	**10.50**	**9.32**	**8.9706**	**10.50**	**7.56**	**2.7800**
2225	निगरानी एवं मूल्यांकन	निगरानी एवं मूल्यांकन	2.00	1.70	0.3762	2.00	1.19	0.9799	2.00	1.35	0.68
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	1.50	0.4853	0.2272	1.40	0.40	0.2837	1.40	1.40	0.54
2225		एन.सी.एस.टी.	0.00	0.2147	0.2127	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00
		कुल	**1.50**	**0.70**	**0.4399**	**1.50**	**0.50**	**0.2837**	**1.50**	**1.50**	**0.54**
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं)		**636.50**	**616.22**	**708.3470**	**775.00**	**916.79**	**1030.7048**	**867.70**	**874.98**	**663.7366**
ग.	ग. एकमुश्त प्रावधान										
2552	पूर्वोत्तर के लिए एक-मुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर के लिए एक-मुश्त प्रावधान	120.00	120.00	0.00	143.00	143.00	0.00	157.30	151.30	0.00
	'ग.' का कुल		**120.00**	**120.00**	**0.00**	**143.00**	**143.00**	**0.00**	**157.30**	**151.30**	**0.00**
	क+ख+ग का कुल		**1200.00**	**1233.74**	**1204.87**	**1430.00**	**1596.72**	**1561.7023**	**1573.00**	**1427.46**	**969.1705**
घ.	विशेष केन्द्रीय सहायता										
3601	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		960.50	941.96	931.7277	1096.01	1015.01	977.3377	1200.00	852.54	811.29
3601	संविधान के अनुच्छेद 275 के परंतुक के अंतर्गत योजना		1046.00	1030.00	999.8841	1197.00	1111.28	1084.8348	1317.00	820.00	753.38
	घ. का कुल (विशेष केन्द्रीय सहायता)		**2006.50**	**1971.96**	**1931.61**	**2293.01**	**2126.29**	**2062.17**	**2517.00**	**1672.54**	**1564.67**
	क, ख, ग तथा घ का कुल		3206.50	3205.70	3136.4818	3723.01	3723.01	3623.8748	4090.00	3100.00	2533.8405

* अनंतिम

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप – सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने से संबंधित हैं। यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनुकूल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से, उनके प्रयासों, को पूरक बनाता है। आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.3 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, शैक्षिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है तथा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक अत्यधिक प्रभावी यंत्र है, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, उच्च श्रेणी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके वर्ष के दौरान प्रयास किए गए थे।

2.4 'अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है जिसके द्वारा माध्यमिक/उच्चत्तर स्तर की शिक्षा में ड्रॉप आउट दरों को घटाया जा सके। राज्यों के लिए 31 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए थे तथा 31.12.2012 तक योजना के तहत 59.89 करोड़ रु. का व्यय किया गया था। आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है। 31 दिसंबर, 2012 तक इस योजना के तहत वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न राज्यों में 13 नए आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु 36.27 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

2.5 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवकों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। इस योजना को 01.04.2009 से संशोधित किया गया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को मानदण्डों के अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2012 तक 2.65 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। संशोधित योजना के प्रावधान राज्य द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ एनजीओ द्वारा संचालित केन्द्रों पर समान रूप से लागू हैं।

2.6 वर्ष 2012-13 के दौरान, मंत्रालय ने 'कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना' नामक एक नई योजना जो 01-07-2012 से प्रभावी है, की शुरुआत करके जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का समर्थन करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तन और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम से कम किया जा सके तथा मैट्रिक-पूर्व चरण की कक्षा 9 - 10 कक्षाओं में अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर के चरणों में उन्हें बेहतर प्रगति करने का मौका मिल सके। इस योजना के तहत 31-12-2012 तक 80.00 करोड़ की राशि 7.12 लाख विद्यार्थियों के लिए खर्च की गई है।

2.7 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की फ्लेगशिप योजना को छात्रवृत्ति, उच्चतम आय सीमा की दर तथा विषयों के सामूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है। वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक योजना के तहत 483.43 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है और 18.62 लाख (प्रत्याशित) विद्यार्थीयों को कवर किया गया है।

2.8. मंत्रालय **"अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य"** योजना के तहत अनेक कार्यकलाप करता है जिनमें अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ विख्यात संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान और मूल्यांकन, सम्मेलन/कार्यशालाएं और प्रकाशन, फोटो प्रतियोगिताएं, जनजातीय त्यौहार, जनजातीय खेलकूद, जनजातियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान और राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर 17 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं। ये टीआरआई अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों का आयोजन, आंकड़ों का संग्रह, परंपरागत कानूनों को संहिताबद्ध करते हैं तथा प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, और इसके द्वारा राज्य सरकारों को योजना निविष्टियां प्रदान करते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के तहत 11.41 करोड़ रुपए (निगरानी एवं मूल्यांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित) की राशि निर्मुक्त की गई है।

2.9. वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक मंत्रालय ने **''अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान''** की योजना के तहत आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए लगभग 337190 अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 10.21 करोड़ रुपए का अनुदान देकर लगभग 135 परियोजनाओं को निधिपोषित किया है।

2.10. वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक मंत्रालय ने **''विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास''** के रूप में अभिज्ञात योजना के तहत 'पीटीजी के लिए संरक्षण-सह- विकास (सीसीडी) योजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय ने प्राथमिक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु 8 राज्यों को 162.19 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए।

2.11 मंत्रालय द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाले अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षों की तरह ही मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) योजना के तहत राज्यों को निधियाँ निर्मुक्त करना जारी रखा। वर्ष 2012-13 के लिए 1200.00 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान परिव्यय में से 31.12.2012 तक 811.29 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

2.12 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर धनराशि निर्मुक्त करने की योजना को वर्ष 2012-13 में जारी रखा गया। इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न राज्यों को 1317.00 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान में से 31.12.2012 तक 755.40 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

2.13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) नामक राष्ट्रीय स्तर के एक अन्य संगठन ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त प्रदान करने, सरलीकरण एवं निधियां जुटाने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, निगम ने आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 175 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में, 49174 लाभार्थियों के लिए 31.12.2012 तक 178.15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत 22912 महिलाओं के लिए 47.76 करोड़ रुपए, लघु ऋण योजना के तहत 6048 लाभार्थियों के लिए 13.54 करोड़ रुपए तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत 110 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 3.80 करोड़ रूपए की स्वीकृति शामिल है।

निगम ने 31.12.2012 तक विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 56.98 करोड़ रुपए भी निर्मुक्त किए हैं।

❑

अध्याय 3

वर्ष 2012-2013 की विशेषताएं

3.1 अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, कल्याण और विकास पर और अधिक ध्यान देने के लिए इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा नई पहलें और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी के लाभ के लिए विभिन्न हितधारियों की हिस्सेदारी में अभिज्ञात क्षेत्रों में कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी तथा समय पर पूरा करने के सतत प्रयास किये गये हैं।

3.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्देश्य ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है, को वनभूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें वन अधिकार सौंपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.2007 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008 को भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

3.2.1 इस अधिनियम और इसके तहत अधिसूचित किए गए नियमों के अनुसार इन अधिकारों को मान्यता देने तथा वन अधिकार प्रदान करने और भूमि अधिकारों के संवितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। इस अधिनियम को प्रचालित करने और नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11.1.2008 को समयबद्ध तरीके से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा था। इसके बाद, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में समय-सीमा के साथ-साथ कार्रवाई किए जाने वाले बिन्दुओं को भी अग्रेषित किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निदेश दिया गया था कि वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों तथा इस अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकरणों को इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि इस अधिनियम और नियमों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा उन्हें प्रकाशित कर प्रतियां पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय और समाज कल्याण तथा वन विभागों सहित सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों तथा सरकार के सभी विभागों को वितरण की व्यवस्था करने और अधिकारियों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों तथा राज्य के गैर-सरकारी संगठनों के प्रबोधन को सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें अधिनियम के कार्यान्वयन में तथा जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि में सहायता करने वाले व्यक्तियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया जा सके।

3.2.2 प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और योजना आयोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भेजी जा रही मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी राज्य सचिवों/जनजातीय कल्याण/विकास विभागों के आयुक्तों की समीक्षा बैठकें आयोजित करके इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहा है। दिनांक 18/19.02.2008, 16.05.2008, 27.06.2008, 11.11.2008, 4/05.11.2009, 07.04.2011, 26.7.2011 और 6/7.08.2012 को अब तक ऐसी 8 समीक्षा बैठकें हुई हैं। इसके अलावा पिछड़ने वाले राज्यों उदाहरण के लिए बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक तथा उत्तराखंड के साथ दिनांक

06.06.2012 को नई दिल्ली में एक विडियो कॉनफ्रेंस बैठक भी आयोजित की गई थी।

3.2.3 अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए उपायों के क्रम में, वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- यह अवलोकित किया गया था कि अधिनियम के कार्यान्वयन के चार वर्ष से भी अधिक गुजर जाने के पश्चात भी पात्र वन निवासियों के लिए इस कल्याणकारी अधिनियम के अभिप्रेत लाभों का प्रवाह अवरुद्ध) रहा था और यह कि कई समस्याएं अधिनियम के अक्षरश: कार्यान्वयन को बाधित कर रही थीं। इसके परिणामस्वरुप एफआरए के अधिनियम का उद्देश्य विरल हो रहा था और अधिनियम के उद्देश्य को उपलब्ध करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक थे।

- तदनुसार, अधिनियम के सशक्त कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए कुछ प्रावधाानों / कदमों को उठाने हेतु एक कवायद की गई है तथा उक्त कवायद के आधाार पर अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12.07.2012 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वृहद दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकारें लघु वन उत्पाद से संबंधित वन अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करें और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप राज्य नीतियां बनाएं, राज्यों में लघु वन उत्पाद के व्यापार में वन निगमों के एकाधिकार को समाप्त करें, न केवल वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को लघु वन उत्पाद पर अबाधित संपूर्ण अधिकार को हस्तांतरित करें अपितु संग्रहीत और उनके द्वारा तैयार किए गए लघु वन उत्पाद के लिए उन्हें उचित मूल्य भी दिलाएं।

- मंत्रलय ने विद्यमान एफआर नियमावली, 2008 में कुछ कमियां भी पाई थीं। उन कमियों पर काबू पाने और विद्यमान एफआर नियमावली, 2008 को सशक्त बनाने के लिए मंत्रलय ने दिनांक 06.09.2012 को भारत के राजपत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), नियमावली, 2012 को भी अधिसूचित किया है तथा दिनांक 07.09.2012 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को नियमों के संशोधन की प्रतियां नियमों के संशोधान के अनुसार प्राथमिकता के आधाार पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दी हैं।

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधान नियमावली, 2012 इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.09.2012 को अधिसूचित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए कस्बों या बस्तियों की पहचान तथा उनके समेकन की प्रक्रिया, (2) परिवहन के उपयुक्त साधनों के माध्यम से वन क्षेत्र के अंदर या बाहर लघु वन उत्पाद का निपटान, (3) लघु वन उत्पाद लाने ले जाने के संबंध में पारगमन परमिट के अधिकार क्षेत्र का संशोधान तथा ग्राम सभा द्वारा अधिकृत ग्राम सभा या व्यक्ति द्वारा गठित समिति के माध्यम से पारगमन परमिट जारी करना, (4) लघु वन उत्पाद के संग्रहण को सभी रॉयल्टी या शुल्कों या किसी अन्य प्रभारों से मुक्त बनाना, (5) वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन तथा इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी तथा क्षेत्र स्तरीय समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति की तिमाही बैठकें आयोजित करना, (6) व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की मान्यता इत्यादि का प्रावधाान है।

- एफआर नियमों में संशोधन को स्पष्ट करने और उन पर चर्चा करने तथा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारियों को दिशानिर्देशों और आगे राज्य स्तर पर अलग-अलग राज्यों के लिए परिणामी कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार करने सहित मंत्रालय ने पूरे देश में पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

- आयोजित की गई कार्यशालाएं काफी उपयोगी थीं और इनमें राज्यों द्वारा सामना किए गए एफआरए से संबंधित अवरोधों और कार्यान्वयन चुनौतियों को स्पष्ट किया। विधान को अक्षरश: कार्यान्वित करने में राज्य हेतु सरल बनाने के लिए कुछ जटिल प्रचालनात्मक मुद्दों को भी इन कार्यशालाओं में स्पष्ट किया गया था। सहभागी राज्यों

की प्रारुप कार्य योजनाओं पर भी इन कार्यशालाओं के दौरान चर्चा की गई थी।

- क्षेत्रीय कार्यशालाओं के दौर की समाप्ति के उपरांत माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 03 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में एफआरए पर सभी राज्यों के साथ राष्ट्रीय समीक्षा-सह-उन्मुखीकरण बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें इसे पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रबंधों और समय-सीमा के साथ वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा अंतिम कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं।

3.2.4. किए गए प्रयासों के परिणामस्वरुप 31.12.2012 तक 32.37 लाख से अधिक दावे दायर किए गए और 12.79 लाख अधिकार पत्र संवितरित कर दिए गए हैं। 14 हजार अधिकारपत्र संवितरण हेतु तैयार थे। कुल 27,91,330 दावे निपटा दिए गए हैं, जो कुल प्राप्त दावों का 86.21% है। 14 राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार वन भूमि की सीमा, जिसके तहत 12,70,404 अधिकार पत्र संवितरित किए गए हैं, 18,78,358.39 हैक्टेयर (46,41,479.94 एकड़) है।

3.3 मंत्रालय पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष के दौरान प्रभावी जनजातीय उपयोजना संघटक (केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों में और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में) को अलग बजट शीर्ष में रखने की और जनजातियों के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक केन्द्रीयकृत तथा एकीकृत रूप से समर्थ बनाने के लिए सक्रिय रूप से वकालत करता रहा है ताकि संसाधनों के बिखराव से बचा जा सके। ऐसे राज्यों, जो अपनी जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय उप-योजना के लिए निधियां अभिनिर्धारित नहीं कर रहे हैं, को भी मंत्रालय की चिंता से अवगत करा दिया गया है। 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान टीएसपी के लिए योजना परिव्यय को अलग-अलग चिह्नित करने हेतु संशोधित दिशानिर्देशों का अनुवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। मंत्रालय ने दिनांक 29.01.2013, 06.02.2013, 14.02.2013 तथा 11.03.2013 को क्रमशः रांची, रायपुर, गांधीनगर तथा अगरतला में राज्यों द्वारा टीएसपी के निरूपण तथा प्रभावी कार्यान्वयन पर 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं।

3.4 मंत्रालय ने कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत की है जो 01.07.2012 से प्रभावी है। इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व की कक्षा 9 तथा 10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार करना है ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और उन्हें शिक्षा के मैट्रिककोत्तर स्तर में प्रगति करने का बेहतर अवसर प्राप्त हो।

3.5 संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड 6 के संबंध में वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 की एनसीएसटी की पहली रिपोर्ट मानसून सत्र, 2012 के दौरान केन्द्र से संबंधित सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रख दी गई है।

3.6 जन साधारण की सुविधा के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर वर्ष 1950 से 2012 तक अनुसूचित जनजातियों के समुदायों/जातियों के बारे में सभी अधिसूचनाएं अपलोड की गई हैं।

3.7 अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने, जब भी मंत्रालय को आवश्यक हुई है, दिशा-निर्देश एवं प्रभावी नेतृत्व प्रदान किए हैं। एनसीएसटी ने अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अलग-अलग मंत्रालयों के विभिन्न प्रस्तावों पर सुझाव तथा टिप्पणियां प्रदान की हैं।

आयोग ने वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न पहलुओं पर ''जनजातियों के विकास एवं प्रशासन के लिए अच्छा अभिशासन'' नामक एक विस्तृत विशेष रिपोर्ट दी है।

3.8 मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों से जनजातीय परामर्शदायी परिषद (टीएसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए निरन्तर संपर्क बनाये हुए है।

3.9 मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करने के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में

एक समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें योजना आयोग के अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता, पेयजल आपूर्ति, बिजली, श्रम तथा रोजगार और ग्रामीण विकास के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति ने वार्षिक बैठकें आयोजित की हैं।

3.10 वर्ष 2012-13 के दौरान, मंत्रालय ने 6-7 अगस्त, 2012 को अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सभी केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की एक बैठक आयोजित की है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ दिनांक 19. 11.2012 को एक अन्य बैठक भी आयोजित की गई।

3.11 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को सरल तथा कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है। राज्यों से कार्यान्वयन के लिए 12वीं योजना हेतु 'संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना' को तैयार करने के लिए कहा गया था।

3.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गणतंत्रता दिवस परेड-2013 के दौरान नई दिल्ली में झांकी प्रदर्शित की जिसमें जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण, उनकी जीवन शैली को दर्शाया गया तथा जनजातीय जनसंख्या की विविधता और हाल के वर्षों में उनकी आजीविका के विभिन्न आधुनिक साधनों जिन्होंने उनके आर्थिक विकास को सरल बनाया है, पर दृष्टि भी डाली गई।

गणतंत्रता दिवस समारोह 2013 के अवसर पर नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित झांकी

3.13 नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार "प्रकृति" आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। नृत्य उत्सव का उद्देश्य गुंजायमान जानजातीय संस्कृति का संर्वधन करना तथा जनजातीय नृत्य एवं संगीत को प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्रदान करना भी है।

3.14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान माननीय जानजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अन्य की उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक के साथ पुन: वित्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारतीय स्टेट बैंक की 14,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से जरुरतमंद अनुसूचित जनजाति के स्वयं सहायता समूह की एनएसटीएफडीसी की रियायती सहायता तक पहुँचने में सहायता करेगा।

निगम ने शारदा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.15 इसके अलावा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना वर्ष 2011-12 के दौरान एनएसटीएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना शुरू की गई है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अनुसूचित जानजाति के विद्यार्थियों को रियायती शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रचालित हो गई है।

3.16 मंत्रालय डॉ. टी. हक समिति की रिपोर्ट के आधार पर लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की शुरूआत पर विचार कर रहा है।

3.17 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) देश में अपने खुदरा बिक्री केंद्रों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को लगातार बेच रहा है तथा वर्ष के दौरान 932.36 लाख रुपये के उत्पाद बेचे गए (31-12-2012 तक)।

❑

अध्याय 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। तथापि, 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं और उनके समाधानों की तुलना में कहीं अधिक भिन्न थे, जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र तंत्र का होना आवश्यक समझा गया, इसलिए संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

4.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के डा. रामेश्वर ओरोन-अध्यक्ष हैं श्रीमती के. कमला कुमारी तथा श्री भेरु लाल मीना-सदस्य हैं। उपाघ्यक्ष का पद तथा एक सदस्य का पद रिक्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, कर्तव्य तथा शक्ति संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में निर्धारित किए गए हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य अन्यसंक्रामण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्यसंक्रामण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और इस कार्य में उन्हें शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों का पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने

वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा खेती को बंटाई पर देने, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, की प्रक्रिया को कम करने और अन्ततः समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य ये हैं–अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और मॉनीटर करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना; और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सभी अधिकार हैं, अर्थात् :

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेज कर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

4.5 338 (क) के खंड (9) में यह व्यवस्था है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिए गए हैं।

4.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011 (टेलीफोन: 0755–2576530/फैक्स–0755–2578272)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
2.	एन–1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर–751015 (टेलीफोन: 0674–2551616/फैक्स–2551818)	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुदुचेरी
3.	कमरा संख्या 101 तथा 102, पहला तल, ब्लॉक–ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याधर नगर, जयपुर–302023	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ एवं दमन और दीप संघ राज्य क्षेत्र
4.	आर–26, सैक्टर–2, अवंती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर–492006 (टेलीफोन + 0771–2443335)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. को–ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची–834002 (टेलीफोन: 0651–2341677/फैक्स–2340368)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6	रबेका विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमैरी, शिलांग–793001 (टेलीफोन: 0364–2504202/फैक्स–2221362)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

गठन से लेकर वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 8.8.2006 को; वर्ष 2006-07 के लिए दूसरी रिपोर्ट 3.9.2008 को; वर्ष 2007-08 के लिए तीसरी रिपोर्ट 29.3.2010 को; वर्ष 2008-09 के लिए चौथी रिपोर्ट 27.8.2010 को तथा वर्ष 2009-10 के लिए पांचवी रिर्पोट दिनांक 13.07.2011 को और जनजातीय विकास एवं प्रशासन संबंधी सुशासन की विशेष रिपोर्ट 18.06.2012 को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है। संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खंड (6) के अनुसार, इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखना अपेक्षित है और इसके साथ संघ सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। तदनुसार पहली रिपोर्ट जो वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 से संबंधित है, की गई कार्रवाई के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है।

❑

अध्याय 5

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

5.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने की बजाए, सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। इस योजना के अंत तक (1954), 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं बनाई गईं। इन विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं से जनजातीय लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा सका क्योंकि इन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी और ये लगभग एक ही प्रकार की थी। यही दृष्टिकोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय विकास के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की गई जिसमें उन सामुदायिक विकास ब्लॉकों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता 66 प्रतिशत और उससे अधिक थी, को जनजातीय विकास ब्लॉकों में परिवर्तित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जनजातीय विकास ब्लॉकों की संख्या 504 तक बढ़ गई। जनजातीय विकास ब्लॉकों के माध्यम से विकास की इस कार्यनीति की अपनी सीमाएं थीं और इसलिए यह जनजातीय विकास ब्लॉकों के बाहर रहने वाली देश की जनजातीय आबादी जिसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है, के हितों का समाधान करने में विफल रही है।

मौजूदा कार्यनीति – जनजातीय उपयोजना

5.2 जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1972 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जनजातीय उपयोजना कार्यनीति तैयार की गई, जिसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। यह अपनाई गई कार्यनीति आज तक जारी है तथा मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (वर्तमान मार्गनिर्देशों की समीक्षा योजना आयोग के कार्य बल द्वारा की गई थी और कार्यबल की सिफारिशें अलग-अलग मंत्रालय/विभाग-वार टीएसपी के तहत योजनाएगत निधियों के निर्धारण के आधार पर स्वीकार की गई थीं)

(i) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की सीमा के भीतर जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित योजना तैयार करना, उस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की समग्र योजना का एक भाग है और इसलिए इसे उपयोजना कहा जाता है।

(ii) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर होनी चाहिएं।

(iii) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को, जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, की समग्र योजना से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होते हैं।

(iv) जनजातीय उपयोजना में निम्नलिखित कार्यनीतियों की व्यवस्था होनी चाहिए :-

(क) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान करना;

(ख) विकास के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना; तथा

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कार्यनीति को परिभाषित करना।

(v) जनजातीय उपयोजना कार्यनीति को 22 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। टीएसपी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम **तालिका 5.1** में दिए गए हैं।

(vi) टीएसपी की अवधारणा जनजातीय बहुल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों तथा लक्षद्वीप तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं है, जहां जनजातीय लोग जनसंख्या का 60% से अधिक है, क्योंकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक योजना जनजातीय योजना ही है।

तालिका 5.1 : टीएसपी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	क्रम सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश	13.	मध्य प्रदेश
2.	असम	14.	महाराष्ट्र
3.	बिहार	15.	मणिपुर
4.	छत्तीसगढ़	16.	राजस्थान
5.	गोवा	17.	सिक्किम
6.	गुजरात	18.	तमिलनाडु
7.	हिमाचल प्रदेश	19.	त्रिपुरा
8.	जम्मू और कश्मीर	20.	उत्तर प्रदेश
9.	झारखंड	21.	उत्तराखंड
10	कर्नाटक	22.	पश्चिम बंगाल
11.	केरल	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
12	ओडिशा	24.	दमन और दीव

5.3 यद्यपि राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम-से-कम राज्य की कुल जनसंख्या की जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात के अनुसार अपने राज्य को टीएसपी निधियां प्रदान करें और हालांकि जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग दोनों ने राज्यों को ऐसा करने के लिए लिखा है, फिर भी दुर्भाग्य से वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय कुछ राज्यों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के ब्यौरे तथा टीएसपी के तहत प्रदान की गई निधियों का अनुपात **अनुलग्नक 5-क** में दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी घटक

5.4 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी कार्यनीति का पालन किए जाने की आशा की जाती है ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय/विभाग पूर्व में परियोजनाओं की अविभाज्यता का उल्लेख करते हुए टीएसपी के कार्यान्वयन में कठिनाई होने की रिपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि परियोजनाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित सभी समुदायों के लिए लागू किया जा रहा था। मंत्रालय ने वर्ष 2009 में, इस बात को ध्यान में रखते हुए टीएसपी पर केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार करने हेतु योजना आयोग से सम्पर्क किया था।

5.5 योजना आयोग ने (क) टीएसपी के कार्यान्वयन में प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों की समीक्षा करने, तथा (ख) टीएसपी के कारगर एवं अर्थपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में जून, 2010 को एक कार्य बल का गठन किया था। इसने टीएसपी के लिए योजना परिव्यय निर्धारित करने की दिशा में मंत्रालयों/विभागों के दायित्व के अनुसार वर्गीकरण की उनकी विशिष्ट सूची के सिफारिश की। योजना आयोग ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी के तहत योजना निधियों के निर्धारण के साथ-साथ कार्य बल की सिफारिशों को स्वीकृत किया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को वार्षिक योजना प्रस्ताव 2011-12 में टीएसपी के तहत निधियों के उपयुक्त निर्धारण सुनिश्चित करना था। योजना आयोग ने अन्य मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर टीएसपी के तहत आबंटन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। 31.12.2012 तक कुल 17 मंत्रालयों/विभागों ने अनुपालन की रिपोर्ट की है। मंत्रालय निधियों के पर्याप्त निर्धारण की पुष्टि तथा साथ ही टीएसपी के तहत व्यय की स्थिति के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों सतत रूप से अनुरोध करता रहा है। निधि निर्धारित करने की आवश्यकता सहित इस उद्देश्य के लिए अभिज्ञात 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची **अनुलग्नक 5-ख** में दी गई है। वार्षिक योजना 2011-12 तथा 2012-13

की वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना परिव्यय की तुलना में मंत्रालय/विभाग वार परिव्यय (कुल जीबीएस) **अनुलग्नक-5-ग** में दिया गया है।

राज्य सरकारों की जनजातीय उपयोजना

5.6 योजना आयोग ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के कुल बजट परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना हेतु राशि निर्धारित करें जिसे अलग बजट शीर्ष कोड 796 में रखा जाना है। योजना आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना की निधियां अपरिवर्तनीय तथा अव्यपगत हैं। इन दिशानिर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि राज्यों में जनजातीय उपयोजना के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

5.7 जनजातीय उपयोजना को अपनाने के लिए, जैसा कि जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की निर्मुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों में उपबंधित है, कुल आबंटन के 10 प्रतिशत की राशि निर्धारित की जाती है एवं इसे उन राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है, जो जनजातीय उपयोजना क्रियान्वयन से संबंधित विगत समय में निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि हेतु अर्हता प्राप्त करते हैं, अर्थात् जो पूर्व वर्ष में कार्यान्वयन एजेन्सियों को राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से अनुमोदित जनजातिय उपयोजना निधियों की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग कर चुके हैं।

5.8 इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान कार्यक्रम के तहत निधियों की निर्मुक्ति हेतु दिशा निर्देशों में दस प्रतिशत आबंटन का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत ऐसी निधियां उन 22 राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं, जो उपर्युक्त रूप से अर्हता प्राप्त करते हैं; तथा 4 जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के तहत निर्मुक्त अनुदान के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग करना ऐसी विशेष निधियों हेतु अर्हता मानदण्ड हैं। अभिनव परियोजनाओं हेतु अनुदान पर विचार करने के लिए मंत्रालय राज्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन राशियों को अभिनव परियोजनाओं हेतु ही उपयोग किया जाता है; तथा जनजातीय उपयोजना को अपनाने हेतु संस्थागत ढांचे में परिवर्तन लाने हेतु यह एक उपकरण है।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

5.9 जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं :

(i) राज्य योजनाएं।

(ii) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियां।

(iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम, और

(iv) संस्थागत वित्त।

❑

अनुलग्नक-5-क

वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरूपित जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की स्थिति

(क) राज्य जिन्होंने पर्याप्त/आधिक प्रावधान किया है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2012-13 (करोड़ रू. में)		
			वार्षिक योजना 2012-13 के लिए सहमत परिव्यय	जनजातीय उपयोजना हेतु परिव्यय	वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.6	48934.90	3591.39	7.3
2	बिहार	0.9	28000.00	393.86	1.4
3	हिमाचल प्रदेश	4.0	3700.00	333.00	9.0
4	जम्मू और कश्मीर	10.9	7300.00	1254.77	17.1
5	झारखंड	26.3	16300.00	8231.24	50.4
6	केरला	1.1	14010.00	325.15	2.3
7	मध्य प्रदेश	20.3	28000.00	6178.91	22.0
8	मणीपुर	34.2	3500.00	1358.53	38.8
9	ओडिशा	22.1	17250.00	4316.40	25.0
10	राजस्थान	12.6	33500.00	4321.19	12.8
11	तमिल नाडु	1.0	28000.00	353.93	1.2
12	त्रिपुरा	31.1	2250.00	1533.12	68.1
13	उत्तर प्रदेश	0.1	56000.00	84.00	0.1
14	उत्तराखंड	3.0	8200.00	246.00	3.0
15	पश्चिमी बंगाल	5.5	25910.00	1657.52	6.3
16	अंडमान और नि.द्वी.स.	8.3	1701.43	226.43	13.3
17	दमन व दीव	8.8	568.25	50.29	8.8

(ख) राज्य, जिन्होंने पर्याप्त/अधिक प्रावधान नहीं किए हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2012-13 (करोड़ रू. में)		
			वार्षिक योजना 2012-13 के लिए सहमत परिव्यय	जनजातीय उपयोजना हेतु परिव्यय	वार्षिक योजना में जनजातीय उपयोजना का प्रतिशत
1	असम	12.4	14537.33	491.21	3.3
2	छत्तीसगढ़	31.8	23480.00	7356.00	31.3
3	गोवा	12.06	4700.00	566.42	12.0
4	गुजरात	14.8	51000.00	6682.41	13.1
5	कर्नाटका	6.6	42030.01	2075.00	4.9
6	महाराष्ट्र	8.9	61803.51	4005.00	6.4
7	सिक्किम	20.6	1877.00	151.33	8.0

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दादर और नगर हवेली, लक्ष्य दीप जनजातीय बहुल राज्य हैं, अत: यहां टीएसपी नहीं है।

अनुलग्नक-5-ख

समग्र बजट अनुमान विवरण के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालय-वार परिव्यय (कुल जीबीएस) तथा जनजातिय उपयोजना परिव्यय

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल जीबीएस	परिव्यय		टीएसपी के तहत निधियों का चिह्नन् का प्रतिशत #
			टीएसपी	टीएसपी जीबीएस का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
	कृषि मंत्रालय				
1	कृषि एवं सहकारिता विभाग	10991.00	882.59	8.03	8.00
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3220.00	116.00	3.60	3.60
3	कोयला मंत्रालय	450.00	31.00	6.89	8.20
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
4	दूर संचार विभाग	4800.00	12.00	0.25	0.25
5	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	201.00	6.70	6.70
	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण मंत्रालय				
6	खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग	126.00	4.06	3.22	1.40
7	**संस्कृति मंत्रालय***	864.00	17.28	2.00	2.00
8	**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय'**	2430.00	16.00	0.66	--
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
9	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	27127.00	2224.41	8.20	8.20
10	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	990.00	19.8	2.00	2.00
11	एड्स नियंत्रण विभाग**	1700.00	139.40	8.20	8.20
12	**आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय**	1155.00	27.72	2.40	2.40
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
13	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	45969.00	4918.68	10.70	10.70
14	उच्चतर शिक्षा विभाग	15458.00	1159.35	7.50	7.50
15	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**	2470.00	202.54	8.20	8.20
16	**सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय**	2835.00	139.48	4.92	8.20
17	**खान मंत्रालय**	243.00	8.72	3.59	4.00
18	**सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय**	23000.00	500.00	2.17	3.50
19	**पचायती राज मंत्रालय**	300.00	17.44	5.81	8.20

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	कुल जीबीएस	परिव्यय		टीएसपी # के तहत निधियों का निर्धारण
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
20	ग्रामीण विकास विभाग	73175.00	3460.37	4.73	17.50
21	भू-संसाधन विभाग	3201.00	320.05	10.00	10.00
22	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14000.00	1400.00	10.00	10.00
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
23	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**	2477.00	61.93	2.50	2.50
24	वस्त्र मंत्रालय	7000.00	84.00	1.20	1.20
25	**पर्यटन मंत्रालय**	1210.00	30.25	2.50	2.50
26	**जनजातीय कार्य मंत्रालय*****	1573.00	1573.00	100.00	100.00
27	**जल संसाधन मंत्रालय**	1500.00	19.50	1.30	1.30
28	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**	18500.00	1517.00	8.20	8.20
29	**युवा मामले एवं खेल मंत्रालय**	1041.00	85.60	8.22	8.20
	कुल योग	270805.00	21706.17	8.02	--
	सभी मंत्रालय/विभाग-कुल	***391027.00***	***21706.17***	***5.55***	

* टीएसपी निधियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित करने हेतु अधिदेशित नहीं किया गया।

** स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए प्रतिशतता निर्धारित की गई।

*** कुल जीबीएस के तहत दर्शाए गए आंकड़ों में, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात् टीएसपी को एससीए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान जिनकी राशि 2517.00 करोड़ रूपये है, के अन्तर्गत आबंटन शामिल नहीं हैं तथा सम्पर्ण राशि टीएसपी परिव्यय है।

\# योजना आयोग द्वारा यथा स्वीकृत तथा मंत्रालय/विभागों के लिए अधिदेशित कार्यबल की सिफारिश के अनुसार।

\## टीएसपी आंकड़ों में ऊपर दर्शाए गए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 2517.00 करोड़ रू. शामिल हैं तथा इसमें विवरण 21क, व्यय बजट खंड-I , 2012-13 में दर्शाए गए दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मांग संख्या 96 तथा 99 के तहत प्रावधान शामिल नहीं हैं।

स्रोत: व्यय बजट खंड-I, 2012-13

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के संदर्भ में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे।

6.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए और जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था, इस प्रकार हैं :

- आदिम जनजातीय गुण;
- अनूठी संस्कृति;
- आम लोगों से संपर्क करने से कतराना;
- भौगोलिक अलगाव; और
- पिछड़ापन।

6.3 अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और इसकी प्रक्रिया इसी अध्याय में आगे दर्शायी गई है।

जनजातियों का वितरण

6.4 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 1991 से 2001 के बीच 24.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में है।

6.5 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था), निम्नलिखित विशेषताएं होती है:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

6.6 भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या तालिका 6.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 6.1: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय आबादी का विवरण		
क्र. सं.	राज्य	देश की कुल अनुसूचित जनजनतीय जनसंख्या में राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत (घटते हुए क्रम में)
1	मध्य प्रदेश	14.51
2	महाराष्ट्र	10.17
3	ओडिशा	9.66
4	गुजरात	8.87
5	राजस्थान	8.42
6	झारखण्ड	8.40
7	छत्तीसगढ़	7.85
8	आन्ध्र प्रदेश	5.96
9	पश्चिम बंगाल	5.23
10	कर्नाटक	4.11
11	असम	3.92
12	मेघालय	2.36
13	नागालैंड	2.10
14	जम्मू और कश्मीर	1.31
15	त्रिपुरा	1.18
16	मिजोरम	1.00
17	बिहार	0.90
18	मणिपुर	0.88
19	अरुणाचल प्रदेश	0.84
20	तमिलनाडु	0.77
21	केरल	0.43
22	उत्तराखंड	0.30
23	हिमाचल प्रदेश	0.29
24	दादर और नगर हवेली	0.16
25	सिक्किम	0.13
26	उत्तर प्रदेश	0.13
स्रोत: भारत के महा-पंजीयक		

6.7 हालांकि कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी उस स्थिति में कम होती है जब भारत की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की गणना की जाती है, किंतु उन राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों विशेष के भीतर यदि देखा जाए तो जनजातीय लोग बहुलता में होते हैं (उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली)। जैसा कि पहले बताया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में जनजातीय लोग रहते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में जनजातीय जनसंख्या आकृति 6(क) में दर्शाई गई है। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या आबादी के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय आबादी आकृति 6(ख) में दर्शाई गई है।

प्रमुख जनजातियां

6.8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या (अर्थात् 62) है। ये 700 समानार्थी अथवा इसी प्रकार की बहुत अधिक जनजातियां हैं जो अनुसूची में सूचीबद्ध की गई हैं।

जनसांख्यिकी संबंधी प्रवृत्तियां तथा वर्तमान स्थिति

6.9 जनसंख्या प्रोफाइल : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2% है। जनजातीय जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 1991-2001 के दौरान राज्यवार कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, वृद्धि दर इत्यादि **अनुलग्नक-6(क)** में दी गई है।

6.10 वृद्धि : जनजातीय जनसंख्या के संबंध में जनगणना वर्ष 1971 से 1981 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि (35.79%) कुल जनसंख्या के मुकाबले (25.0%) से अधिक रही है। जनगणना वर्ष 1981-1991 के बीच जनजातीय जनसंख्या वृद्धि (31.64%) समस्त जनसंख्या के मुकाबले (23.51%) अधिक रही है। इसी प्रकार जनगणना वर्ष 1991 से 2001 के दौरान समग्र जनसंख्या वृद्धि दर 22.66% की तुलना में यह 24.45% रही है। जनजातियों के संबंध में सबसे उच्च वृद्धि दर कर्नाटक राज्य 80.82% तथा इसके बाद नागालैंड में (67.23%) रही है। कुछ

आकृति 6(क):	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आबादी की तुलना में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत।

लक्षद्वीप	94.5	अरूणाचल प्रदेश	64.2
मिजोरम	94.5	दादर व नगर हवेली	62.2
नागालैंड	89.1	छत्तीसगढ़	31.8
मेघालय	85.9	त्रिपुरा	31.1

आकृति 6(ख): भारत के राज्यों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का वितरण।

- 10-15% (मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र)
- 8-9% (उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तथा झारखंड)
- 5-7.9% (छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश तथा प. बंगाल)
- 2-4.9% (कर्नाटक, असम, मेघालय तथा नागालैंड)
- 1-1.9% (जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा तथा मिजोरम)
- 1% से कम (बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश)

मामलों में आबादी की वृद्धि दर का कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर अंडमान व निकोबार (10.08%) तथा हिमाचल प्रदेश (12.02%) रही है।

6.11 लिंग अनुपात : (2001 की जनगणना के अनुसार) समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं) की तुलना में जनजातियों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष, 978 महिलाएं हैं जो हालांकि कम हो रहा है किंतु समग्र जनसंख्या की तुलना में बेहतर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य समस्त राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के संदर्भ में लिंग अनुपात सामान्य लिंग अनुपात से बेहतर रहा है।

6.12 बाल लिंग अनुपात : वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, पूरे देश की सामान्य आबादी में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 985 लड़कियों का होना बेहतर है। वर्ष 2001 में, बाल लिंग अनुपात और घटकर प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 919 लड़कियां हो गया। अनुसूचित जनजातियों के बीच हालांकि इसमें गिरावट आयी है, तथापि प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 972 लड़कियों का होना बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में अनुसूचित जनजातीय लिंग अनुपात सकारात्मक है। इस संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1991 में 1000 लड़कों की तुलना में 1018 लड़कियां थीं जिसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गिरावट आई और 1000 लड़कों की तुलना में 1009 लड़कियां रह गईं। तथापि इस राज्य क्षेत्र में सामान्य लिंग अनुपात 1005 लड़कियां (1991) और 911 लड़कियां (2001) प्रति 1000 लड़कों की तुलना में अधिक ही था। बाल लिंग अनुपात वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाले आंकड़े **अनुलग्नक-6(ख)** में दिए गए हैं।

6.13 साक्षरता : समस्त जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 तक साक्षरता दर 52.21% से बढ़कर 64.84% हो गई है, जबकि जनजातियों में साक्षरता दर 29.60% से बढ़कर 47.10% हो गई। इसी अवधि के दौरान जनजातियों में पुरुष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17% हो गई और महिला साक्षरता 18.19% से बढ़कर 34.76% हो गई है। अनुसूचित जनजातीय महिला साक्षरता सामान्य जनसंख्या की समग्र महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 21% कम है। तथापि कुल प्रतिशतता में वृद्धि और अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 1961 में 8.53% से बढ़कर 2001 में 47.10% हो गई है जबकि 1961 में कुल जनसंख्या की साक्षरता 1961 में 28.30% से बढ़कर 2001 में 64.84% हो गई है। ब्यौरा नीचे तालिका 6.2 में दिया गया है:-

तालिका 6.2 : अनुसूचित जनजातियों तथा सभी सामाजिक समूहों में साक्षरता

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामाजिक समूह		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84

स्रोत: भारत के महा-पंजीयक

वर्ष 1991 से 2001 के बीच अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में 17.5 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान कुल आबादी की साक्षरता दर में 12.63 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के संबंध में साक्षरता दर में पुरुष-महिला अंतराल वर्ष 1991 में 22.46 प्रतिशत बिंदुओं से बढ़कर वर्ष 2001 में 24.41 प्रतिशतबद्ध हो गया जबकि कुल आबादी के संबंध में इसका प्रतिशत बिंदु 1991 में 24.84 प्रतिशत बिन्दु से घटकर 2001 में 21.59 प्रतिशत बिंदु रह गया।

6.14 अनुसूचित जनजातियों तथा समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 2001 के दौरान 0.5 से 31.9 प्रतिशत के बीच रहा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू तथा कश्मीर जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति और कुल आबादी के बीच वर्ष 2001 के दौरान साक्षरता दर का प्रतिशत अंतराल 17.7 (अर्थात् अखिल भारतीय साक्षरता अंतराल) से अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दादर व नगर हवेली के अलावा, 1991 से 2001 के बीच सभी राज्यों में साक्षरता अंतराल में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार ने 1991 की जनगणना की तुलना में उतना ही अंतराल बनाए रखा किन्तु यह अंतराल दादर और नगर हवेली के मामले में बढ़ गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और इन राज्यों की समग्र जनसंख्या के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 25 से अधिक है। राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-6-ग** में दिए गए हैं।

पिछड़ेपन के संकेतक

6.15 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का 44.70% वर्ग कृषक तथा 36.9% कृषि मजदूर थे, 2.1% घरेलू उद्योगों में कामगार तथा 16.3% अन्य धन्धों में कामगार थे। अतः इन समुदायों के प्रमुख कामगारों का लगभग 81.6% प्राइमरी क्षेत्र के कार्यकलापों में लगा था। ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़ने की दर में बढ़ोतरी से और बढ़ जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में उनका प्रतिनिधित्व कम रह जाता है। यह हैरानी की बात नहीं है कि इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। योजना आयोग से जारी किए गए विवरण में यह देखा गया है कि वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जनजातीय गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 51.94 था, जबकि उसी वर्ष शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41.14 था। वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए गरीबी रेखा के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 47.2% तथा 39.9% पाया गया है। इस तरह वर्ष 1993-94 से 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में क्रमशः लगभग 4.7% एवं 1.15% की गिरावट आई है। राज्यवार ब्यौरा **तालिका 6.3** में नीचे दिया गया है।

तालिका 6.3 : वर्ष 2004-05 तक राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी (सामाजिक समूह वार) का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य	अनु. ज. जाति	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	15.4	9.5	4.1	50.0	39.9	28.9	20.6
2	असम	14.1	27.7	18.8	25.4	4.8	8.6	8.6	4.2
3	बिहार	53.3	64.0	37.8	26.6	57.2	67.2	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	33.9	29.2	41.0	52.0	52.7	21.4
5	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	10.6	9.4	35.8	18.3	6.4
6	गुजरात	34.7	21.8	19.1	4.8	21.4	16.0	22.9	7.0
7	हरियाणा	0.0	26.8	13.9	4.2	4.6	33.4	22.5	5.9

8	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	9.1	6.4	2.4	5.6	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	8.8	5.2	10.0	3.3	0.0	13.7	4.8	7.8
10.	झारखंड	54.2	57.9	40.2	37.1	45.1	47.2	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	20.9	13.8	58.3	50.6	39.1	20.3
12.	केरल	44.3	21.6	13.7	6.6	19.2	32.5	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	58.6	42.8	29.6	13.4	44.7	67.3	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	23.9	18.9	40.4	43.2	35.6	26.8
15.	ओडिशा	75.6	50.2	36.9	23.4	61.8	72.6	50.2	28.9
16.	पंजाब	30.7	14.6	10.6	2.2	2.1	16.1	8.4	2.9
17.	राजस्थान	32.6	28.7	13.1	8.2	24.1	52.1	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	32.1	31.2	19.8	19.1	32.5	40.2	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	32.9	19.7	37.4	44.9	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	44.8	33.5	64.4	65.7	46.5	25.5

संक्षेपाक्षर अ.ज.- अनुसूचित जाति अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत : *योजना आयोग*

तालिका 6.4: बच्चों के राज्यवार स्वास्थ्य संकेतकः शिशु मृत्यु दर तथा मृत्यु दर < 5 वर्ष

क्र. सं.	राज्य	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)		मृत्यु दर < 5 वर्ष (यू 5 एमआर)	
		सम्पूर्ण जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियां	सम्पूर्ण जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियां
	भारत	57.0	62.8	74.3	95.7
1.	आंध्र प्रदेश	68.4	(94.8)	78.7	(112)
2.	अरूणाचल प्रदेश	60.7	67.6	87.7	100.9
3.	असम	66.1	59	85	83.2
4.	छत्तीसगढ़*	80.8	90.6	105.5	128.5
5.	गुजरात	62.8	(86.0)	77.0	(115.8)
6.	जम्मू और कश्मीर	45.5	(34.3)	53.8	*
8.	झारखंड*	76.6	93.0	112.4	138.5
9.	कर्नाटक	53.0	(45.8)	66.2	(77.9)
10.	मध्य प्रदेश	81.9	95.6	108.2	140.7
11.	महाराष्ट्र	45.3	51.4	53.4	69.8
12.	मणिपुर	29.7	51.2	41.9	71.4
13.	मेघालय	44.6	49.3	70.5	74
14.	नागालैण्ड	38.8	45.8	64.7	65.8
15.	उड़ीसा	67.7	78.8	94.7	136.3
16.	राजस्थान	72.7	73.2	93.3	113.8
17.	सिक्किम	33.7	28.9	40.8	35.9

स्रोतः *एन.एफ.एच.एस3, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय*

( ) 250-499 अभारित मामलों पर आधारित

*आयु-अंतर के प्रारंभ से जीवित 250 से कम आभारित मामलों पर आधारित दर नहीं दर्शाई गई है।

अन्यों बनाम अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य संकेत

6.16 अनुसूचित जनजातियों के लिए शिशु मृत्युदर तथा 5 वर्ष से नीचे की बाल मृत्युदर के साथ-साथ अन्य वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों की मृत्यु दर तालिका 6.4 में दर्शायी गई है।

6.17 बाल मृत्यु दर (आईएमआर), कुछ राज्यों की कुल जनसंख्या के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 वर्ष से नीचे की बाल मृत्यु दर तालिका 6.4 में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए आईएमआर में प्रतिशतता अंतर आंध्र प्रदेश (25.7), गुजरात (23.2) तथा मणिपुर (21.5) में बहुत अत्यधिक है, जबकि असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और सिक्किम राज्यों की जनजातीय जनसंख्या की शिशु मृत्यु दर सामान्य जनता की तुलना में कम है और क्रमश: 7.1, 11.2, 7.2 और 4.8 प्रतिशत बिन्दु है। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए 5 वर्ष से नीचे बाल मृत्यु दर में प्रतिशतता अंतर उड़ीसा (41.6), गुजरात (38.8), आंध्र प्रदेश (33.3), मध्य प्रदेश (32.5) के साथ बहुत ज्यादा है। सिक्किम तथा असम राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के संबंध में 5 वर्ष से नीचे बाल मृत्यु दर क्रमश: 4.2 तथा 1.8 प्रतिशतता के साथ सामान्य जनसंख्या की तुलना में कम है।

तालिका 6.5: प्रारंभिक स्तर (कक्षा I-VIII) के लिए समग्र नामांकन अनुपात (जीईआर)

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			कुल जनसंख्या		
	लड़के	लड़किया	कुल	लड़के	लड़किया	कुल
1995-96	105.7	75.1	90.9	86.9	69.4	78.5
1999-2000	99.3	70.9	85.2	90.1	72.0	81.3
2000-01	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5
2005-06	111.9	100.6	106.4	98.5	91.0	94.9
2006-07	114.7	104.2	109.6	100.4	93.5	97.1
2007-08	114.7	104.2	109.6	102.4	98.3	100.5
2008-09	122.0	116.6	119.4	100.4	99.1	99.8
2009-10 (अनन्तिम)	121.1	116.4	118.9	103.8	101.1	102.5

स्रोत: स्कूल शिक्षा सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2009-10

शिक्षा

6.18 प्रारंभिक शिक्षा स्तर (कक्षा I-VIII) के लिए सकल नामांकन अनुपात को 6 से 14 वर्ष से कम आयु समूह में बच्चों की अनुमानित जनसंख्या में प्रारंभिक स्तर पर नामांकन की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात सभी जनजातियों के संबंध में वर्ष 2004-05 में 102.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 119.4 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के लिए वर्ष 2004-05 में 93.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 99.8 प्रतिशत हो गया। तथापि वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के मामले में मामूली गिरावट नोटिस की गई है। कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रारंभिक स्तर (I-VIII) पर वर्ष वार सकल नामांकन अनुपात नीचे **तालिका 6.6** में दिया गया है:-

इन अवस्थाओं के नामांकन में कम आयु और अधिक आयु शामिल ह अतः कुछ मामलों में कुल प्रतिशत 100 से अधिक हो सकता है।

आरंभिक स्तर पर जीईआर में लिंग असमानता धीरे धीरे घटी है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए असमानता कारक, वर्ष 2004-05 में 12.7 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 4.7 प्रतिशत रह गया है। कुल आबादी के संबंध में यह 2004-05 में 7.0 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 2.7 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि वर्ष 1990-91 से वर्ष 2009-10 तक देश में शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-VIII) में अनुसुचित जनजातियों के लिए जीईआर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, तथापि अनुसूचित जनजातियों की जीईआर को सकल जनसंख्या के स्तर पर लाने के लिए सतत प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।

6.19 उन अनुसूचित जनजातियों के घरों की प्रतिशतता जिनके बैंक खाते हैं तथा जिनके पास स्थायी परिसंपत्तियां हैं:- अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की तुलनात्मक तस्वीर

अखिल भारत स्तर पर समस्त जनसंख्या के 58.7 प्रतिशत घर तथा अनुसूचित जनजाति के लगभग 45 प्रतिशत घर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। देश में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रें में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सर्वोच्च (92.3 प्रतिशत) पाया गया है। उच्चतर श्रेणी में, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- हिमाचल प्रदेश (89.1 प्रतिशत), लक्षद्वीप (85.3 प्रतिशत), गोवा (81.2 प्रतिशत) तथा उत्तराखण्ड (80.4 प्रतिशत) हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के घर 24.8 प्रतिशत (मणिपुर) से 70.7 प्रतिशत (त्रिपुरा) की श्रेणी में हैं। वास्तव में देश में मणिपुर अनुसूचित जनजाति श्रेणी और सभी घरों दोनों में, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में निम्नतम (24.8 प्रतिशत) पाया गया है। अखिल भारत स्तर पर अनुसूचित जनजाति के घरों और सभी घरों द्वारा सभी अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में बाइसाइकिल, मोबाइल फोन और टेलिविजन सेटों की संख्या कंप्यूटरों और दुपहिया वाहनों इत्यादि से अधिक है। मोबाइल फोनों की बड़ी संख्या के साथ अनुसूचित जनजाति के घरों की प्रतिशतता दमन और दीव, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सभी में 63.4 से 68.9 प्रतिशत के बीच है। टेलिविजन वाले अनुसूचित जनजाति के घरों की प्रतिशतता तमिलनाडु (81.0), हिमाचल प्रदेश (68.2), दमन और दीव (66.2) तथा गोवा (65.1) में उच्च है। (विस्तृत तालिका **अनुलग्नक-6घ** में देखें)

6.20 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके प्रकाश के साधन-अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की अखिल भारतीय तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों और सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। सभी परिवारों में 67.2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 51.7 प्रतिशत के पास बिजली है तथा सभी परिवारों में 31.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 45.6 प्रतिशत मिट्टी के तेल का उपयोग करता है। लक्षद्वीप में प्रकाश के मुख्य स्रोत के रुप में 99.7 प्रतिशत परिवारों के पास बिजली है तथा यह देश में सर्वोच्च है। इसके पश्चात दमन और दीव (96.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.5 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (94 प्रतिशत) तथा गोवा (93.8 प्रतिशत) है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में सिक्किम का स्थान उच्चतम (90.8 प्रतिशत) है, इसके पश्चात् मिजोरम (84.3 प्रतिशत) तथा नागालैण्ड (81.2 प्रतिशत) है। अन्य राज्य असम के निम्नतम स्थान के साथ 66.2 प्रतिशत से 28.0 प्रतिशत के बीच आते हैं। बिहार और ओडिशा कुल परिवारों के 16.4 प्रतिशत की तुलना में बिजली की सुविधा वाले केवल 11.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों (निम्नतम) तथा ओडिशा 43 प्रतिशत सभी परिवारों की तुलना में 15.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ एक गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। बिहार तथा ओडिशा में मिट्टी के तेल का उपयोग करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता उच्चतम है। (**अनुलग्नक-6ड़** में विस्तृत तालिका देखें)।

6.21 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके पास आवास परिसर में शौचालय एवं स्नान घर की सुविधा है-अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की तुलनात्मक तस्वीर।

आंकड़े दर्शाते हैं कि अखिल भारत स्तर पर सभी परिवारों में केवल 46.9 प्रतिशत के पास आवास परिसर में शौचालय सुविधा है जिसमें से अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 22.6 प्रतिशत के पास शौचालय सुविधा है। कुल परिवारों का 0.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 0.1 प्रतिशत लगातार मानव द्वारा मैला ढ़ोने की प्रणाली का उपयोग कर रहा है वहीं कुल परिवारों का 49.8 प्रतिशत के खुले में शौच

करता है तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर लक्षद्वीप ने उच्चतम अंक प्राप्त किये है क्योंकि इसके 98.3 प्रतिशत परिवारों के परिसर के अंदर ही शौचालय सुविधा है। कुछ अन्य राज्य जिनके अनुसूचित जनजाति के परिवारों में यह सुविधा है तथा ये उच्च क्रम में हैं, मिजोरम (91.9 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (88.2 प्रतिशत), सिक्किम (85.9 प्रतिशत), मणिपुर (82.3 प्रतिशत), नागालैण्ड (74.8 प्रतिशत) तथा केरल (71.4 प्रतिशत)। आवास परिसर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले 22 प्रतिशत सभी परिवारों की तुलना में केवल 7.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ ओडिशा को निम्नतम पाया गया है। जम्मू और कश्मीर में 8.9 प्रतिशत सभी परिवारों की तुलना में 5.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के घर मैला ढोने के लिए मानवों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर तथा दादर व नगर हवेली जैसे अन्य राज्यों में पाया गया है।

खुले में शौच करना देश में प्रचलित है जिसमें सभी 60.4 प्रतिशत परिवारों की तुलना में 91.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ राजस्थान इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है। इस श्रेणी में अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति की स्थिति इस प्रकार से है, ओडिशा 91.6 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 90.9 प्रतिशत, झारखण्ड 90.8 प्रतिशत, बिहार और छत्तीसगढ़ 85 प्रतिशत तथा दादर व नगर हवेली में लगभग 81 प्रतिशत। अधिकतर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवार सभी परिवारों से अधिक खुले में शौच करते हैं। इस श्रेणी में सबसे नीचे लक्षद्वीप (1.5 प्रतिशत) राज्य है। इसके बाद मिजोरम (6.6 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (11.5 प्रतिशत) तथा 12.8 प्रतिशत, 16.4 प्रतिशत और 17.8 प्रतिशत के साथ क्रमशः सिक्किम, मणिपुर, नागालैण्ड के पूर्वोत्तर राज्य हैं। अखिल भारत स्तर पर सभी परिवारों के 42 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास अपने आवास परिसर में स्नान की सुविधा है। लक्षद्वीप में 96.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास आवास परिसर में स्नान की सुविधा है। इसके बाद सभी परिवारों की तुलना में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (85.1 प्रतिशत), मिजोरम (65.5 प्रतिशत), सिक्किम (61.8 प्रतिशत) तथा हिमाचल प्रदेश (57 प्रतिशत) में अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं जिनकी प्रतिशतता क्रमशः 63.5 प्रतिशत, 65.2 प्रतिशत, 65.1 प्रतिशत, 67.5 प्रतिशत है। राज्य जिनके पास परिसर में स्नान की सुविधा है तथा जो नीचे हैं, वे हैं ओडिशा (3.4 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (4.1 प्रतिशत), झारखण्ड (5.2 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (5.4 प्रतिशत), त्रिपुरा (6.6 प्रतिशत) तथा बिहार (7 प्रतिशत)। परिसर के अंदर स्नान सुविधा वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप में पाया गया है जो (96.6 प्रतिशत) है तथा 3.4 प्रतिशत के साथ ओडिशा में निम्नतम पाया गया है। (**अनुलग्नक-6च** में विस्तृत तालिका देखें)।

6.22 अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा आबाद जनगणना मकानों की स्थिति द्वारा उनके परिवार की प्रतिशतता- अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

अखिल भारत स्तर पर 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवार 53 प्रतिशत कुल परिवारों की तुलना में अच्छे मकानों में पाए गए हैं। अच्छे मकानों वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों की उच्चतम संख्या (87 प्रतिशत) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई गई है। इस श्रेणी में अच्छे मकानों वाले 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ ओडिशा निम्नतम है इसके पश्चात पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत, बिहार तथा राजस्थान 31 प्रतिशत प्रत्येक और असम 32 प्रतिशत है। दस राज्य अच्छे मकानों वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों की अखिल भारत स्तर पर 61.3 प्रतिशत, सभी परिवारों की तुलना में 53.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास आवास परिसर में अलग रसोईघर हैं। इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की उच्चतम संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (97.9 प्रतिशत) में पाई गई है, इसके पश्चात नागालैण्ड (96.8 प्रतिशत), लक्षद्वीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.7 प्रतिशत) तथा गोवा (90.2 प्रतिशत) है। सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशतता से नीचे हैं इनमें सबसे नीचे राजस्थान (22.1 प्रतिशत), इसके पश्चात बिहार (34.4 प्रतिशत), झारखण्ड (34.5 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (36.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) है जहां अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास आवास परिसर में रसोईघर हैं। (**अनुलग्नक-6छ** में विस्तृत तालिका देखें)।

6.23. घर के अंदर परिवारों द्वारा खाना पकाना तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार इस श्रेणी में अखिल भारतीय तस्वीर जहां परिवार घर के अंदर खाना पका रहे हैं दर्शाती है कि जहां कुल जनसंख्या के 63.99 प्रतिशत परिवार खाना बनाने के उद्देश्य के लिए जलावन लकड़ी/फसल के अवशिष्ट/गोबर के कण्डे/कोयला, कोयला, चारकोल (धुआं देने वाले ईंधन) का प्रयोग करते हैं, यह अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए काफी उच्च 87.5 प्रतिशत है। ऐसे परिवार जो घर के अंदर खाना पका रहे हैं परन्तु जो धुआं देने वाले ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं को इजरी (दुसाध्य एवं नीरस) के रुप में संदर्भित किया गया है। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 9 राज्य हैं जिनके ड्रजरी के हिस्से का प्रतिशत अखिल भारतीय आंकड़ों के प्रतिशत से उच्चतर है। ये राज्य हैं:- छत्तीसगढ़- 96.64 प्रतिशत (सर्वोच्च), मध्यप्रदेश- 95.9 प्रतिशत, ओडिशा-95.46 प्रतिशत, झारखण्ड-95.29 प्रतिशत, राजस्थान- 93.87 प्रतिशत, त्रिपुरा-93.25 प्रतिशत, इसके पश्चात बिहार, केरल तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। ड्रजरी में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता व्यावहारिक रुप से सभी राज्यों में उच्च हैं वहीं मिजोरम में यह निम्नतम 45.51 प्रतिशत पाई गई है। अनुसूचित जनजाति के परिवार जो मिट्टी के तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली (नॉन-ड्रजरी) का प्रयोग कर रहे हैं, का अखिल भारतीय प्रतिशत काफी नीचा 12 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के परिवार जो घर के अंदर खाना पका रहे हैं तथा जो मिट्टी के तेल इत्यादि (धुआं रहित ईंधन) का प्रयोग कर रहे हैं, कि उच्चतम प्रतिशतता मिजोरम में पाई गई है- 54.44 प्रतिशत इसके पश्चात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह- 54.33 प्रतिशत है। इस श्रेणी में सबसे दयनीय स्थिति ओडिशा- 2.37 प्रतिशत, छत्तीसगढ़- 3.33 प्रतिशत और मध्यप्रदेश- 4.07 प्रतिशत पाई गई है तथा झारखण्ड एवं राजस्थान में यह क्रमश: 4.18 प्रतिशत, 6.06 प्रतिशत है। (**अनुलग्नक-झ** में विस्तृत तालिका देखें)।

6.24. घर के बाहर खाना पकाना तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

इस वर्ग में अखिल भारतीय चित्र दर्शाता है कि कुल आबादी के 91.9 प्रतिशत घर खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी/फसल अवशेष/गोबर के कण्डों/कोयले, लिग्नाइट, कच्चे कोयले का प्रयोग करते हैं, वहीं 95.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवारों में इसका प्रयोग किया जाता है। घर के बाहर खाना पकाना तथा इस प्रकार के धुआं निकालने वाले ईंधन का प्रयोग करना नीरस एवं दुसाधय कार्य के सिवा कुछ नहीं है। उपयुक्त तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिशतता इस नीरस एवं दुसाधय कार्य में अखिल भारतीय आंकड़ों की अपेक्षा उच्चतर है। ये राज्य है: छत्तीसगढ़-99.02% (उच्चतम), मध्य प्रदेश-98.73%, राजस्थान-98.68%, झारखण्ड-97.7%, केरल-97.42%, मेघालय-97.35, त्रिपुरा-97.13%, इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक आते हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता, जो नीरस एवं दुसाध्य स्थिति में है, सभी राज्यों में व्यावहारिक रूप में उच्च है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में निम्नतम 69.98% है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जो मिटी के तेल/एलपीजी/बिजली का प्रयोग करते हैं, स्पष्ट रूप में बहुत कम है। घर के बाहर खाना पकाने वाले तथा मिट्टी के तेल आदि (गैर धुआं निकालने वाले ईंधान) का प्रयोग करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उच्चतम प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश-29.81% में देखा गया है, इसके पश्चात मिजोरम-24.86% है। इस वर्ग में सबसे बुरी स्थिति ओडिशा-0.78%, छत्तीसगढ़-0.91% तथा मध्य प्रदेश-1.24% में है और राजस्थान तथा बिहार में क्रमश: 1.26%, 1.39% है (**अनुलग्नक-6झ** में विस्तृत तालिका देखें)।

6.25 भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध किए गए अपराध

अखिल भारतीय घटनाओं के साथ तुलना करने पर भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी के विरुद्ध किए गए अपराधों की सांख्यिकीय रूपरेखा सूचित करती है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अपहरण तथा बलात्हरण का उच्चतर प्रतिशत मध्य प्रदेश-28.5% देखा गया है, इसके पश्चात झारखण्ड-21.9% तथा राजस्थान-13.1% है। बलात्कार के मामलों में (धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता) अनुसूचित जनसंख्या में यह घटनाएं 39.6% के साथ मध्य प्रदेश में फिर से उच्चतम हैं। केरल 14.1 प्रतिशत घटनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। राज्यों के बीच कम प्रतिशतता कर्नाटक-0.3% तथा तमिलनाडु-0.4% देखी गई है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध हत्या के मामलों के वर्ग में (धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता) 34.3% घटनाएं मध्य प्रदेश में दुबारा से उच्चतम हैं, छत्तीसगढ़ 15.4% मामलों के साथ अगले और 13.3% घटनाओं के

साथ राजस्थान है। अखिल भारत की तुलना में 0.7% के साथ त्रिपुरा तथा बिहार में मामलों की कम संख्या है।

इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिल भारत की तुलना में प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध अधिकतम अपराधों की घटनाएं मध्य प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती हैं (**अनुलग्नक-6 ठ तथा 6ड** में विस्तृत तालिका देखें)।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर- अनुसूचीकरण:

6.26 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है।" अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6.27 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.28 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.29 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक-6ढ़** में दी गई है। इसके बाद आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का प्रावधान है न कि अखिल भारतीय आधार पर करने का।

6.30 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

6.31 इस मानदंड का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु यह सुस्थापित और स्वीकृत हो चुका है। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति) 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति) 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

6.32 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक 6-ण** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में हाल ही में जोड़े/घटाए गए नाम मोटे अक्षरों में दिए गए हैं ।

6.33 हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.34 (क) सामान्य : जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :-

कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(i) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(ii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iii) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(iv) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(v) वह व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

(vi) राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

(ग) विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

(घ) अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

   (जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

4. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।

5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

(ङ) बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

(च) अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे आवास किए गए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे।

(छ) अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने संबंधी प्रक्रिया:

जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को और संशोधित किया गया। इन अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अपेक्षित है, मंत्रालय संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात्, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। सूची में सम्मिलित करने या इससे निकालने से संबंधित ऐसे मामले जिनके संबंध में राज्य सरकार अथवा भारत के महापंजीयक अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्र

6.35 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.36 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

6.37 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची इन ''अनुसूचित क्षेत्रों'' को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा इस प्रकार के क्षेत्रों के रूप में घोषित करें।

6.38 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को "जनजातीय क्षेत्र'' के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है। इन परिषदों को विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.39 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,
- सघनता तथा क्षेत्र का उचित प्रकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लॉक या तालुका हो, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

6.40 एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्दिष्टीकरण, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.41 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू हैं :-

6.42 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्र मूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा
	और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)		
5क	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य)	12.2.1981	राजस्थान
	आदेश, 1981 (सी.ओ.114)		
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
8	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.04.2007	झारखंड

अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुन: परिभाषित किया गया है।

6.43 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक-6त** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ

6.44 जनजातियों को सुरक्षा देने और लाभ प्रदान करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

(क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को रोकना अथवा इसे नियंत्रित करना;

(ii) अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना। ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो इस प्रकार के क्षेत्र के लिए लागू हैं।

(ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों तथा संशोधनों की शर्त के अधीन लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे।

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं; उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान को राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2007-2008 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्टा की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6थ** में दिया गया है।

(ड़) नौवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें (टीएसी) गठित कर ली गईं हैं। यद्यपि, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो भी उनकी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद है। उत्तराखंड राज्य में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं होने पर भी राज्य में टीएसी के गठन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश 2010 में राज्य को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में टीएसी के गठन के बारे में सूचना प्रतिक्षित है। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राज्यों द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6द** में दिया गया है।

❑

अनुलग्नक-6क :

जनसांख्यिकी : जनगणना 2001

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या		दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	2001 में राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2001 में भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में अ.ज.जा. की जनसंख्या का प्रतिशत
		1991	2001		1991	2001			
	भारत	**838,583,988**	**1,028,610,328**	**22.66**	**67,758,380**	**84,326,240**	**24.45**	**8.2**	**-**
1.	आंध्र प्रदेश	66,508,008	76,210,007	14.59	4,199,481	5,024,104	19.64	6.6	5.96
2	अरूणाचल प्रदेश	864,558	1,097,968	27	550,351	705,158	28.13	64.2	0.84
3	असम	22,414,322	26,655,528	18.92	2,874,441	3,308,570	15.1	12.4	3.92
4	बिहार	86,374,465	82,998,509	-	6,616,914	758,351	-	0.9	0.9
5	छत्तीसगढ़*	-	20,833,803	-	-	6,616,596	-	31.8	7.85
6	गोवा	1,169,793	1,347,668	15.21	376	566	50.53	-	0.001
7	गुजरात	41,309,582	50,671,017	22.66	6,161,775	7,481,160	21.41	14.8	8.87
8	हरियाणा	16,463,648	21,144,564	28.43	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	6,077,900	17.54	218,349	244,587	12.02	4	0.29
10	जम्मू और कश्मीर	-	10,143,700			1,105,979		10.9	1.31
11	झारखंड*	-	26,945,829	-	-	7,087,068	-	26.3	8.4
12	कर्नाटक	44,977,201	52,850,562	17.51	1,915,691	3,463,986	80.82	6.6	4.11
13	केरल	29,098,518	31,841,374	9.43	320,967	364,189	13.47	1.1	0.43
14	मध्य प्रदेश	66,181,170	60,348,023	-	15,399,034	12,233,474	-	20.3	14.51
15	महाराष्ट्र	78,937,187	96,878,627	22.73	7,318,281	8,577,276	17.2	8.9	10.17
16	मणिपुर	1,837,149	2,166,788	17.94	632,173	741,141	17.24	34.2	0.88
17	मेधालय	1,774,778	2,318,822	30.65	1,517,927	1,992,862	31.29	85.9	2.36
18	मिज़ोरम	689,756	888,573	28.82	653,565	839,310	28.42	94.5	1
19	नागालैंड	1,209,546	1,990,036	64.53	1,060,822	1,774,026	67.23	89.1	2.1
20	ओड़िसा	31,659,736	36,804,660	16.25	7,032,214	8,145,081	15.83	22.1	9.66
21	पंजाब	20,281,969	24,358,999	20.1	-	-	-	-	-
22	राजस्थान	44,005,990	56,507,188	28.41	5,474,881	7,097,706	29.64	12.6	8.42
23	सिक्किम	406,457	540,851	33.06	90,901	111,405	22.56	20.6	0.13
24	तमिलनाडु	55,858,946	62,405,679	11.72	574,194	651,321	13.43	1	0.77
25	त्रिपुरा	2,757,205	3,199,203	16.03	853,345	993,426	16.42	31.1	1.18
26	उत्तराखंड*	-	8,489,349	-	-	256,129	-	3	0.3
27	उत्तर प्रदेश	139,112,287	166,197,921		287,901	107,963	-	0.1	0.13
28	पश्चिम बंगाल	68,077,965	80,176,197	17.77	3,808,760	4,406,794	15.7	5.5	5.23
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	280,661	356,152	26.9	26.770	29,469	10.08	8.3	0.03
30	चंडिगढ़	642,015	900,635	40.28	-	-	-	-	-
31	दादर और नगर हवेली	138,477	220,490	59.22	109,380	137,225	25.46	62.2	0.16
32	दमन एवं दीव	101,586	158,204	55.73	11,724	13,997	19.39	8.8	0.017
33	दिल्ली	9,420,644	13,850,507	47.02	-	-	-	-	-
34	लक्षद्वीप	51,707	60,650	17.3	48,163	57,321	19.01	94.5	0.07
35	पुदुचेरी	807,785	974,345	20.62	-	-	-	-	-

* मध्य प्रदेश बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन किया गया था।

अनुलग्नक-6ख :

शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)

क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना			2001 की जनगणना		
		कुल	सामान्य	अ.ज.जा	कुल	सामान्य	अ.ज.जा
	भारत [1,2]	945	940	985	927	919	972
1.	आंध्र प्रदेश	975	972	978	961	957	972
2.	अरूणाचल प्रदेश	982	993	976	904	940	976
3.	असम	975	973	990	965	966	962
4.	बिहार	953	950	983	942	938	975
5.	छत्तीसगढ़*	984	978	996	975	962	998
6.	गोवा	964	964	1122	938	937	915
7.	गुजरात	928	916	988	883	865	966
8.	हरियाणा	879	875	एन.एस.टी.	819	807	एन.एस.टी.
9.	हिमाचल प्रदेश	951	945	966	896	876	955
10.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	941	939	979
11.	झारखंड*	979	973	993	965	955	979
12.	कर्नाटक	960	957	970	946	941	961
13.	केरल	958	957	961	960	961	974
14.	मध्य प्रदेश	941	929	987	932	915	979
15.	महाराष्ट्र	946	940	982	913	903	965
16.	मणिपुर	974	979	968	957	955	959
17.	मेधालय	986	949	991	973	963	974
18.	मिज़ोरम	969	988	969	964	909	966
19.	नागालैंड	993	916	1003	964	919	969
20.	ओड़िसा	967	951	998	953	938	979
21.	पंजाब	875	865	एन.एस.टी.	798	767	एन.एस.टी.
22.	राजस्थान	916	910	958	909	897	950
23.	सिक्किम	965	960	973	963	963	964
24.	तमिलनाडु	948	943	955	942	937	945
25.	त्रिपुरा	967	954	984	966	956	981
26.	उत्तराखंड*	949	945	973	908	899	955
27.	उत्तर प्रदेश	927	926	967	916	911	973
28.	पश्चिम बंगाल	967	967	983	960	958	981
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	973	981	897	957	957	956
30.	चंडिगढ़	899	889	एन.एस.टी.	845	834	एन.एस.टी.
31.	दादर और नगर हवेली	1013	1005	1018	979	911	1009
32.	दमन एवं दीव	958	966	911	926	923	983
33.	दिल्ली	915	912	एन.एस.टी.	868	861	एन.एस.टी.
34.	लक्षद्वीप	941	1138	936	959	1057	957
35.	पुदुचेरी	963	962	एन.एस.टी.	967	962	एन.एस.टी.

1. 2001 से जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं कराई गई थी।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारम एवं पुरुल उप-मंडल शामिल नहीं है।

- कुल में सामान्य, अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा अनुसूचित जाति (अ.जा.) की जनसंख्या शामिल है।
- उ.न. - उपलब्धा नहीं
- एनएसटी - राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नही।
- सामान्य - अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या के अलावा।

अनुलग्नक-6ग :

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा दोनों की साक्षरता की दरों में अंतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र#	साक्षरता दर- 1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर -2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.ज.जा.		कुल	अ.ज.जा.	
	भारत	52.2	29.6	22.6	64.8	47.1	17.7
01.	आंध्र प्रदेश	44.1	17.2	26.9	60.5	37.0	23.4
02.	अरूणाचल प्रदेश	41.6	34.4	7.2	54.3	49.6	4.7
03.	असम	52.9	49.2	3.7	63.3	62.5	0.8
04.	बिहार	37.5	18.9	18.6	47.0	28.2	18.8
05.	छत्तीसगढ़	42.9	26.7	16.2	64.7	52.1	12.6
06	गोवा	75.5	42.9	32.6	82.0	55.9	26.1
07	गुजरात	61.3	36.4	24.9	69.1	47.7	21.4
08	हरियाणा	55.8	एन.एस.टी.	-	67.9	एन.एस.टी.	-
09.	हिमाचल प्रदेश	63.9	47.1	16.8	76.5	65.5	11.0
10.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	55.5	37.5	18.0
11.	झारखंड	41.4	27.5	13.9	53.6	40.7	12.9
12.	कर्नाटक	56.0	36.0	20.0	66.6	48.3	18.3
13.	केरल	89.8	57.2	32.6	90.9	64.4	26.5
14.	मध्य प्रदेश	44.7	18.4	26.3	63.7	41.2	22.5
15.	महाराष्ट्र	64.9	36.8	28.1	76.9	55.2	21.7
16.	मणिपुर	59.9	53.6	6.3	70.5	65.9	4.6
17.	मेधालय	49.1	46.7	2.4	62.6	61.3	1.3
18.	मिज़ोरम	82.3	82.7	0.4	88.8	89.3	0.5
19.	नागालैंड	61.6	60.6	1.0	66.6	65.9	0.7
20.	ओड़िसा	49.1	22.3	26.8	63.1	37.4	25.7
21.	पंजाब	58.8	NST	-	69.7	एन.एस.टी.	-
22.	राजस्थान	38.6	19.4	19.2	60.4	44.7	15.7
23.	सिक्किम	56.9	59.0	2.1	68.8	67.1	1.7
24.	तमिलनाडु	62.7	27.9	34.8	73.5	41.5	32.0
25.	त्रिपुरा	60.4	40.4	20.0	73.2	56.5	16.7
26.	उत्तराखंड	57.8	41.2	16.6	71.6	63.2	8.4
27.	उत्तर प्रदेश	40.7	20.0	20.7	56.3	35.1	21.2
28.	पश्चिम बंगाल	57.7	27.8	29.9	68.6	43.4	25.2
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह#	73.0	56.6	16.4	81.3	66.8	14.5
30.	चंडिगढ़#	77.8	एन.एस.टी.	-	81.9	एन.एस.टी.	-
31.	दादर और नगर हवेली	40.7	28.2	12.5	57.6	41.2	16.4
32	दमन एवं दीव	71.2	52.9	18.3	78.2	63.4	14.8
33.	दिल्ली#	75.3	NST	-	81.7	NST	-
34.	लक्षद्वीप	81.8	80.6	1.2	86.7	86.1	0.6
35.	पुदुचेरी#	74.7	एन.एस.टी.	-	81.2	एन.एस.टी.	-

स्रोत : जनगणना 2001

1. जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जहां 1991 में जनगणन नहीं हुई।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर।

एनएसटी-राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधि सूचित नहीं।

अनुलग्नक 6घ :

बैंक खाताधारी तथा कुछ सचल परिसंपत्तियों वाले अनुसूची जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता अनुसुची जनजाति तथा सभी सामाजिक समूह की एक तुलनात्मक तस्वीर

	बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार		टेलीविज़न		बाईसाइकिल		कम्प्यूटर/ लैपटॉप		केवल मोबाईल फोन		लैन्डलाईन तथा मोबाईल-दोनो		दूपहिया		चौपहिया		टीवी, कम्प्यूटर/ टेलीफोन/ मोबाईलफोन तथा स्कूटर/कार वाले परिवार		जिनके पास कुछ नहीं है	
क्षेत्र का नाम	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी	अ.ज. जा.	सभी
भारत	**44.98**	**58.7**	**21.9**	**47.2**	**36.4**	**44.8**	**4.4**	**6.3**	**31.1**	**53.2**	**1.8**	**6.0**	**9.0**	**21.0**	**1.6**	**4.7**	**1.3**	**4.6**	**37.3**	**17.8**
जम्मू और कश्मीर	54.60	70.0	17.4	51.0	1.9	10.3	3.9	5.5	33.6	59.3	3.7	6.6	2.8	12.9	3.5	7.5	0.8	3.8	37.5	17.3
हिमाचल प्रदेश	89.10	89.1	68.2	74.4	5.9	9.5	5.7	5.6	63.4	61.5	10.4	13.4	11.4	15.5	8.3	8.3	2.9	4.1	11.8	8.9
उत्तराखंड	80.39	80.7	58.5	62.0	46.4	31.3	7.6	7.8	63.5	64.8	4.6	6.6	20.6	22.9	4.2	6.2	3.7	6.3	11.7	13.8
राजस्थान	65.97	68.0	14.0	37.6	19.6	28.6	3.5	5.1	41.1	62.5	1.3	5.6	12.6	24.1	1.4	4.7	0.0	3.6	46.2	21.2
उत्तर प्रदेश	67.62	72.0	31.2	33.2	62.3	67.8	8.9	6.2	53.3	61.2	2.6	2.4	15.5	19.6	3.5	3.8	3.2	2.8	15.1	11.4
बिहार	35.54	44.4	9.7	14.5	48.0	48.7	7.5	6.2	40.8	51.6	1.8	1.6	5.2	8.1	1.2	1.7	0.7	1.0	30.5	25.6
सिक्किम	67.95	67.5	52.3	54.7	0.9	0.9	7.3	8.2	64.2	67.7	3.1	3.5	3.0	2.8	9.2	8.3	3.9	3.9	21.6	18.2
अरूणाचल प्रदेश	55.46	53.0	37.7	41.1	11.8	19.5	6.2	6.2	36.6	39.8	5.4	5.6	16.6	14.0	9.8	7.9	3.9	3.6	36.6	30.7
नागालैंड	33.76	34.9	35.9	37.9	6.3	7.9	7.0	7.2	46.7	48.6	2.9	3.2	6.3	6.3	8.3	7.8	3.3	3.3	34.7	32.3
मणिपुर	24.84	29.6	30.0	47.4	18.8	44.6	6.6	6.9	37.5	52.3	2.0	2.2	9.3	19.8	3.7	6.0	2.2	3.8	32.7	17.2
मिज़ोरम	54.94	54.9	55.4	55.1	4.3	4.3	12.6	12.7	63.7	63.9	7.2	7.2	14.1	13.8	7.3	7.3	7.8	7.7	19.1	19.0
त्रिपुरा	70.72	79.2	27.6	44.9	24.5	39.3	5.8	6.3	28.1	42.7	1.7	3.3	4.6	8.2	1.1	2.2	0.7	1.5	44.7	27.8
मेघालय	34.71	37.5	30.4	33.7	13.4	13.3	5.4	6.1	36.3	39.1	1.6	2.4	5.0	5.4	5.1	5.4	2.1	2.5	37.9	35.8
असम	40.60	44.1	24.2	27.5	64.2	55.0	7.0	7.7	40.8	43.4	1.7	2.3	8.8	10.2	2.7	3.8	1.6	2.6	18.6	23.6
पश्चिम बंगाल	38.19	48.8	16.3	35.3	52.6	57.2	5.2	6.1	23.8	42.9	1.3	4.0	3.5	8.5	0.9	2.2	0.6	2.0	33.1	22.8
झारखंड	41.91	53.9	11.3	26.8	62.9	58.8	3.9	5.4	23.8	44.1	0.9	1.9	7.5	16.1	0.9	2.8	0.8	2.9	27.2	21.0
उड़ीसा	35.00	45.0	7.6	26.7	55.7	61.0	2.6	3.7	16.1	35.6	0.7	2.4	4.6	14.5	0.5	1.8	0.3	2.1	36.7	25.5
छत्तीसगढ़	46.16	48.8	13.6	31.3	56.9	61.0	2.1	3.4	14.2	27.2	0.7	2.0	6.7	15.6	0.5	2.2	0.5	2.6	35.8	27.1
मध्य प्रदेश	41.54	46.6	9.7	32.1	27.6	39.7	3.0	4.5	17.9	40.6	0.7	3.0	5.6	18.8	0.4	2.7	0.4	2.8	56.0	32.6
गुजरात	38.60	57.9	24.8	53.8	29.7	34.8	3.1	5.7	38.9	58.6	1.6	7.1	16.1	34.1	1.7	6.1	1.2	6.3	39.8	18.7
दमन एवं दीव	66.89	65.4	66.9	61.0	45.9	30.4	3.0	6.5	68.9	76.0	2.1	6.3	33.8	31.4	3.1	5.9	2.2	6.0	10.7	7.6
दादर नगर हवेली	38.50	56.7	31.7	47.2	24.9	24.4	2.9	5.5	34.1	57.3	1.4	3.3	19.6	25.5	2.7	5.7	1.1	5.0	42.9	24.8
महाराष्ट्र	47.95	68.9	30.2	56.8	22.7	30.5	4.9	7.5	32.8	53.7	3.0	9.1	10.5	24.9	1.6	5.9	2.1	7.2	43.0	19.0
आंध्र प्रदेश	42.60	53.1	35.2	58.8	22.8	32.1	5.3	5.8	40.7	54.9	1.4	4.1	8.9	18.6	1.1	2.7	1.2	3.9	36.4	19.4
कर्नाटक	47.37	61.1	44.2	60.0	30.4	33.9	6.4	8.0	49.2	56.5	3.3	8.1	13.9	25.6	2.3	6.3	2.2	7.0	23.9	14.3
गोवा	81.22	86.8	65.1	81.1	21.1	24.6	16.1	18.4	56.0	53.8	12.9	23.3	44.8	56.9	9.7	24.6	9.7	22.2	9.9	4.6
लक्षद्वीप	85.34	85.3	64.9	64.0	85.2	84.3	11.0	11.0	44.6	46.5	40.3	39.0	39.9	38.4	2.3	2.3	8.1	7.9	2.0	1.9
केरल	54.71	74.2	39.6	76.8	7.4	20.4	5.7	9.5	46.3	46.8	11.4	31.3	7.7	24.1	3.0	10.2	2.4	8.6	23.5	4.8
तमिलनाडु	37.98	52.5	81.0	87.0	32.9	45.2	7.3	6.4	52.8	62.1	4.0	7.1	21.9	32.3	2.6	4.3	4.6	6.3	8.7	5.1
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	92.33	89.3	45.1	68.5	46.7	18.3	1.9	5.3	56.5	72.1	1.4	8.5	23.2	24.7	2.9	6.9	1.2	5.5	11.9	8.1

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 6ड. :
अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत							
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर प्रकाश		अन्य	
	अ.अ.जा.	सभी	अ.अ. जा.	सभी	अ.अ. जा.	सभी	अ.अ. जा.	सभी	अ.अ. जा.	सभी
भारत	**23,329,105.00**	**246,692,667.00**	**51.7**	**67.2**	**45.6**	**31.4**	**1.1**	**0.4**	**1.6**	**0.9**
जम्मू और कश्मीर	262,419.00	2,015,088.00	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1.0	12.9	4.1
हिमाचल प्रदेश	92,017.00	1,476,581.00	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1	0.4	0.3
उत्तराखंड	63,322.00	1,997,068.00	83.7	87.0	13.6	11.1	1.9	1.2	0.8	0.7
राजस्थान	1,836,014.00	12,581,303.00	39.7	67.0	57.7	30.9	0.9	0.6	1.7	1.5
उत्तर प्रदेश	512,649.00	32,924,266.00	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5	1.4	0.8
बिहार	423,568.00	18,940,629.00	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6	0.9	0.6
सिक्किम	46,013.00	128,131.00	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2	0.8	0.7
अरूणाचल प्रदेश	172,913.00	261,614.00	66.2	65.7	12.3	18.5	4.0	2.9	17.5	13.0
नागालैंड	349,022.00	399,965.00	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3	2.6	2.5
मणिपुर	173,757.00	507,152.00	57.8	68.3	32.0	25.1	4.9	1.9	5.3	4.6
मिज़ोरम	211,626.00	221,077.00	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3	0.9	0.9
त्रिपुरा	259,322.00	842,781.00	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9	0.7	0.6
मेघालय	456,683.00	538,299.00	59.2	60.9	38.6	37.0	0.8	0.8	1.4	1.3
असम	887,226.00	6,367,295.00	28.0	37.0	69.3	61.8	2.1	0.8	0.6	0.4
पश्चिम बंगाल	1,273,423.00	20,067,299.00	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2	1.1	0.8
झारखंड	1,718,359.00	6,181,607.00	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7	0.4	0.4
उड़ीसा	2,240,142.00	9,661,085.00	15.6	43.0	82.3	55.3	0.6	0.4	1.5	1.3
छत्तीसगढ़	1,747,575.00	5,622,850.00	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9	1.0	0.6
मध्य प्रदेश	3,213,683.00	14,967,597.00	54.0	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3	0.8	0.5
गुजरात	1,837,844.00	12,181,718.00	80.0	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1	2.0	1.4
दमन एवं दीव	3,334.00	60,381.00	96.6	99.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.8	0.1
दादर नगर हवेली	33,367.00	73,063.00	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0.0	0.7	0.4
महाराष्ट्र	2,445,645.00	23,830,580.00	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2	2.8	1.4
आंध्र प्रदेश	1,560,035.00	21,024,534.00	80.0	92.2	18.2	6.9	0.4	0.3	1.3	0.7
कर्नाटक	936,995.00	13,179,911.00	83.6	90.6	15.0	8.6	0.4	0.2	1.0	0.6
गोवा	33,662.00	322,813.00	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2	1.1	0.5
लक्षद्वीप	10,028.00	10,703.00	99.7	99.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
केरल	136,006.00	7,716,370.00	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2	0.5	0.2
तमिलनाडु	384,713.00	18,493,003.00	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1	1.3	0.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7,743.00	93,376.00	94.0	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1	2.1	0.8

स्रोतः जनगणना 2011

अनुलग्नक 6च :

ऐसे परिवारों की प्रतिशतता जिनके आवास परिसरों में शौचालय तथा स्नान घर की सुविधाएं हैं

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मैला ढोने वालों की प्रतिशतता		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच जाने वाले		आवास के अंदर शौचालय तथा स्नान घर की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		गन्दे पानी की निकासी (ढके हुए नालों के साथ) जुड़ी हुई है	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
भारत	**23,329,105**	**246,692,667**	**22.6**	**46.9**	**0.1**	**0.3**	**77.4**	**53.1**	**74.7**	**49.8**	**17.3**	**42.0**	**6.1**	**18.1**
जम्मू और कश्मीर	262,419	2,015,088	26.7	51.2	5.2	8.9	73.3	48.8	71.1	46.1	23.7	52.4	3.5	12.6
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	62.0	69.1	0.2	0.0	38.0	30.9	36.7	29.7	57.0	67.5	21.5	24.8
उत्तराखंड	63,322	1,997,068	46.1	65.8	0.1	0.2	53.9	34.2	51.5	33.1	42.5	60.5	14.4	19.0
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	7.9	35.0	0.0	0.0	92.1	65.0	91.7	64.3	7.5	36.8	2.7	10.7
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	35.5	35.6	0.5	1.0	64.5	64.4	62.3	63.0	27.3	29.0	14.7	12.9
बिहार	423,568	18,940,629	13.7	23.1	0.1	0.1	86.3	76.9	85.0	75.8	7.0	11.3	4.4	6.7
सिक्किम	46,013	128,131	85.9	87.2	0.0	0.0	14.1	12.8	12.8	11.3	61.8	65.1	12.1	14.6
अरूणाचल प्रदेश	172,913	261,614	58.4	62.0	0.4	0.4	41.6	38.0	38.8	34.8	24.7	29.0	5.2	6.0
नागालैंड	349,022	399,965	74.8	76.5	0.2	0.2	25.2	23.5	17.8	16.5	51.2	52.4	4.2	4.8
मणिपुर	173,757	507,152	82.3	89.3	0.9	2.0	17.7	10.7	16.4	8.9	27.3	31.1	3.7	4.1
मिज़ोरम	211,626	221,077	91.9	91.9	0.1	0.1	8.1	8.1	6.6	6.6	65.4	65.2	12.9	13.1
त्रिपुरा	259,322	842,781	63.7	86.0	0.2	0.1	36.3	14.0	30.3	11.5	6.6	18.9	1.7	3.7
मेघालय	456,683	538,299	61.0	62.9	0.4	0.4	39.0	37.1	36.2	34.3	30.7	33.3	4.5	5.7
असम	887,226	6,367,295	43.3	64.9	0.2	0.3	56.7	35.1	54.0	33.2	13.8	24.5	2.0	3.6
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	24.4	58.8	0.3	0.6	75.6	41.2	73.2	38.6	9.6	27.1	3.0	9.2
झारखंड	1,718,359	6,181,607	8.3	22.0	0.0	0.0	91.7	78.0	90.8	77.0	5.2	16.5	1.8	7.2
उड़ीसा	2,240,142	9,661,085	7.1	22.0	0.1	0.3	92.9	78.0	91.6	76.6	3.4	14.1	1.1	4.3
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	14.8	24.6	0.0	0.0	85.2	75.4	84.6	74.0	4.1	14.8	1.9	5.3
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	8.5	28.8	0.0	0.0	91.5	71.2	90.9	70.0	5.4	25.8	1.9	9.8
गुजरात	1,837,844	12,181,718	24.3	57.3	0.0	0.0	75.7	42.7	73.5	40.4	19.9	56.5	10.8	37.3
दमन एवं दीव	3,334	60,381	36.9	78.2	0.0	0.0	63.1	21.8	54.1	10.5	40.0	70.7	22.7	39.0
दादर नगर हवेली	33,367	73,063	16.9	54.7	0.2	0.2	83.1	45.3	80.8	40.0	14.2	51.7	4.2	27.0
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	30.1	53.1	0.0	0.0	69.9	46.9	59.7	34.0	37.2	64.3	15.7	33.2
आंध्र प्रदेश	1,560,035	21,024,534	19.5	49.6	0.0	0.0	80.5	50.4	78.0	48.0	19.4	50.6	8.4	21.6
कर्नाटक	936,995	13,179,911	28.7	51.2	0.0	0.1	71.3	48.8	66.9	45.0	56.7	74.8	13.7	26.1
गोवा	33,662	322,813	59.9	79.7	0.0	0.0	40.1	20.3	36.3	16.4	52.2	81.4	17.0	43.7
लक्षद्वीप	10,028	10,703	98.3	97.8	0.0	0.0	1.7	2.2	1.5	1.8	96.6	96.0	10.5	11.4
केरल	136,006	7,716,370	71.4	95.2	0.0	0.0	28.6	4.8	25.7	3.8	41.5	81.2	9.2	25.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	34.7	48.3	0.1	0.1	65.3	51.7	60.3	45.7	34.3	49.9	21.1	25.4
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7,743	93,376	88.2	70.1	0.0	0.0	11.8	29.9	11.5	27.5	85.1	63.5	9.5	7.4

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 6छ :
परिवारों की प्रतिशतता तथा उनके जनगणना मकान की स्थिति

		सभी				अनुसूचित जनजातियां			
राज्य कोड	क्षेत्र का नाम	कुल मकान	अच्छे मकान	परिसर के अंदर शौचालय सुविधा वाले मकानों का %	मकान के अंदर अलग रसोईघर वाले मकानों का %	कुल मकान	अच्छे मकान	परिसर के अंदर शौचालय सुविधा वाले मकानों का %	मकान के अंदर अलग रसोईघर वाले मकानों का %
00	**India**	**246,692,667**	**53.1**	46.9	61.3	**23,329,105**	**40.6**	22.6	53.7
01	जम्मू और कश्मीर	2,015,088	54.1	51.2	85.7	262,419	32.8	26.7	73.6
02	हिमाचल प्रदेश	1,476,581	72.4	69.1	88.2	92,017	68.4	62.0	85.4
05	उत्तराखंड	1,997,068	66.8	65.8	70.1	63,322	58.2	46.1	74.3
08	राजस्थान	12,581,303	51.0	35.0	50.8	1,836,014	31.3	7.9	22.1
09	उत्तर प्रदेश	32,924,266	42.8	35.6	40.7	512,649	40.6	35.5	43.0
10	बिहार	18,940,629	36.1	23.1	33.5	423,568	30.6	13.7	34.4
11	सिक्किम	128,131	56.5	87.2	90.2	46,013	54.7	85.9	91.7
12	अरूणाचल प्रदेश	261,614	51.8	62.0	89.2	172,913	54.5	58.4	89.4
13	नागालैंड	399,965	52.4	76.5	96.0	349,022	52.9	74.8	96.8
14	मणिपुर	507,152	54.1	89.3	93.3	173,757	39.2	82.3	88.3
15	मिज़ोरम	221,077	62.3	91.9	83.8	211,626	62.4	91.9	83.7
16	त्रिपुरा	842,781	54.2	86.0	85.9	259,322	52.7	63.7	75.9
17	मेघालय	538,299	48.1	62.9	90.7	456,683	47.8	61.0	91.2
18	असम	6,367,295	32.8	64.9	88.3	887,226	32.4	43.3	89.4
19	पश्चिम बंगाल	20,067,299	40.9	58.8	60.9	1,273,423	27.5	24.4	48.2
20	झारखंड	6,181,607	43.4	22.0	39.4	1,718,359	36.6	8.3	34.5
21	उड़ीसा	9,661,085	29.5	22.0	62.9	2,240,142	19.1	7.1	59.6
22	छत्तीसगढ़	5,622,850	46.6	24.6	56.1	1,747,575	43.1	14.8	54.9
23	मध्य प्रदेश	14,967,597	52.3	28.8	46.8	3,213,683	38.8	8.5	36.6
24	गुजरात	12,181,718	67.3	57.3	72.3	1,837,844	51.2	24.3	65.0
25	दमन एवं दीव	60,381	68.1	78.2	65.9	3,334	57.4	36.9	83.0
26	दादर नगर हवेली	73,063	66.7	54.7	84.4	33,367	54.4	16.9	84.8
27	महाराष्ट्र	23,830,580	64.1	53.1	72.7	2,445,645	48.0	30.1	60.4
28	आंध्र प्रदेश	21,024,534	69.7	49.6	54.2	1,560,035	57.8	19.5	37.8
29	कर्नाटक	13,179,911	60.1	51.2	89.3	936,995	50.0	28.7	82.8
30	गोवा	322,813	76.1	79.7	92.9	33,662	68.6	59.9	90.2
31	लक्षद्वीप	10,703	78.7	97.8	95.5	10,028	78.9	98.3	96.6
32	केरल	7,716,370	66.3	95.2	96.7	136,006	38.4	71.4	89.6
33	तमिलनाडु	18,493,003	70.2	48.3	76.5	384,713	59.8	34.7	64.3
34	पुदुचेरी	301,276	75.0	68.4	77.5	-	-	-	-
35	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	93,376	66.5	70.1	94.1	7,743	86.5	88.2	97.9

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 6ज :
आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या (अ.ज.जा)	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं देने वाले ईंधन का प्रकार		खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं रहित ईंधन का प्रकार	
			जलावन लकड़ी/ फसल के अवशेष/ गोबर के उपले/ कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (सभी)	जलावन लकड़ी/ फसल के अवशेष/ गोबर के उपले/ कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (अ.ज.जा.)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/ पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अखिल भारत)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/ पीएनजी/बिजली/ खाना नहीं पकाना (अ.ज.जा.)
भारत	215,412,336	20,472,827	63.99	87.50	35.58	12.00
जम्मू और कश्मीर	1,781,204	233,272	63.21	87.47	36.63	12.35
हिमाचल प्रदेश	1,294,827	83,703	56.65	62.08	43.33	37.90
उत्तराखंड	1,757,046	45,225	48.82	57.82	51.14	42.11
राजस्थान	10,862,876	1,564,459	72.89	93.87	27.06	6.06
उत्तर प्रदेश	29,938,454	462,693	78.46	76.18	21.43	23.66
बिहार	15,425,093	332,555	88.66	92.81	10.23	6.29
सिक्किम	94,071	33,253	42.21	49.57	57.76	50.41
अरूणाचल प्रदेश	249,360	165,776	69.42	76.05	30.53	23.91
नागालैंड	366,130	319,607	78.94	83.28	20.97	16.66
मणिपुर	463,270	152,216	67.58	83.71	31.78	16.15
मिज़ोरम	217,960	208,819	44.94	45.51	55.01	54.44
त्रिपुरा	763,705	229,004	80.09	93.25	19.82	6.67
मेघालय	425,544	358,584	78.81	85.00	21.09	14.91
असम	4,972,750	714,556	76.08	87.14	23.73	12.82
पश्चिम बंगाल	17,522,869	1,024,489	74.60	88.33	22.88	8.12
झारखंड	5,807,476	1,610,498	86.42	95.29	12.98	4.18
उड़ीसा	7,836,340	1,970,227	84.66	95.46	13.69	2.37
छत्तीसगढ़	5,331,269	1,668,789	87.38	96.64	12.54	3.33
मध्य प्रदेश	14,338,709	3,088,474	79.42	95.90	20.53	4.07
गुजरात	10,426,250	1,710,189	46.79	84.78	53.16	15.16
दमन एवं दीव	56,625	2,930	10.18	46.38	89.68	53.58
दादर नगर हवेली	70,851	32,027	40.65	84.60	59.34	15.39
महाराष्ट्र	21,818,504	2,257,600	45.43	75.27	54.45	24.61
आंध्र प्रदेश	14,972,999	885,160	46.63	76.64	53.24	23.20
कर्नाटक	12,567,276	863,390	59.52	80.17	40.39	19.73
गोवा	311,133	31,449	21.06	54.25	78.89	45.71
लक्षद्वीप	7,325	6,824	59.88	61.33	40.10	38.66
केरल	7,421,600	123,436	62.20	88.39	37.76	11.57
तमिलनाडु	15,034,329	287,746	35.02	53.54	64.93	46.42
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	81,190	5,877	27.77	45.67	72.19	54.33

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 6झ :
आवास के अंदर खाना पकाने वाले परिवार तथा प्रयुक्त ईंधन का प्रकार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की कुल संख्या	परिवारों की कुल संख्या (अ.ज.जा)	खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं देने वाले ईंधन का प्रकार		खाना पकाने के लिए प्रयुक्त धुआं रहित ईंधन का प्रकार	
			जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (सभी)	जलावन लकड़ी/फसल के अवशेष/गोबर के उपले/कोयला, लिग्नाइट, चारकोल (अ.ज.जा.)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अखिल भारत)	मिट्टी का तेल/एलपीजी/पीएनजी/बिजली/खाना नहीं पकाना (अ.ज.जा.)
भारत	30,483,366	2,806,047	91.90	95.62	7.21	3.34
जम्मू और कश्मीर	229,925	28,920	85.90	94.69	13.73	5.27
हिमाचल प्रदेश	177,451	7,858	75.87	78.77	24.11	21.23
उत्तराखंड	234,784	17,955	86.92	89.94	13.04	10.01
राजस्थान	1,690,987	268,233	96.23	98.68	3.68	1.26
उत्तर प्रदेश	2,914,445	48,407	95.32	94.68	4.47	4.88
बिहार	3,481,309	90,074	96.33	96.93	2.03	1.39
सिक्किम	33,318	12,606	86.12	87.63	13.85	12.35
अरूणाचल प्रदेश	11,458	6,759	74.66	69.98	25.19	29.81
नागालैंड	32,882	28,776	80.12	81.13	19.81	18.81
मणिपुर	43,424	21,428	86.80	94.36	12.85	5.60
मिज़ोरम	2,803	2,534	75.17	75.10	24.79	24.86
त्रिपुरा	78,437	30,165	95.55	97.13	4.35	2.66
मेघालय	111,808	97,439	96.83	97.35	3.10	2.61
असम	1,369,978	170,171	93.43	94.44	5.64	5.45
पश्चिम बंगाल	2,487,577	246,404	92.04	92.85	3.61	2.29
झारखंड	366,028	106,372	96.32	97.70	2.55	1.25
उड़ीसा	1,797,070	265,930	94.14	94.50	2.31	0.78
छत्तीसगढ़	280,521	75,676	98.00	99.02	1.90	0.91
मध्य प्रदेश	601,616	122,420	95.41	98.73	4.46	1.24
गुजरात	1,709,038	123,491	90.42	94.93	9.52	4.99
दमन एवं दीव	2,323	380	79.42	81.58	20.28	18.42
दादर और नगर हवेली	1,604	1,238	76.31	91.84	23.63	8.08
महाराष्ट्र	1,831,952	176,336	90.59	94.70	9.22	5.04
आंध्र प्रदेश	5,979,045	670,730	91.17	96.99	8.75	2.94
कर्नाटक	568,040	71,283	91.46	96.60	8.42	3.29
गोवा	9,442	2,036	56.87	79.32	42.95	20.43
लक्षद्वीप	3,110	3,023	85.18	85.21	14.82	14.79
केरल	274,269	12,045	84.60	97.42	15.34	2.52
तमिलनाडु	3,379,842	95,562	87.00	91.05	12.95	8.82
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10,922	w1,796	86.60	89.81	13.21	10.19

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 6ञ :

पेय जल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति द्वारा परिवार

क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या (सभी)			अ.ज.जा. परिवारों की कुल संख्या		
	आवास के अन्दर	आवास के निकट	दूर	आवास के अन्दर	आवास के निकट	दूर
भारत	46.6	35.8	17.6	19.7	46.7	33.6
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरूणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर और नगर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन और द्विव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू और कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखंड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्यप्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	14.3	51.0	34.6
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिज़ोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओड़िसा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुदुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखंड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चीम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत: जनगणना 2011

अनुलग्नक 6ट :
पेय जल के मुख्य स्रोत की द्वारा परिवार

क्षेत्र का नाम	परिवारों की सभी श्रेणियाँ				अनुसूचित जनजाति के परिवार			
	परिवारों की कुल संख्या	उपचारित नल का पानी, हैंडपम्प इत्यादि	अन उपचारित जल, ढके हुए कुए, बोल वेल/ बोरहोल इत्यादि	बिना ढके कुए, झरना, नदि/ नहर, तालब/ पोखर/झील, अन्य स्रोत इत्यादि	परिवारों की कुल संख्या	उपचारित नल का पानी, हैंडपम्प इत्यादि	अन उपचारित जल, ढके हुए कुए, बोल वेल/बोरहोल इत्यादि	बिना ढके कुए, झरना, नदि/ नहर, तालब/ पोखर/झील, अन्य स्रोत इत्यादि
भारत	246,692,667	65.46	21.62	12.92	23,329,105	53.82	19.58	26.60
जम्मू और कश्मीर	2,015,088	46.06	32.56	21.38	262,419	19.73	33.46	46.80
हिमाचल प्रदेश	1,476,581	87.53	7.76	4.71	92,017	86.35	9.05	4.60
पंजाब	5,409,699	65.80	31.99	2.21	-	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	235,061	95.47	3.92	0.60	-	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	1,997,068	75.95	16.96	7.09	63,322	77.69	17.50	4.80
हरियाणा	4,717,954	67.89	26.61	5.50	-	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3,340,538	80.53	14.59	4.89	-	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	12,581,303	57.30	21.97	20.73	1,836,014	59.21	14.86	25.93
उत्तर प्रदेश	32,924,266	85.15	10.56	4.30	512,649	79.61	11.79	8.61
बिहार	18,940,629	89.67	4.99	5.34	423,568	81.43	6.76	11.82
सिक्किम	128,131	29.21	56.57	14.22	46,013	25.56	58.49	15.95
अरूणाचल प्रदेश	261,614	37.07	42.89	20.04	172,913	31.74	46.39	21.87
नागालैंड	399,965	8.25	52.11	39.65	349,022	7.31	53.00	39.68
मणिपुर	507,152	32.04	16.16	51.80	173,757	17.27	34.33	48.40
मिज़ोरम	221,077	40.26	22.13	37.61	211,626	39.91	22.41	37.68
त्रिपुरा	842,781	38.39	32.03	29.58	259,322	19.98	21.82	58.20
मेघालय	538,299	30.62	21.01	48.37	456,683	26.66	21.25	52.09
असम	6,367,295	59.31	12.22	28.47	887,226	46.23	12.32	41.45
पश्चीम बंगाल	20,067,299	71.17	21.71	7.11	1,273,423	56.67	22.30	21.03
झारखंड	6,181,607	53.76	8.28	37.96	1,718,359	49.92	4.79	45.29
ओड़िसा	9,661,085	51.43	26.06	22.51	2,240,142	46.97	24.18	28.85
छत्तीसगढ़	5,622,850	70.73	16.38	12.90	1,747,575	69.60	8.30	22.11
मध्यप्रदेश	14,967,597	63.52	15.55	20.93	3,213,683	64.55	7.15	28.30
गुजरात	12,181,718	51.46	41.09	7.45	1,837,844	57.32	27.51	15.16
दमन और दीव	60,381	60.06	39.16	0.79	3,334	72.41	26.48	1.11
दादर और नगर हवेली	73,063	50.47	42.55	6.98	33,367	46.25	39.40	14.35
महाराष्ट्र	23,830,580	66.20	19.43	14.37	2,445,645	53.45	21.62	24.93
आंध्र प्रदेश	21,024,534	62.71	28.30	9.00	1,560,035	52.29	31.22	16.50
कर्नाटक	13,179,911	46.76	41.79	11.46	936,995	39.99	49.07	10.94
गोवा	322,813	82.13	7.60	10.28	33,662	70.34	9.51	20.15
लक्षद्वीप	10,703	11.60	18.06	70.34	10,028	10.45	18.16	71.39
केरल	7,716,370	23.86	24.31	51.83	136,006	16.70	16.22	67.08
तमिलनाडु	18,493,003	60.44	33.34	6.22	384,713	52.28	33.89	13.83
पुदुचेरी	301,276	91.96	5.96	2.08	-	0.00	0.00	0.00
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	93,376	68.86	17.37	13.77	7,743	68.63	10.90	20.47

स्रोतः जनगणना 2011

अनुलग्नक 6ठ :

वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराध की घटना तथा दर

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाएं	कुल अखिल भारत की तुलना में प्रतिशतता	* जनसंख्या (लाख में) #	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार रैंक	अंश प्रतिशतता के अनुसार रैंक
	राज्य :						
1	आंध्र प्रदेश	805	14	846.65	1	8	3
2	अरूणाचल प्रदेश	34	0.6	13.83	2.5	1	14
3	असम	2	0	311.69	0	23	21
4	बिहार	97	1.7	1038.04	0.1	16	11
5	छत्तीसगढ़	336	5.8	255.4	1.3	6	5
6	गोवा	1	0	14.58	0.1	17	23
7	गुजरात	153	2.7	603.83	0.3	15	10
8	हरियाणा	0	0	253.53	0	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	4	0.1	68.57	0.1	18	19
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	125.49	0	-	-
11	झारखंड	309	5.4	329.66	0.9	9	7
12	कर्नाटक	285	5	611.31	0.5	13	8
13	केरल	231	4	333.88	0.7	11	9
14	मध्य प्रदेश	1284	22.3	725.98	1.8	4	1
15	महाराष्ट्र	321	5.6	1123.73	0.3	14	6
16	मणिपुर	1	0	27.22	0	20	22
17	मेघालय	0	0	29.64	0	-	-
18	मिज़ोरम	0	0	10.91	0	-	-
19	नागालैण्ड	0	0	19.81	0	-	-
20	उड़ीसा	484	8.4	419.47	1.2	7	4
21	पंजाब	0	0	277.04	0	-	-
22	राजस्थान	1263	21.9	686.21	1.8	3	2
23	सिक्किम	8	0.1	6.08	1.3	5	17
24	तमिलनाडु	23	0.4	721.39	0	21	16
25	त्रिपुरा	30	0.5	36.71	0.8	10	15
26	उत्तर प्रदेश	35	0.6	1995.81	0	22	13
27	उत्तराखंड	0	0	101.17	0	-	-
28	पश्चिम बंगाल	41	0.7	913.48	0	19	12
	कुल राज्य	**5747**	**99.8**	**11901.11**	**0.5**		
	संघ राज्य क्षेत्र :						
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7	0.1	3.8	1.8	2	18
30	चंडीगढ़	0	0	10.55	0	-	-
31	दादर एवं नागर हवेली	2	0	3.43	0.6	12	20
32	दमन एवं दीव	0	0	2.43	0	-	-
33	दिल्ली	0	0	167.53	0	-	-
34	लक्षद्वीप	0	0	0.64	0	-	-
35	पुदुचेरी	0	0	12.44	0	-	-
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**9**	**0.2**	**200.82**	**0**		
	कुल (अखिल भारत)	**5756**	**100**	**12101.93**	**0.5**		

अनुसूचित जनजातियों सहित कुल जनसंख्या

* वास्तविक जनगणना 2011 जनसंख्या (अनंतिम)

स्रोतः वर्ष 2011 में भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक 6ड :

वर्ष 2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अखिल भारत (पी) की तुलना में किए गए अपराध की घटना (आई) तथा दर (आर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या (लाख में) #	कत्ल (भा.द.सं की धारा 302)			बलात्कार (भा.द.सं की धारा 376)			अपहरण एवं बलातहरण (भा.द.सं की धारा 363-369, 371-373)		
			आई	आर	पी	आई	आर	पी	आई	आर	पी
	राज्य :										
1	आंध्र प्रदेश	846.65	9	0	6.3	46	0.1	6	5	0	3.6
2	अरूणाचल प्रदेश	13.83	2	0.1	1.4	3	0.2	0.4	6	0.4	4.4
3	असम	311.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	1038.04	1	0	0.7	1	0	0.1	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	255.4	22	0.1	15.4	90	0.4	11.7	6	0	4.4
6	गोवा	14.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	603.83	9	0	6.3	20	0	2.6	16	0	11.7
8	हरियाणा	253.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	68.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	125.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	329.66	4	0	2.8	27	0.1	3.5	30	0.1	21.9
12	कर्नाटक	611.31	3	0	2.1	2	0	0.3	0	0	0
13	केरल	333.88	0	0	0	109	0.3	14.1	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	725.98	49	0.1	34.3	306	0.4	39.6	39	0.1	28.5
15	महाराष्ट्र	1123.73	16	0	11.2	57	0.1	7.4	11	0	8
16	मणिपुर	27.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	29.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिज़ोरम	10.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैण्ड	19.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	419.47	6	0	4.2	45	0.1	5.8	4	0	2.9
21	पंजाब	277.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	686.21	19	0	13.3	50	0.1	6.5	18	0	13.1
23	सिक्किम	6.08	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0.7
24	तमिलनाडु	721.39	0	0	0	3	0	0.4	0	0	0
25	त्रिपुरा	36.71	1	0	0.7	7	0.2	0.9	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	1995.81	2	0	1.4	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	101.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	913.48	0	0	0	4	0	0.5	1	0	0.7
	कुल राज्य	**11901.11**	**143**	**0**	**100**	**770**	**0.1**	**99.7**	**137**	**0**	**100**
	संघ राज्य क्षेत्र :										
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3.8	0	0	0	1	0.3	0.1	0	0	0
30	चंडीगढ़	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादर एवं नागर हवेली	3.43	0	0	0	1	0.3	0.1	0	0	0
32	दमन एवं दीव	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	167.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	12.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**200.82**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0.3**	**0**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**12101.93**	**143**	**0**	**100**	**772**	**0.1**	**100**	**137**	**0**	**100**

अनुसूचित जनजातियों सहित कुल जनसंख्या आई-घटना, आर-अपराध की दर, पी-अंश प्रतिशतता

स्रोत: वर्ष 2011 में भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक 6ढ :
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 (सी.ओ. 22)	6-9-1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959 (सी.ओ. 58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
4.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962 (सी.ओ. 65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
5.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1967 (सी.ओ. 78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
6.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970 (सी.ओ. 88)	23.7.1970	नागालैंड
7.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1978 (सी.ओ. 111)	22.6.1978	सिक्किम
8.	संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1989 (सी.ओ. 142)	7.10.1989	जम्मू व कश्मीर

हरियाणा ओर पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली और पुद्दुचेरी में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक : 6-ण

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

I. आंध्र प्रदेश

1. आन्ध, **साधु आन्ध**
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो *गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी* गडाबा, परांगी गडाबा, कोठेरा गडाबा, कापु *गडाबा*
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, **कोईतुर**
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलाम, ***कोलवार***
13. कोन्डा धोरस, ***कुबी***
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोध, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंद्य, मेनिती, कोंध, ***कुविंगा***
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, पाइको पुतिया, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, ***डोली कोया, गुटटा कोया,*** **कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया,** ***पट्टडी कोया,*** *राजा, रश कोया,* लिन्गाधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडाक, नालगोड़ा निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़ कर)
21. मन्ना ढ़ोरा
22. मुक्खा ढोरा, नुका ढ़ोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. पोरजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी ढोरा,
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादिस, ***बंजारा***
30. थोती (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोडा, निजामबाद और वारंगल जिलों में)
31. वाल्मीकि ***(विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)***
32. येनादिस, ***चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड़डी येनादी***
33. येरूकुल, ***कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला***
34. **नक्काला, कुरविकरन**
35. **धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापटनम और विजयनगरम जिलों में)**

II अरुणाचल प्रदेश (राज्य में इनके सहित सभी जनजातियां

निम्नलिखित सहित राज्य की सभी जनजातियां :-

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, *तारोंन*
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

III. असम

**I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-
   - (i) बिआत, बिएत
   - (ii) चांगसान
   - (iii) छोगलाइ
   - (iv) डुंगेल,
   - (v) गमाल्हू
   - (vi) गंगते
   - (vii) गुइते,
   - (viii) हन्नेगं
   - (ix) हाओकिप, हाउपिट,
   - (x) हओलाई
   - (xi) हेंगना
   - (xii) होंगसुंग
   - (xiii) हरंखवाल, रंगखोल,
   - (xiv) जोगबी
   - (xv) खाओचुंग
   - (xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
   - (xvii) खेलमा
   - (xviii) खोल्हू
   - (xix) किपजेन
   - (xx) कूकी
   - (xxi) लेगथांग
   - (xxii) ल्हांगम
   - (xxiii) ल्होउजेम
   - (xxiv) ल्होउवुन
   - (xxv) लुपहेंग
   - (xxvi) मांग जेल
   - (xxvii) मिसाओ
   - (xxviii) रियांग
   - (xxix) साइरहेम
   - (xxx) सेलनाम
   - (xxxi) सिंगसन
   - (xxxii) सितल्होउ
   - (xxxiii) सुकेत
   - (xxxiv) थादो
   - (xxxv) थांगनगेऊ
   - (xxxvi) उइबुह
   - (xxxvii) वाइफेइ
8. लाखेर
9. मान (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई)जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

**II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनावाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. *दीमासा*
11. *हजोंग*
12. *सिंगफो*
13. *खम्पती*
14. *गारो*

IV. बिहार

1. असुर, *अगारिया*
2. बइगा
3. बनजारा
4. बाथूडी
5. बेदिया
6. *हटा दिया है*
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, *घेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया*
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, *नगेशिया*
20. कोरा, *मुडी-कोरा*
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. माल पहाडिया, *कुमारबाग पहाडिया*
25. मुंडा, *पतार*
26. ओरान, *धानगर (ओरांव)*
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवार
31. *कवार*
32. *कोल*
33. *थारू*

V. छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धानवार
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड़, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डामी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरर्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मरिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कंवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरबू बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका, धानगाड
34. पाओ
35. प्रधान, पाथरी, सरोटी
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया [(i) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (v) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील (viii) धामतरी, कुर्द और धमतरी जिले की सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोनर

VI. गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. *कुन्बी*
7. *गवडा*
8. *वेलिप*

VII. गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला पावरा, वासावा, वसाए
5. छारन (एल्चा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधारी (सूरत और वलसाद जिलों में)
7. चौधारा
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, **धोदी**
10. दुबला, तलावइया, हलपाती
11. गामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोर कतकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी कुकना
15. **हटा दिया गया**
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. **हटा दिया गया**
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी, **सिद्दी बादशान** (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट और सुन्दरनगर जिलों में)
27. **हटा दिया गया**
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

VIII. हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोधा
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनउरा, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

IX. जम्मू और कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

X. झारखंड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धोलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खारवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. माल पहारिया, कुमारबाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धानगर (ओरांव)
26. परहया
27. सन्थाल
28. सोरिया पहारिया
29. सवार
30. भूमिज
31. कवार
32. कोल

XI. कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसाए
5. चेंचू, चेंचवार
6. चौधारा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलार,
14. इरूलिगा,
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तुलुक में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)
19. कथोडि, कटकारि, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारि
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कूकना
22. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलहा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुड़िया, मेलाकुडि
28 कुरूबा (कूर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मलासर
31. मलाइकुडि
32. मालासर
33. मलायेकान्डि
34. मालेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, **मेदारी, गोरिगा, बुरूद**
38. नायकडा, नायक, छोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेड़ा, बेदार, और वाल्मिकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारघी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारघी, ***हरंशिकारी***
42. पटेलिया
43. रथावा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोड़ा
47. वारलि
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. ***सिद्धी (उत्तर कन्नड जिले में)***

XII. केरल

1. अदियन,
2. अरान्दन, ***अरांधान***
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, ***माला पुलायन कुरन्म्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन***
5. इरूलार इरूलान
6. कदार, ***वायनाड कदार***
7. *हटा दिया गया*
8. कनिकारन, कनिक्कार
9. कट्टूनायकन
10. ***कोच्चुवेलन***
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया मेलाकुड़ि
16. कुरिच्छान, **कुरिचियन**
17. कुरूमान, **मुल्लु कुरूमान**, ***माला कुरूमान***
18. कुरूम्बास, ***कुरुम्बार, कुरुम्बान***
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यान, ***माला आर्यन***
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. **मालायन**, ***नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोड़कर)***
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. *हटा दिया गया*
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. **पालेयान, पालीयान, पालीयार, पालीयान**
31. *हटा दिया गया*
32. *हटा दिया गया*
33. पानियान
34. उलादन, **उलातन**
35. उरली
36. ***माला वेतुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)***
37. ***तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान***
38. **थाचानदान, थाचानदान, मूपान**
39. **चोलानैकान**
40. **माविलन**
41. **करीमपलान**
42. **वेटा कुरुमान**
43. **माला पनिक्कर**

XIII. मध्य प्रदेश

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्र
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. डनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंडय अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्बा, धोबा, धुलिया, डोरलो, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरिया, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, वादी मरिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कामर
19. करकु
20. कवर, कैवंर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. *(हटा दिया गया)*
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया

24. कोन्द्य, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम
27. कोकरू बोपची, मेउआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, घांका, धांगाद
36. पानिका (छतरपुर पन्ना, रेवा, सतना, शादोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिलों)
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. *हटा दिया गया*
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया [(i) बस्तर, छिन्दवाड़ा, मांडला, डिडोरी सेओनी जिलों में (ii) बाला घाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक (v) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लाक (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक (vii) नरसिंहपुर जिला (viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में .
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावार, सावारा
46. सोनर

XIV. महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. ***हटा दिया गया***
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. **गोंड, राजगोंड,** अरख, अर्राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दांन्दमी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया कांड्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवार खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंधया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल

27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध खोंध कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परधी फान्से परद्यी लांगोली परधी, बहेलिया, छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. **हटा दिया गया**
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

XV. मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्चा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

XVI. मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कछारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया स्येनतेग प्नार, वार, भोइ ल्येनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः
   - (i) बइते बिएते
   - (ii) छंगसान
   - (iii) चोंगलोइ
   - (iv) डोउन्गेल
   - (v) गमाल्हू
   - (vi) गंगत
   - (vii) गुइते
   - (viii) हान्नेंग
   - (ix) हाओकिप या हाउपिट
   - (x) हाओलाई
   - (xi) हेंगना
   - (xii) होनसुंघ
   - (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
   - (xiv) जोंगबे
   - (xv) खावचांग
   - (xvi) खवथलांग, खोथालांग
   - (xvii) खेल्मा
   - (xviii) खोल्हू
   - (xix) किपजेन
   - (xx) कुकी
   - (xxi) लेनथांग
   - (xxii) ल्हांगम
   - (xxiii) ल्होउजेम

(xxiv) ल्होउवेन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थागंनगेऊ
(xxxvi) उईबुह
(xxxvii) वाइफेई, सहित
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

XVII. मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   (i) बइतेथा बिएते
   (ii) छंगसान
   (iii) चोंगलोइ
   (vi) डोउन्गेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगत
   (vii) गुइते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हाओकिप या हाउपिट
   (x) हाओलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) होंनसुघ
   (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (xiv) जोंगबे
   (xv) खावचांग
   (xvi) खवथलांग या खोथालांग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्हू
   (xix) किपजेन
   (xx) कुकी
   (xxi) लेनथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्होउजेम
   (xxiv) ल्होउवेन
   (xxv) लुपहेंग
   (xxvi) मांगजेल
   (xxvii) मिसाओ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सइरहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिंगसन
   (xxxii) सितल्होउ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थादो
   (xxxv) थांगनेऊ
   (xxxvi) उईबुह
   (xxxvii) वाइफेई,
8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

XVIII. नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

XIX. ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भूंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुरूआ
18. दिदायी, दिदायी परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गैदा
28. कवार, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंधा, कुई, बुदा कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंधा, मालुआ कोंधा, पेंगो कंधा, राजा कोंधा, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोंरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोधा, नोधा, लोधा
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, साओरा, कन्पू, कापोसओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

XX. राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरीभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

XXI. सिक्किम

भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, तरोमोप, योल्मा सहित)

लेपचा

लिम्बू

तमांग

XXII. तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलार
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और **अम्बासमुद्रम तालुक** में)
8. कनियान, कन्यान
9. कट्टनायकन
10. कोच्युवेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छान
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्य
21. मलाइ पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

XXIII. त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:–
   (i) बालते
   (ii) बेलालहुट
   (iii) छाल्या
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जांगतेइ
   (vii) खोरेंग
   (viii) खमफेोंग
   (ix) कुन्तेइ
   (x) लाइफांग
   (xi) लेन्तई
   (xii) मिजेल
   (xiii) नामते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रांगचांग
   (xvi) रांगखोले
   (xvii) थांगलुया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्ताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
19. उछाई

XXIV. उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थारू

XXV. उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहइया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्रा जिले में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

XXVI. पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो
6. विरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरी
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधाा खेरिया, खारिया
24. लोहार, लोहरा
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. माल पहारिया
29. मेच्छ
30. मरू
31. मुण्डा
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. रभा
36. सन्ताल
37. सउरिया पहरिया
38. सवार
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमांग

XXVII. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगेस
5. सोटिनलीस
6. शोम पेन्स

XXVIII. दादर व नगर हवेली

1. घोदिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोली धोर कोलघा सहित
6. नइकदा या नायक
7. वारली

XXIX. दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :

1. घोदिया
2. दुबला (हालपति)
3. नइकडा (तालावी)
4. सिद्वी (नायक)
5. वारली

XXX. लक्षद्वीप

सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में :-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।'

स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(I)(घ) में परिभाषित किया गया है।

''**कृपया ध्यान दें :** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 19.9.2003

नोट :- यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक 6-त

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आंध्र प्रदेश

(1) **महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के** बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बुर्ज गुंडाल, अगारला पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाछेरन्वू, येमेलापाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलालपैंटा, पीमानपेण्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, भावीपैंटा नारदी पेंटा, सीपेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेवु, तिम्मारेड्डीपाल्लि, सारलापाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पामायेहेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेटेश्वरला बावी, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मघवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेंकेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, उदमेला, मारेड्, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्दापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव।

(2) **आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के** मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाद्यारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, कफ़र देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजर्ग, सिंगापुर, वुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोहार, तकाई तकली और रामखाम गांव।

(3) **आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के** अम्बारी, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमेन घारी, दरसांगी, डिघरी, सिंदगी, कनकवाड़ी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर एन्डा, पीपलगांव, बलजा, वारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्यी, बाओथ दरसांगी, नोरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाड़ी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पाल्सी, पटोड़ा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंद्या, जुरूर, मिनकी तुलसी, माचौरडे़र, पारधी मुरली, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अश्ता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, धनोरा, साकुर और डिगरी गांव।

(4) **आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के** हतनूर, बाकरी, पारद्यी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी-कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बाल्हनपुर, धार्मपुरी, गोकोड़ां भोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुरवाड़ी, इसपुर घानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धार्मपुर, हरकापुर, धाामपुर, निगनी, अजारवजार, चिन्तलबोरी, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव।

(5) **आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के** सभी गांव।

(6) **आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के** राजमपेट, गुंजाला, इंघानी, समेला, तेजपुर, कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलद्यारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा, छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा-रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगावं, द्यनोरा, पारद्या, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव, अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तेलुन्डी़, मौगीलोड़ीगुड़ा, मोइड़ा गुड़ी पेट, चीन्नेदारी, कोइटेलुण्डी़, मदुरा, देवैगुड़ा, आरे गुडा, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेरवाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और मीता अर्जुनी गांव।

(7) **आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालुका के** गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, मुत्तीमपेट, वेंकटपुर, राली, कौवाल, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रोतपाल्लि, माझडामारी, द्यर्मारोपेत, वेंकटपुर, चिंतागुडा और मुत्तेमपाली गांव।

(8) **आदिलाबाद जिले के राजूरा, तालुका के** बेंडवी, छिनछोली, गोइगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरुना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारद्यी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुत्ता, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।

(9) **आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुका के** रालपेट, किस्तामपेट, तकलपाल्ते छाकलपल्लि, अनाराम, येपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुडा, अंकोरा, उसू रामपल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदास, ढ़ोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।

(10) **वारंगल जिले के मुलुग तालुका के** कन्नइगुडा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुडा, कोंडापारथी, येलसेथिपाल्लि, अल्लामरि घुन पुर, रामपुर, माल्कपल्लि, छेत्ताल भूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुडा राजन्नापेट, भूताराम, अक्केला, सिरवारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामााराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुडा, येल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुडा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवापुर, भुस्सापुर, चेलवाई, रगपुर, गोविन्दराओपेट, बालपाली, धुमपालागुड़ा, केलापाली, लखनवरम, परसा, गोनेपाली, पड़गापुर, नरलापुर, कलवापाली, डरताम, कोंडिया, मलयत, अक्लापुर, ड़ोल्ड़ा, कमाराम, तादवी, बुदीगुड़ा, बन्नजी, बन्दाम, सेलपाक कन्तलपाली, सरवाई गंगागुदा, तुपालकालगुदा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपलि, गागपेल्लि, छिन्ना-विओपल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुनमापुर गांव।

(11) **वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के** वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताकाद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपल्लि अदवारमपेट, सात्यानगर, दुत्ल, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, बत्तवारतीगुदेम, ममीदीगुदम, पंगोन्डा, रोतुराई, सतरेद्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकदापल्लि, पागुलापल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापुरम, जगांमवारतीगुडेम, रंगामुड़ेम, पेड़ा पल्ली, पेरावरम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिनापाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुडा ओआरवाक, गंगारामम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्टागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम दालुरपेट, कोठागुडेम, कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, कोटेरवम, सेमर राजपेट, मारेपल्लि, गोआरन्ट, राधियापुर गजल गुड़ेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (i)वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र 1 एजेन्सी लक्ष्मीपरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापरुम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा, 2 विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अगराहरम और कोंडावातिपुड़ी अगाहराम,

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र 2 रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित

(16) पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

---

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ. संख्या 50) और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1955 (सी.ओ. 30) के तहत संशोधित किया गया।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

2. आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात **

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाधा वालोद, मांगरोल तालुका
2. भडौच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुका।
3. डांग जिला व तालुका
4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका
6. बडोदरा जिले के छोटा उदयपुर, और निसवाडी तालुका और तिलकवाडा महल
7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

III. हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सी.ओ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क)धाहानु, **तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील**

(ख)(i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील

(1)	तारापुर	(20)	खुताद	(39)	लालोंडे
(2)	कुन्दन	(21)	खानीवाड़े	(40)	घनेडे
(3)	दहीसर टर्फ तारापुर	(22)	रावते	(41)	काम्पालगांव
(4)	घिवाली	(23)	अकोली	(42)	मान
(5)	वावे	(24)	असेरी	(43)	घानेघर
(6)	अक्कारपत्ती	(25)	सोमते	(44)	वाढ़े
(7)	कुरगांव	(26)	पस्थाल	(45)	छारी बुदर्ग
(8)	पारनाली	(27)	बोइसार	(46)	बिरवाडी
(9)	वेनगानी	(28)	बोरसेती	(47)	काल्लाले
(10)	पठारवाली	(29)	महागांव	(48)	पादघे
(11)	नेवले	(30)	किराते	(49)	पोले
(12)	शिगांव	(31)	वाडे	(50)	नानडोरे
(13)	गारगांव	(32)	खाडवाने	(51)	गिरनोली
(14)	चिंचारे	(33)	माडवान	(52)	बोरान्डे
(15)	अकेगावान	(34)	विस्थले	(53)	देवखोपे
(16)	नानीवाली	(35)	कोडगांव	(54)	सागवे
(17)	अंबेढे	(36)	कारसूद	(55)	कोसबाद
(18)	बरहानपुर	(37)	बेतेगांव	(56)	कोकानेर
(19)	सलगांव	(38)	वारंगदे	(57)	नागणारी

(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल
(61) छिलहर
(62) भोपोली
(63) नीहे
(64) दामखाण्ड
(65) कोंधान
(66) आवनधान
(67) बेगारचीले
(68) शील
(69) लोवारे
(70) बंधान
(71) नन्द गांव टर्फ मानोर
(72) शील शेट
(73) कताले
(74) अम्भान
(75) वासरोली
(76) खारशेट
(77) मानोर
(78) ताकवाल
(79) सवारखण्ड
(80) नालशेट
(81) केव
(82) वाकाडी
(83) मासवान
(84) वान्डीवाली
(85) नेताली
(86) साये
(87) तेन
(88) कारालगांव
(89) गोवादे
(90) तामसाइ
(91) दुरवेस
(92) धुकतान
(93) पोछादे
(94) होलाले
(95) खामलोली
(96) वाहदोली
(97) बोत
(98) इम्बूर इराम्बी
(99) दानिसारी टर्फ मानोनर
(100) कुडे
(101) गुण्डावे
(102) सीतावली
(103) वेहालोली
(104) सवारे
(105) वराई
(106) जानसाई
(107) खाइरे
(108) ढेकाले
(109) गांजे
(110) जायेशेते
(111) शेलवाडे
(112) वेमूर
(113) अम्बादी
(114) नवाली
(115) मोरावाली
(116) वारखुन्ती
(117) कामार
(118) टोकराले
(119) बन्डाते
(120) जांजरोली
(121) छाडे
(122) वसारे
(123) खादकोली
(124) सखारे
(125) रोथे
(126) लालथाने
(127) नवाजे
(128) तान्डुलवाडी
(129) गिराले
(130) पारगाव
(131) नागवे टर्फ-मानोर
(132) उम्बारपदा नानड़ाडे
(133) उचावाली
(134) सफाले
(135) सोनावे
(136) माकने कापसे
(137) कारवाले
(138) वाधिव सरावली
(139) पेनान्ड
(140) कान्डारवान
(141) दाहीवाले
(142) दारशेट
(143) नवगढ़ (घाटीम)
(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) **वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

वसाई (बसीन) तहसील :

(1) दाहीसार
(2) कोशिम्बे
(3) तुलिंज
(4) सकवार
(5) छिमान
(6) हेडवडे
(7) काशिदकोपर
(8) खानीवाडे
(9) भालीवाली
(10) कावहेर
(11) शिरसाद
(12) मान्धावी
(13) छानदीप
(14) भातने
(15) शिवनसाई
(16) उसगांव
(17) मेघे
(18) वादघर
(19) भीनार
(20) एम्बोडे
(21) कालभोन
(22) अनदने
(23) सायावान
(24) पारोल
(25) शिरवाल
(26) माझीवाली
(27) कारांजोन

(28) तिलहर	(31) अहोले	(34) राजवली
(29) धाविव	(32) वालिव	(35) कोल्ही
(30) पेल्हार	(33) सतिवाली	(36) छिनछोती

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील :

(1) भिवाली	(26) देवहोल	(50) गोंडाडे
(2) गनेशपुरी	(27) सागोआं	(51) पहारे
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी	(28) इकसाल	(52) सेदगांव
(4) अकोली	(29) चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे	(53) पच्छापुर
(5) सवारोली	(30) डूधानी	(54) गोंड्रवली
(6) खतराली	(31) वापे	(55) जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे
(7) उसगांव	(32) घदाने	(56) असनोली-टर्फ-कुडे
(8) घोटगांव	(33) कुंडे	(57) शिरोले
(9) वाढ़े	(34) घोतावाडे	(58) दाभाद
(10) वारेथ	(35) माइडें	(59) महानडुल
(11) चाने	(36) करमाले	(60) शिरगांव
(12) असनोली-टर्फ-दुगद	(37) कांडली बुदर्क	(61) पिंपल सेठ भुसेठ
(13) दुगद	(38) कोल्हे	(62) खादकी खुर्द
(14) मनीवाली	(39) कांडली खुर्द	(63) खादकी बुदरूक
(15) वादवाली टर्फ दुगद	(40) दीघाशी	(64) चिम्बीपाडे
(16) मालबीडी	(41) नेवादे	(65) कूहे
(17) मोहिली	(42) अम्बादी	(66) घामने
(18) नन्दीथान	(43) दालोंड	(67) लाखीवाली
(19) देपोली	(44) जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले	(68) पालीवाली
(20) सखरोली	(45) उम्बारखण्ड	(69) पाये
(21) सूपेगांव	(46) अशिवाली	(70) गाने
(22) पिलांजे खुर्द	(47) जिदके	(71) दाहयाले
(23) पिलांज बुदुर्क	(48) खारीवाली	(72) फिरंगपाडा
(24) अलखीवाली	(49) बासे	
(25) वाघीवाले		

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुरबाद तहसील :

(1)	कासगांव	(27)	खेड	(53)	हेडावाली
(2)	किसाल	(28)	वनोटे	(54)	कारचोंड
(3)	वाडावाली	(29)	साई	(55)	जडघर
(4)	सखारे	(30)	शेलगांव	(56)	उडालदोहा
(5)	खटालबोर गांव	(31)	शिरोशी	(57)	महोरांडे
(6)	अम्बेल खुर्द	(32)	तालेगांव	(58)	टोकवडे
(7)	सयाले	(33)	फंगालकोशी	(59)	बालेगांव
(8)	इंदे	(34)	मेरडी	(60)	तलवानी (बडागांव)
(9)	खेडाले	(35)	वाल्हीवार	(61)	वैशाखरे
(10)	तलवाली-टर्फ-घोराट	(36)	माल	(62)	मनवाली-टर्फ-खेडुल
(11)	इकलाहारे	(37)	जडाई	(63)	पेनढारी
(12)	छफे-टर्फ-खेडुल	(38)	अम्बीवाली	(64)	उमरोली बुदर्क
(13)	पिम्पालघर	(39)	डिंघेपाल	(65)	ओजीवाल
(14)	देहगांव	(40)	दीवान पाद	(66)	मंदावत
(15)	पारहे	(41)	कोचरे खुर्द	(67)	महाज
(16)	कांडली	(32)	कोचने बुदर्ग	(68)	पडाले
(17)	धासाई	(43)	छोसाले	(69)	कोलोशी
(18)	अल्यानी	(44)	खूरल बंगला	(70)	जयगांव
(19)	पालू	(45)	नयाहांडी	(71)	कलामबाद (भोंडीवाले)
(20)	देवघर	(46)	मोराशी	(72)	खेवारे
(21)	माढ	(47)	फंगुल गांवाहन	(73)	दुधानोली
(22)	सोनावाले	(48)	सवरने	(74)	उमारोली खुर्द
(23)	वेलुक	(49)	थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे	(75)	खोपीवाली
(24)	अलावे	(50)	कुदशेट	(76)	मील्हे
(25)	बरसुंगे	(51)	फंगाने	(77)	गोरखगाद
(26)	मांडुस	(52)	खपारी		

2. नासिक जिले में निम्न :

(क) पेंट, सुरगाना और कलवान तहसील

(ख) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील :

(1)	मोखनाल	(5)	गंडोले	(9)	अम्बाद
(2)	मानवाड	(6)	पलासविहिर	(10)	वनारे
(3)	डेहारे	(7)	वारे	(11)	तितवे
(4)	कारंजली	(8)	वनजोले	(12)	देवधान

(13) नानाशी
(14) छारोसे
(15) देवघर
(16) कउदासर
(17) वनी खुर्द
(18) पिंपलगांव धाम
(19) जोरान
(20) महाजे
(21) सदराले
(22) नालवाडी
(23) ओजे,
(24) गोलसी
(25) जलखंड
(26) निगडोल
(27) कोकोगांव बुर्दक
(28) उम्बारले खुर्द
(29) अम्बेगांव
(30) छाछदगांव
(31) वाघाद
(32) पोपल वाडे
(33) धाउर
(34) उम्बाले बुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
(41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरे वाडी
(44) ढागुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परी अंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुनेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपुर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांव खुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) वानी कास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कृष्णगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांव केतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकी जाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड
(94) टालेगांव डिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बे डिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवनाई
(105) वारवांडी
(106) जउलके डिंडोरी,

(ii) इगत पुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगातपुरी तहसील :

(1) ढाडोशी,	(32) मेटेलयाच्ची	(63) भवाली खुर्द
(2) भीलमाल,	(33) बितुरली,	(64) कालूस्ते,
(3) पाहिने,	(34) वालविहार,	(65) जामुन्डे,
(4) जारवाड खुर्द,	(35) भलवी बुदुर्क	(66) गाहुन्डे,
(5) टाक-हर्षा,	(36) पिंपलगांव भाराटा	(67) भारवाज,
(6) असावली हर्षा,	(37) कोपरागांव	(68) कारूंगवादी,
(7) समुन्दी	(38) कुरनोली	(69) निरपन,
(8) खारोली	(39) ढ़ामोली	(70) मनिआरगांव,
(9) कोजोली	(40) वाकी	(71) अम्बेवाडी,
(10) अवहाते	(41) छिनंछाले (खाइरे)	(72) खाडखेड,
(11) खुशगांव	(42) ट्रिंगलवाडी,	(73) इन्दोर,
(12) मेतचन्द्रायची	(43) अदवान,	(74) उम्बारकोन,
(13) अलवांड	(44) अवालखेडे ,	(75) सोमाज घादगा ,
(14) दापुरे	(45) पारदेरी,	(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(15) मेत हुम्बाची	(46) बलायदूरी,	(77) मेगारे,
(16) जारवाड बुदुर्क	(47) खम्बाला,	(78) बेलगांव तारहाले ,
(17) महासुरली	(48) टेक घोटी,	(79) धामनगांव,
(18) शेवगेड़ाग	(49) घोटी बुदुर्क	(80) देओले,
(19) वानजोले	(50) तालगांव,	(81) खैरगांव,
(20) देवगांव	(51) गिरनार,	(82) पिम्पलगांव मोर,
(21) अहुरली	(52) तितोली,	(83) धामिनी,
(22) नन्द गांव	(53) बोरटम्भे ,	(84) अदसारे खुर्द,
(23) वावी हर्षा	(54) तालोशी,	(85) अदसारे बुदुर्क,
(24) नागोसली	(55) नन्दगांव साडे,	(86) आछरवाड,
(25) ढ़ारगांव	(56) पिंपरी सेर्दोदीन,	(87) ताकेट खुर्द,
(26) ओडंली	(7) तेलघा,	(88) ताकेट बुदुर्क,
(27) सातुरली	(58) कंचनगांव,	(89) खेड,
(28) अवाली डुमला	(59) शेनवार्ड बुदुर्क,	(90) वारसिंगवे,
(29) कारहाले,	(60) फंगुलगांवन,	(91) सोनोशी,
(30) रायाम्बे	(61) बोरली,	(92) मइदारा धानोशी
(31) टाकेड गांव	(62) मानवेदे,	(93) वासाली,

(iii) त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसील :

(1) साप्टे,	(5) वघेरा	(9) हिरदी
(2) कोने,	(6) रोहिले,	(10) मालेगांव
(3) खारवाल	(7) नन्दगांव	(11) वेलुन्जे
(4) वरासविहिर	(8) गोरथान,	(12) गणेशगांव वघेरा,

(13) पिम्परी त्रिम्बाक	(32) उब्बारांडे,	(51) चांदसी
(14) मेट कवारा,	(33) कालमुस्ते	(52) गंगामहलुंगी
(15) ब्रहम्णवाडे त्रिम्बाक,	(34) तिम्बार्क (देहात),	(53) जलालपुर
(16) तोआनगान,	(35) हर्षावाडी	(54) सवारगांव
(17) धुंबदी	(36) मेटंघेराकिला त्रिम्बाक	(55) गोवरधान
(18) बेसे	(37) मुलेगांव	(56) शिवगांव
(19) चकोर	(38) लादाची	(57) पिंपलगांव गरूडेश्वर
(20) अम्बोली	(39) नायकवाडी,	(58) राजवाडी
(21) अम्बाई	(40) वेले,	(59) गंगावारहे,
(22) श्रीरासगांव	(41) सादगांव,	(60) गणेशगांव त्रिम्बाक
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(42) वादगांव,	(61) गणेशगांव नाशिक
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,	(43) मनोली,	(62) वसाली
(25) खामबाले	(44) ढोडेगांव	(63) दूदगांव,
(26) सापगांव,	(45) दारी	(64) महिरावनी
(27) काचुरली,	(46) गिमाते	(65) तालेगांव अंजानेरी,
(28) अरियानेरी,	(47) दुगांव	(66) जाटगांव,
(29) तालेगांव त्रिम्बाक,	(48) देवरगांव	(67) सारूल
(30) पोगलवाडी त्रिम्बाक,	(49) नागलवाडी	(68) पिंपलाड नासिक
(31) वाछोली,	(50) ओजारखेडा	(69) राजोर बहुला,
		(70) दहीगांव,

(iv) बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

बागलान तहसील :

(1) बोरहाते	(15) अंतापुर	(29) भीलवाड
(2) मोहलांगी	(16) रावर	(30) तुनगांव
(3) जैतपुर	(17) जामोती	(31) दसवेल,
(4) गोलवाड	(18) अलिआबाद,	(32) जाखोड
(5) हतनूर	(19) अजांडे	(33) मुनगासे
(6) मालीवाड	(20) मुलहर	(34) भावाडे
(7) अम्बापुर	(21) बाबुलने,	(35) दसाने,
(8) जाड,	(22) मोरने-दिगर	(36) मालगांव खुर्द
(9) वीसापुर,	(23) बोरदइवत	(37) सालवान
(10) सहेवार	(24) भीमखेत,	(38) पिसोर
(11) खाराड़	(25) वाघम्बे	(39) करसाने
(12) वाड डिगार	(26) मनूर	(40) विथोड
(13) देवथान	(27) सालहेर	(41) पाठवेडीगर
(14) कोंधाराबाद	(28) कटारवेल	(42) तालवेडीगर

(43) मोरकुरे	(48) किकवारी बुर्दक,	(53) निकबेल
(44) किकवारी खुर्द	(49) जोरान	(54) बन्धाते
(45) केलजार	(50) साकोड़े	(55) दाहिन्डुले
(46) ततानी	(51) करांजखेड	(56) सरवार
(47) भीलडार	(52) डांग सुनडाने	(57) वाडीचौलहेर

3. **धूले जिले में निम्न :-**

(क) नवापुर, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील

(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील :

(1) छोपाले	(28) दापुर	(55) मनजारी
(2) रोथोड	(29) रोहन	(56) मापालगांव
(3) जामखेल	(30) जेबापुर	(57) डांगासेर वाडे
(4) खरसूवाडे	(31) अमोड	(58) बोपखेल
(5) सुतारे	(32) किरवाड़े	(59) शिव
(6) धानेर	(33) घोडाडे	(60) खात्याल
(7) अमाले	(34) सुरपान	(61) वारदोली
(8) माछमाल	(35) कोरडे	(62) काकसाद
(9) खांडवारे	(36) वालव्हे	(63) पानखडे
(10) रायकोट	(37) विटावे	(64) सामोडे
(11) बुरन्दखे	(38) कासबे चहेडवैल	(65) महासदी, परगने पिम्पलनेर
(12) पानगांव	(39) बसार	
(13) लागडवाल	(40) इसराडे	(66) पिंपलनेर
(14) रायतेल	(41) पेटाले	(67) चिकासे
(15) ब्रहमणवेल	(42) पिंपलगांव	(68) जीरापुर
(16) आमखेल	(43) मोहनी	(69) कोकनागांव
(17) जाम्बोरे	(44) तेम्भे, परगान वारसे	(70) शेवागे
(18) वारसस	(45) शिरसोले	(71) धामानधार
(19) जामकी	(46) उमारपेटा	(72) विरखेल
(20) रूनमाली	(47) मालगांव, परगान वारसे	(73) पारगांव
(21) वसखेडी	(48) खारगांव	(74) मंडाने
(22) डामकानी	(49) कालाम्बे	(75) बालहाने
(23) सालटेक	(50) छोरवाड	(76) देशिरवाडे
(24) दाहीवेल	(51) लखाल	(77) काडयाल
(25) भोनगांव	(52) वारसे	(78) ढ़ोगाड्डिगार
(26) बादगांव	(53) सेनवाड	(79) शेलबारी
(27) मेनडान	(54) कुदासी	(80) डेगांव

(ii) नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील :

1. भंगडे	28. नारायणपुर	55. ववाद
2. मंगलूर	29. धिरासागांव	56. चाकले
3. वसलाई	30. धोकवाड	57. दहींडुले बुदुर्क
4. अर्दितारा	31. बिलाडी	58. दहींडुले खुर्द
5. धानोरा	32. खौराले	59. अथोरे दिगर
6. पावले	33. खामगांव	60. उमारदे खुर्द
7. कोठडे	34. नागासार	61. चंपाले
8. उमज	35. विरचक	62. अकराले
9. कोथाली खुर्द	36. टोकारटेल	63. वादबारे
10. वदाजकान	37. वाघले	64. अखातवाड़े
11. निंबोन बुदुर्क	38. ओजारदे	65. हटी उर्फ इंडि
12. जालखे	39. आस्थे	66. पलाशी
13. शिरवादे	40. थानेपाडा	67. घुली
14. रनाले खुर्द	41. अमरावे	68. राकसवाडे
15. नटवाड	42. पथराई	69. वाघोडे
16. करांजवे	43. धामदाई	70. पाटोंडे
17. शेजवे	44. वारुल	71. हाल-टर्फ-हवेली
18. पिंपलोड-टर्फ-धानोर	45. अदाच्छी	72. खोडासगांव
19. लोया	46. लोंखेडे	73. शाहदे
20. वेलावेद	47. कराजकुपे	74. शिंडे
21. वयाहुर	48. नालवे खुर्द	75. कोल्डे
22. धुलवाड	49. सुंदारदे	76. भगसारी
23. गुजर भवाली	50. नालवे बुदुर्क	77. धामदोड
24. गुजर जम्बोली	51. दुधाले	78. सवाल्दे
25. कर्णखेडे	52. नंदारखे	79. कोरित
26. फुलसारे	53. घने	80. सुजातपुर
27. उमरदे बुदुर्क	54. वसादरे	81. तिशि
		82. धंधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील :

(1) आकासपुर	(4) दारा	(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(2) नवगांव (वन ग्राम)	(5) भूटा	
(3) वीरपुर	(6) कनसाइ (वनग्राम)	(8) छिराडे

(9) नागजिरि (वनग्राम)
(10) कुसुमवाडे
(11) नन्दया (वनग्राम)
(12) पिम्परानी
(13) रानीपुर (वनग्राम)
(14) फात्तेपुर
(15) लक्काडोत (वनग्राम)
(16) कोटबन्धानी (वनग्राम)
(17) पिंम्पलोड
(18) कुड्डावाड
(19) लाच्छोर
(20) कन्नाडी-टर्फ-हवेली
(21) शीरूद-टर्फ-हवेली
(22) अमोडे
(23) अलखेड
(24) पाडाले बुदुर्क
(25) बुदिगांवन
(26) उमारती
(27) पिम्पारी
(28) महासवाद
(29) अनकवाडे
(30) सुलवाडे
(31) तवलाई
(32) मुबारकपुर
(33) वेलवाड
(34) कलमाडी-टर्फ-बेआरदी
(35) वाडी
(36) सोनावद-टर्फ-बोआरदी
(37) थेंगचे
(38) जावाडे-टर्फ-बोआरदी
(39) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी
(40) बारघे
(41) पारी
(42) कोठाली-टर्फ-हवेली
(43) औरंगपुर
(44) चिखाली बुदुर्क
(45) करनखेड
(46) नन्दारडे
(47) वइजाली
(48) वाघोडे
(49) परकाशे
(50) धामलाड
(51) काथारेडे बुदुर्क
(52) काथारडे खुर्द
(53) कलसाडी
(54) धुरखेडे
(55) भाडे
(56) पिगाने
(57) गानोर
(58) आदगांव
(59) खारागांव
(60) कोछारे
(61) बिलाडी-टर्फ-हवेली
(62) बहिरपुर
(63) ब्रहमणपुर
(64) सुल्लातनपुर
(65) रायखंड
(66) खेड दिगर
(67) नावलपुर
(68) चांदसाइली
(69) गोदीपुर
(70) पडालडे खुर्द
(71) भागपुर
(72) जावखेड
(73) सोनवाई-टर्फ-हवेली
(74) कवालीथ
(75) तुकी
(76) सावरवेडे
(77) कारजोत
(78) लाहोर
(79) गोगापुर
(80) कुरांगी
(81) तिधारे
(82) दामालेड
(83) कालामांड-टर्फ-हवेली
(84) चिखाली खुर्द
(85) भारेटेक
(86) श्रीखेडे
(87) ओजारटे
(88) उखालसेम
(89) वघारदे
(90) जाम
(91) जवादे-टर्फ-हवेली
(92) तितारी
(93) होल मुबारकपुर (वनग्राम)
(94) वेदगांव
(95) पिम्पारदे
(96) आशालोड
(97) मंडाने
(98) अवागे
(99) तिखोरे
(100) उन्तावाद
(101) होल
(102) मोहिडे-टर्फ-हवेली
(103) जुनवाने
(104) लोनखेडे
(105) तेम्भाली
(106) होलगुजारी
(107) आसुस
(108) बुपकारी
(109) मलोनी
(110) डोगरागांव
(111) कोथाल-टर्फ-शहादा
(112) मटकुट
(113) बोराले
(114) कामरावेद
(115) कहतुल
(116) वादछित

(117) लोंनढोर
(118) उधालोड
(119) निम्बोरे
(120) धांड्रे बुदर्क
(121) चिरकान (वनग्राम)
(122) असलोड (नया) (वनग्राम)
(123) जैनघर
(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)
(125) मनमोडया वनग्राम
(126) दुतरवेडे (वनग्राम)
(127) भोगारा (वनग्राम)
(128) वदाली
(129) कोठावाल
(130) भुलाने (वनग्राम)
(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(132) उभादगाद (वनग्राम)
(133) काकराड खुर्द
(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(135) मालगांव (वनग्राम)
(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(137) शहना (वनग्राम)
(138) काकरदे बुदुर्क
(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(140) काटघर
(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)
(5) कोडिड (वनग्राम)
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)
(8) वाघपदे (वनग्राम)
(9) सइगारपद (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)
(13) छंदसुरया (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया) (वनग्राम)
(15) काकडामल(वनग्राम)
(16) वाकवाड (वनग्राम)
(17) उमरदा (वनग्राम)
(18) डुराबड्या (वनग्राम)
(19) मोहिड् (वनग्राम)
(20) डोडवाडा (वनग्राम)
(21) तेम्भा (वनग्राम)
(22) खैरखान (वनग्राम)
(23) बोआरदी
(24) वसारदी
(25) नन्दारदे
(26) चान्दसे
(27) वाडी बुदुर्क
(28) वाडी खुर्द
(29) जालोड
(30) अभनापुर खुर्द
(31) तारहाड
(32) उखालवाडी
(33) मुखेड
(34) नीमजारी
(35) वरजाडी
(36) वाघबारदा
(37) समरमापद
(38) लउकी
(39) सूले
(40) फत्तेपुर
(41) हेदाखेड्
(42) अरूनपुरी बांधा
(43) संगवी
(44) हाटेड
(45) जेन्दया अन्जान
(46) पलासनेर
(47) खाम्बले
(48) पानाखेड (वनग्राम)
(49) खरकुटी (वनग्राम)
(50) जोयादा (वनग्राम)
(51) छिलारे

(वनग्राम)	(54) मालापुर (वनग्राम)	(58) खामखेडे परगने अम्बे
(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)	(55) रोहिजी	(59) हिवारखेडे (वनग्राम)
(53) महादेव डोन वाडे (वनग्राम)	(56) भोइती	(60) हिगांव
	(57) अम्बे	(61) वाडेल खुर्द
		(62) कालापानी (वनग्राम)

4. **जलगांव जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1) मराठा (वनग्राम)	(10) वइजापुर (वनग्राम)(54)	(18) देवजिरि (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)	(11) बोराजन्ती (वनग्राम)	(19) कुंडयापानी (वनग्राम)
(3) उमारती (वनग्राम)	(12) मालापुर (वनग्राम)	(20) इच्चापुर परगने अड़वाड़
(4) सत्रसेन (वनग्राम)	(13) बोरामाली (वनग्राम)	(21) बधावनी
(5) कृष्णपुर (वनग्राम)	(14) करजाने (वनग्राम)	(22) बधाई
(6) अंगुरने	(15) मेलान (वनग्राम)	(23) अनदाने
(7) खारया पडव (वनग्राम)	(16) विशनपुर (वनग्राम)	(24) मोहराद
(8) वइजापुर (रेवन्यू)	(17) देवहारी (वनग्राम)	(25) असालवाडी (वनग्राम)
(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)		

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील :

1. मानापुरी	6. हरिपुरा (वन ग्राम)	10. लांगदा अम्बा
2. टोलाने	7. वाघाजीरा (वन ग्राम)	11. जामन्या (वन ग्राम)
3. खालकोट	8. प्रसादे बुदुर्क	12. गदरया (वन ग्राम)
4. इचकहेडे	9. बोरखेड़े खुर्द	13. उसमाली (वन ग्राम)
5. मलोद		

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील :

(1) महुमांडली (वनग्राम)
(2) पिम्परकुंड (वनग्राम)
(3) अन्धारमालि (वनग्राम)
(4) तिड्या (वनग्राम)
(5) निम्नद्या (वनग्राम)
(6) गारबारदी (वनग्राम)
(7) जानोरी
(8) छिनछाती
(9) पाल
(10) मारवाल
(11) जिनसी
(12) सहसरालिंग (वनग्राम)
(13) लालमाटी (वनग्राम)
(14) अवहोडे बुदुर्क
(15) लाहोर
(16) कुसम्भे बुदुर्क
(17) कुसम्बे खुर्द
(18) पिम्परी
(19) मोहगांन बुदुर्क
(20) पडाले बुदुर्क
(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. **अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-**

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील :

(1) तिरधो
(2) पडोसी
(3) महाजुंगी
(4) एकडारे
(5) संगावी
(6) केली रूमहानवाडी
(7) बिताका
(8) खिरवीरे
(9) कोम्भालने
(10) तहकारी
(11) सम्सेरपुर
(12) सावरगांव पाट
(13) मुथालने
(14) बारी
(15) वारंधुसी
(16) लाडागांव
(17) शेनित
(18) पाभुलवांडी
(19) बाभुलवांडी
(20) अंबेवांगन
(21) देवगांव
(22) पेंडशेट
(23) मानहेर
(24) शेलविहीरे
(25) पंजारे
(26) छिनचोंद
(27) वाकी
(28) तितावी
(29) पिंपरकाने
(30) उदादावाने
(31) कोदानी
(32) घाटघर
(33) सिगनवाडी राजौर
(34) मुरशेट
(35) शेंडी
(36) समराड
(37) भंडारडारा
(38) रानाड बुदुर्क
(39) रानाड खुर्द
(40) मालेगांव
(41) कोहीन्डी
(42) दिगम्बर
(43) गुहिरे
(44) कतालपुर
(45) रतनवाडी
(46) मुतखेल
(47) तेरूनगांव
(48) राजोर
(49) विथे
(50) कोटलेम्भे
(51) कालूगांव
(52) जामगांव
(53) शिरपुंजे बुदुर्क
(54) सवारकुटे
(55) कुमशेट
(56) शिरपुंजे खुर्द
(57) घामनवन

(58) अम्बित	(70) पदालने (80)	(83) विहिर
(59) बालधान	(71) शेलाद	(84) शिंडा
(60) मानिक ओजार	(72) पिंपरे	(85) अम्बित खिंड
(61) पुरूचवाडी	(73) घोटी	(86) पालसुंडे
(62) मवेशी	(74) पैथान	(87) पिसेवाडी
(63) शिसवाद	(75) लवाली कोतुल	(88) फोपसांडी
(64) वापजुलसेत	(76) वाघदारी	(89) सातवाडी
(65) गोंडोशी	(77) शिलवांडी	(90) केली ओतुर
(66) खादकी	(78) कोहोने	(91) केली कोतुल
(67) साकिर वाडी	(79) लिवाली ओतुर	(92) खेतवाडी
(68) पचनानी	(80) तेले	(93) इसारथाव
(69) छिछावने	981) कोथाले	(94) करांडी
	(82) सोमलवाडी	

6. **पुणे जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1) डोन	(20) पंचाल खुर्द	(39) राजेवाडी
(2) पिम्परागान	(21) महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव	(40) सूपेघर
(3) अघाने	(22) सवारली	(41) तालघर
(4) अहूपे	(23) मेघोली	(42) मापोली
(5) तिरपाड	(24) वाछापे	(43) डिम्भे खुर्द
(6) नहावेद	(25) साकेरी	(44) पोखारी
(7) असाने	(26) पिमपारी	(45) गोहे बुदुर्क
(8) मलीन	(27) अम्बेगांव	(46) निगाडाल
(9) नानावाडे	(28) जाम्बोरी	(47) गोह खुर्द
(10) अमाडे	(29) कालाम्बाई	(48) अपाती
(11) वरसावने	(30) कोन्ढावाल	(49) गंगापुर खुर्द
(12) कोंढारे	(31) फूलवाडे	(50) अमोंडी
(13) आदेवारे	(32) फलोडे	(51) कनासे
(14) बोरघर	(33) कोलटावाडे	(52) गंगापुर बुदुर्क
(15) पाटन	(34) तेरूनगांव	(53) सिनोली
(16) कुसीरे खुर्द	(35) दिम्भे बुदुर्क	(54) पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(17) पंचाल बुदुर्क	(36) महालुंगे-टर्फ-घोडा	(55) साल
(18) कुसीरे बुदुर्क	(37) राजपुर	(56) ढाकले
(19) दिगाद	(38) छिक्काली	

(ii) **जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

जुन्नार तहसील :

(1) छिल्लेवाडी	(23) हदसर	(45) वानेवाडी
(2) अम्बेहवाइन	(24) देवाले	(46) अपटाले
(3) जामभूलसी	(25) खाइरे	(47) कोली
(4) खिरेश्वर	(26) घाटघर	(48) शिवाली
(5) माथालाने	(27) जलवांडी	(49) उतचिल
(6) कोल्हेवाडी	(28) हिरदी	(50) बोतारडे
(7) कोपारे	(29) उनदेखादेक	(51) धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(8) मंडावे	(30) राजपुर	(52) भिवांडे बुदुर्क
(9) सिंगनोर	(31) खाटकाले	(53) इंगालून
(10) आलू	(32) मणिकोधा	(54) भिवाडे खुर्द
(11) खूबी	(33) खाड कुम्बे	(55) घंगालडारे
(12) पिम्पालगांव	(34) उरसान	(56) सोनावाले
(13) कारंजाले	(35) वेवादी	(57) ताम्बे
(14) माछ	(36) तेजपुर	(58) हिवारे-टर्फ-मिनहर
(15) पांगरी-टर्फ-माधा	(37) फंगलघावन	(59) हतविज
(16) कोलवाडी	(38) छावान्ड	(60) अम्बे
(17) परगाव-टर्फ-मोद	(39) पुर	(61) पिंपलवाडी
(18) तालेरान	(40) खानगांव	(62) सुकालेवाडे
(19) सीतेवाडी	(41) मानकेश्वार	(63) गोदरे
(20) वाथाले	(42) सुरले	(64) खामगांव
(21) निमगिर	(43) अम्बोली	(65) सोमतवाडी
(22) अनजानवाले	(44) शिरोली-उर्फ-कुकादनेर	

7. **नानडेड जिले में निम्नलिखित :-**

(क) किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1) तकली	(10) बोण्डगांव	(19) हिनगानी
(2) पदसा	(11) उमरा	(20) वाजरा
(3) सायपाल	(12) मछन्द्रा पारद	(21) तुलसी
(4) मुरली	(13) करालगांव	(22) गोंडवासा
(5) वादसा	(14) स्वरखेड	(23) अंजानखेड
(6) कोली	(15) डिगडी (कुटेमार)	(24) भोराड़
(7) अता	(16) वाई	(25) छोराड़
(8) गोण्डेगांव	(17) हरदाप	(26) धनोरा (सिंदखेड)
(9) मदनपुर (महोर)	(18) नाइकवाडी	(27) रामपुर

(28) पाथरी
(29) खाम्बला
(30) पारदी
(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराज बुदुर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदुर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धानोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धामनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी
(103) कोठारी (चिखली)
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदुर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदुर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधाबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपर फोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धानोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदुर्क
(151) वागधारी
(152) तलारी

8. **अमरावती जिले में निम्नलिखित :-**

(क) चिखलाधारा और धरनी तहसील

9. **यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-**

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

1. घोगुलदारा
2. शिओनाला
3. बुरांडा
4. फापल
5. कन्हलगांव
6. खेपाडवाई
7. घोदाधारा
8. नरसाला
9. धामानी
10. मदनापुर
11. बोरी खुर्द
12. पिसगांव
13. वडगांव
14. फिसकी (वन ग्राम)
15. भालेवाड़ी
16. पथारी
17. चिंचाला
18. पान हरकावाला
19. खर्दा (वन ग्राम)
20. पिम्परद (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा
22. सलाभटी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव
24. माचिन्द्रा
25. पंडविहार
26. जाल्का
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)
28. अम्बोरा (वन ग्राम)
29. चिंचोनी बोटोनी
30. अवलगांव (वन ग्राम)
31. कन्हलगांव
32. खारीगांव
33. सराती
34. बुरांडा
35. दुर्गादा
36. वागधारा
37. मेंधानी
38. घानपुर
39. खंडानी
40. खापरी
41. उचातदेवी (वन ग्राम)
42. मारेगांव (वन ग्राम)
43. खंडानी
44. महासदोदका
45. पालगांव
46. बोटोनी
47. गिर्जापुर (वन ग्राम)
48. पछपोहर
49. अम्बेजारी
50. रोहपात
51. रैनपुर
52. सगनपुर
53. हिवारा बरसा
54. रामपुर
55. कतली बोरगांव
56. पारदी
57. शिबला
58. चियाली (वन ग्राम)
59. बोरगांव (वन ग्राम)
60. पेंधारी
61. अर्जुनी
62. कागांव
63. रजनी
64. माजरा
65. गंगापुर (वन ग्राम)
66. भोइकुंड (वन ग्राम)
67. वाधोना
68. सुसारी
69. सुरला
70. गोदानी
71. निमानी
72. दरारा
73. आसन
74. जगलोन
75. जामकोला
76. इसापुर
77. किलोना
78. उमरघाट
79. वल्लासा
80. जुनोनी (वन ग्राम)
81. लेंचोरी
82. चिंचघर
83. अम्बिजारी, खुर्द
84. अम्बेजारी बुदुर्क
85. करगांव खुर्द
86. निम्बादेवी
87. टेम्फी

88. कुंडी	102. महदापुर	116. चालबरडी
89. मांडिव	103. पंधारवानी	117. जामनी
90. जुनोनी	104. देमाद देवी	118. शिरोला
91. पाराम्भा	105. मंडवा	119. अदकोली
92. पोखरनी (वन ग्राम)	106. डोंगारगांव	120. खालकलोह
93. पिवारदोल	107. दभाड़ी	121. बिरसापेठ
94. भोराद (वन ग्राम)	108. उमरी	122. मुछी
95. चिखालदोह	109. मुधाती	123. मारकी बुदुर्क
96. मुलगवान	110. द्यसोदी	124. मरकी खुर्द
97. भीमनाला	111. कोडपखिंडी	125. गणेशपुर
98. चटवान	112. मंगरूल खुर्द	126. पवांर (वन ग्राम)
99. अराइकवाड़	113. मंगरूल बुदुर्क	127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
100. गवारा	114. गोपालपुर	128. खेकाड़ी (वन ग्राम)
101. माथार्जुन	115. रामपेठ	129. शेकापुर
		130. यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील :

1. लोहारा	15. डोंगर गांव	29. खेमकुन्ड
2. एकलारा	16. तेजानी	30. पार्डी (वन गांव)
3. सोनेर्डी	17. अंजी	31. उमरविहिर
4. वाटक हेर	18. लोनी	32. अदनी
5. जलका	19. बोराती (वन गांव)	33. खटारा
6. वामा	20. सराती	34. मुन्जाला
7. पिंपारी दुर्ग	21. खैरगांव कसार	35. पलासकुन्ड
8. मांडवा	22. वारधा	36. वीर गांव
9. कोलवान	23. भुलगद	37. खैर गांव
10. शोइत	24. पिंपलशेंडा, (75)	38. देवधारी
11. वरूद	25. अतमुर्डी	39. सिंगल दीप
12. बुकाई	26. सावरखेड	40. सोनुर्ली
13. जरगद	27. चोंधी	41. सिन्दुला
14. खादकी सुकली	28. वधोडा	42. जोतिंगदारा
		43. साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया :-

केलापुर तहसील :

1. मोदारी
2. जोगीन कोहला
3. मीरा
4. जीरा
5. घोद्दारा (वन गांव)
6. साखी बुदुर्क
7. वधोना खुर्द
8. जोलापुर (वन गांव)
9. करानी
10. वधोना बुदुर्क
11. तिवसाला (वन गांव)
12. कोथाड़ा
13. सुरदेवी
14. चनई
15. असोली
16. मुहादा
17. कारेगांव
18. चिखालदारा
19. कृष्णापुर
20. दाभा
21. मारवा
22. खैरगांव
23. वघोली
24. कुसलगांव
25. चोपन
26. मल्कापुर (वन गांव)
27. केगांव
28. वादनेर
29. जुली
30. भाद उमारी
31. पटोडा
32. पहापल
33. नगजारी खुर्द
34. बहत्तार
35. सुसारी
36. नईकसुकली (वन गांव)
37. पेधारी
38. पिल्पाली
39. डोंगारागांव
40. बेथ
41. माले गांव खुर्द (वन गांव)
42. हिवारदारी (वन गांव)
43. मालागांव बुदुर्क (वन गांव)
44. दरियापुर
45. पिल्वाहरी
46. अर्ली
47. हिवारी
48. पिंपालशेंडा
49. कारागांव,
50. वाडवत
51. खैरी
52. घुवाडी
53. कोंघारा
54. सखारा बुदुर्क
55. धारना
56. मांगी
57. ढाकी
58. वायी
59. पिंपालपुर
60. गणेशपुर
61. खैरगांव,
62. पाह
63. निलजई
64. मारगांव
65. अभोरा
66. डोंगरगांव,
67. पिंपारी
68. खैरगांव
69. मुची
70. मंगुर्दा
71. पन्धारवानी बुदुर्क (वन गांव)
72. कोंधी
73. वेदाद
74. बागी
75. घनमोडे
76. नन्दगांव
77. गणेशपुर
78. टाटापुर
79. जुन्जापुर
80. गेंडवाकाडी
81. चलबर्दी
82. बेलुरी
83. टादुमारी
84. बरगांव
85. अकोली बुदुर्क

86. महानदोली	92. वानजारी	98. अन्धारवाडी,
87. सखारा	93. खारीगांव बुदुर्क	99. यलापुर (वन गांव)
88. मराठवाकाडी	94. टिमभी	100. चनाखा
89. ढोकी	95. राधापुर (वन गांव)	101. निमधोली
90. वल्लारपुर	96. पिखाना (वन गांव)	102. रूधा
91. टोकवनजारी	97. वासएरी	103. सुकली

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

घतांजी तहसील :		
1. मरवेली	19. मनुसधारी	37. रासा (वन गांव)
2. रजुरवाडी	20. अयाते	38. जताला
3. लिंगी	21. काप	39. चिखालवार्धा
4. कोली खुर्द	22. कवाथा बुदुर्क	40. तड-सवाली
5. कोली बुदुर्क	23. बिलायत	41. सफैाल
6. रामपुर उन्धार्नी	24. खादकी	42. नागेजरी बुदुर्क
7. कपाशी	25. चिमटा	43. कवाथा (वन गांव)
8. डेटोडी	26. कोपरी खुर्द	44. पारवा
9. गुधा	27. चिंचोली (268)	45. मझाडा
10. वारूड, (240),	28. किंधी (वन गांव)	46. पार्दी
11. जपारवाडी	29. गवारा (वन गांव)	47. जम्ब
12. उमरी (242)	30. टिटवी	48. कालेश्वर
13. पलोडी	31. मुरादगवन (वन गांव)	49. शेराद
14. कापरी (244)	32. पिंपाल खुटी (वन गांव)	50. धूंकी (वन गांव)
15. घोटी	33. खरोनी (वन गांव)	51. मथानी (वन गांव)
16. बुडाडी	34. वधोना	52. राजागांव (वन गांव)
17. मुधाटी (वन गांव)	35. डोर्ली	53. खापरी (वन गांव)
18. जलान्द्री	36. राहती	54. होनेगांव
		55. गनेडी

10. **गदचिरोली जिले में निम्नलिखित :-**

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धानोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील :

1. नवगांव	21. मुदजा बुदुर्क	42. तोहागांव
2. चाक चुरचुरा	22. मुदजा तुकुम	43. गजनगुद्दा
3. कुराधी	23. करूपाला	44. बनोली
4. चाक मउसी	24. मसली	45. सूर्यडोंगरी
5. मरमेडी	25. रणभूमि	46. सलाईटोला
6. बोथेडी	26. चन्दाला	47. विटानटोटा
7. पेलनदुर,	27. रणमोल	48. पोटेगांव
8. गिलगांव	28. कुम्भी पत्च	49. रजोली
9. चाक खारपुर्डी,	29. कुम्भी मोकासा	50. मद्रास
10. जपरा,	30. मादे मुल	51. जालेर
11. चाक धिबाना	31. मारोदा	52. दैवापुर
12. मेरउमबोडी	32. कोसाम घाट	53. रामगाड,
13. कुरकेडी	33. रायपुर	54. गावलहेटी
14. खुरसा	34. रवानजोरा	55. डेउडा
15. वीजापुर	35. पेकिनकासा	56. खरादगुडा
16. सोनापुर	36. सवेला	57. तालकुडा
17. मोंधा	37. सुईमारा	58. जामगांव
18. सावरगांव	38. सखेरा	59. खाडसी
19. कनरी	39. कर्कजारा	60. कोरकुटी
20. पुलखाल	40. कन्हलगांव	61. नागवेली
	41. केलीगाटा	62. जालेगांव

(ii) अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अरमोली तहसील :

1. कोरागांव	7. कसारीगांव	13. डोंगारगांव (हलाबी
2. कालमगांव	8. शिवराजपुर	14. प्लासगांव
3. कुरल	9. पोटेगांव	15. नवारगांव
4. सलेडा तुकाम	10. विहिरगांव	16. पनथारगोटा
5. सलेडा लाम्बा	11. पिंपालगांव	17. मगेवेड़ा
6. कसारी तुकाम	12. अरात-तोन्डी	18. अर मोरी

19. सलमारा	38. चाक कुरोंडी	57. कोरेगांव
20. थानेगांव	39. वाडेगांव	58. वारखेडा
21. पटानवेडा	40. थोटीबोडी	59. खराडी
22. पुरानवैरागड	41. देलवांडी	60. भंशी
23. देउलगांव	42. मेनापुर	61. डोर्ली
24. सुकला	43. कोसारी	62. वनारचुवा
25. मोहाजारी ऊर्फ सखारबोडी	44. मनगोडा	63. जमभाली
26. चाक केरनाडा	45. तुलतुली	64. मिंधा
27. लोहारा	46. चकनागारवाही	65. नारचोली
28. चाक सोनपुर	47. विहिरगांव	66. खेहारी
29. हीरापुर	48. कुरांडी	67. मारगांव पेच
30. डोंगर तमसी	49. उमारी	68. मारगांव
31. सियानी खुर्द	50. यंगाडा	69. चाक मारगांव
32. चावहेला	51. पिसेवाडढ़ा	70. चाक चिचोली
33. मोहाताला चाक कुकोडी	52. परासवाडी	71. मुसी खुम्ब
34. मेंधा	53. डवाडी	72. वेलागांव
35. डोंगारतमसी	54. खादकी	73. चिचोली
36. नगरवाडी	55. भाकरांडी	74. वानखेडा
37. चाक नरोती	56. नरोती मालगुजार	

(iii) चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

चामोरसी तहसील :

(1) सगानपुर	(13) वालसारा	(25) चाक अमरगांव न. 1
(2) वनढोना	(14) चाक विजापुर	(26) मुतनूर
(3) गिलगांव	(15) जोगाना	(27) अबापुर
(4) भिंडी कनाल	(16) मुरमुरी	(28) मुरानदेपी
(5) देटारी	(17) रावनपाली	(29) लिनगुडा
(6) चाइट कनवर	(18) सोनापुर	(30) अदयल
(7) कलामगांव	(19) डरर्ली	(31) कर्कापल्ली
(8) कुरूड	(20) रेखागांव	(32) चाक कर्कापल्ली
(9) मेलर	(21) यदनूर	(33) जंगामकुरल
(10) कुलीगांव	(22) पेलसानपेथ	(34) फियूजर
(11) नाचागांव	(23) पन्धारी भटाल	(35) दिकानी
(12) बहेडविहिड	(24) राजनगेट्टा	(36) चाक मुदोली न. 2

(37) लक्ष्मणपुर
(38) सगानपुर
(39) अम्बोली
(40) गहुबोदी
(41) छाक नारायनपुर संख्या 1
(42) छाक नारायनपुर संख्या 2
(43) राजुर वुदर्क
(44) भादविड
(45) मांगनेर
(46) छिचपाल्ली
(47) वानारछुवा
(48) जयरामपुर
(49) वाइगांव
(50) नारायणपुर
(51) राजौर खुर्द
(52) हलदवाही
(53) मुधोली
(54) कोठारी
(55) बम्हनी देव
(56) सोमनापल्लि
(57) कान्हलगांव
(58) सिंगेला
(59) बेलगाट्टा
(60) पेठाताला
(61) छाक पेठाताला सं. 1
(62) पारादीदेव
(63) यादापाल्ली
(64) राजपुर
(65) जाम्भाली रिथ
(66) मेटे गुडा
(67) छाक बेलगत्ता
(68) मांजी गांव
(69) मच्छाली गोट
(70) छाक माक्केपल्लि सं. 4
(71) दर्पन गुडा
(72) छाक माके पल्लि सं. 2
(73) छाक माकेपल्लि सं. 3
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव
(76) छाक मेड आमगांव संख्या 1
(77) छाक मेड आमगांव संख्या 2
(78) तुमडी
(79) रिगाडी
(80) माकेपाल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) वेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्ला पाल्लि
(87) रेगेवाही
(88) कोलपाल्लि
(89) अम्बेला (वनग्राम)
(90) गोट्टा (वनग्राम)
(91) अडगेपाल्लि
(92) सुरगांव (वनग्राम)
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा
(96) लोहरा
(97) मुकारीटोला
(98) भोलखांडी (वनग्राम)
(99) हेतलकासा
(100) बोलपाल्लि
(101) पुलीगुड्म
(102) कुनगादा
(103) कुनगाड़ा
(104) कालपुर
(105) गंगापुर
(106) चंदन खेड़ी
(107) मालेरा
(108) बसारवाडा
(109) छपराला
(110) छइदामपेट्टी
(111) मुकाडी (वनग्राम)
(112) सिगनपाल्लि
(113) धामनपुर
(114) कोठारी (930)
(115) अम्बाटपाल्लि
(116) गोमानी
(117) लागमहेट्टी
(118) दामनपुर
(119) बन्दुकपाल्लि
(120) कोडीगांव
(121) छिछेला
(122) नागुलवाही
(123) छितुगुंहा
(124) तुमुगुडा
(125) माछिनगट्टा
(126) येल्ला
(127) टिकपाल्लि
(128) मरपाल्लि
(129) जामगांव
(130) कुलथा
(131) रामपुर
(132) लागम छाक

11. **चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-**

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) परसौदा
(2) रायपुर
(3) खतौडा खुर्द
(4) गोविंदपुर
(5) खतौडा बुदुर्क
(6) मेंहदी
(7) परदी
(8) जैवरा
(9) चनाई खुर्द
(10) अकोला
(11) कोरपाना
(12) दुर्गादी
(13) रूपापेठ
(14) चनाई बुदुर्क
(15) मांडवा
(16) कनेरगांव बुदुर्क
(17) कथलावौडी
(18) शिवपुर
(19) चौपान
(20) करमवौडी
(21) कुकुलवौडी
(22) टीपा
(23) मंगुलहीरा
(24) खोदकी
(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदुर्क
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) दाहेगांव
(54) सोनुरलो
(55) करगांव खुर्द
(56) धानोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा मांव्बा
(75) टेका अर्जुनी बुदुर्क
(76) टेका
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी

(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदुर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) नोकारी खुर्द
(107) नागराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवाई
(145) बाबापुर
(146) हीरापुर
(147) सखारी
(148) मनोली बुदुर्क
(149) गोयेगांव
(150) हरडोनाखुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विनिरगांव
(153) मागी
(154) वांगी
(155) पांढरपुनी
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोराज
(159) बारुर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरवाही
(163) चिरूड
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव
(172) छिंछाला
(173) वीरूर
(174) सिद्घेश्वर
(175) घोट्टा
(176) डोगरागांव
(177) सुबाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोट
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव
(182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सं.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र 7 राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा##

1. मयूरभंज जिला
2. सुंदरगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।
6. बोधा-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।
7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।
8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश, 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान$

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :-

   (क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें

   (ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

      (1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

      (2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

      (3) नाई पंचायत का नाई गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली कालीवास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरा और ज्वाला गांव

(8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नसेरा, कनूर और उदिया खेरा गाँव

(12) बारपाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव

(13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोढा, धुलिया की पटी और सावीना खेरा गांव

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चंदसा पंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के, भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील

5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

[+] राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध राजस्थान राज्य से है, रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड[$$]

1. रांची जिला

2. लोहरदगा जिला

3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

$$ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां. आदेश 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सां.आ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश[$$$]

1 झाबुआ जिला

2 मंडला जिला

3 सरगुजा जिला

4 बरवानी जिला

5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील

6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।

8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील

9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और मिनसेदी तहसील।

10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।

11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील

12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड

13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील

14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड

15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड

16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड

17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।

बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और धावादिखाना गांव।

IX. छत्तीसगढ़ $$$

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला- 1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल

7. कोरबा जिला

8. जशपुर जिला

9. रायगढ़ जिले में धार्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड

10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड

11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड

12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड

13. धामतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिण ाामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

अनुलग्नक 6थ :
अनुसुचित क्षेत्रों के प्रसाशन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिन वर्षों के लिए राज्यपाल की रिपोर्टों प्राप्त हुई				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	एन.आर.	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.
2.	छत्तीसगढ़	एन.आर.	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.
3.	गुजरात	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी
4.	झारखंड	एन.आर.	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.
6.	मध्य प्रदेश	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.	एन.आर.
8.	ओडिशा	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.
9.	राजस्थान	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	प्राप्त की गयी	एन.आर.*	एन.आर.

*एन.आर. – प्राप्त नहीं हुई।

अनुलग्नक 6द :

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 से राज्यों द्वारा आयोजिक की गई जनजातीय परमर्शदात्री परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण

राज्यों के नाम	आयोजित टीएसी बैठकों की तिथियां	
	2011-2012	2012-2013
आंध्र प्रदेश	18.2.2.12	रिपोर्ट नहीं की गयी
छत्तीसगढ़	26.9.2011	13.7.2012 तथा 25.11.2012
गुजरात	24.1.2012	रिपोर्ट नहीं की गयी
हिमाचल प्रदेश	5.3.2012	रिपोर्ट नहीं की गयी
झारखंड	19.4.2011, 16.6.2011 तथा 30.1.2012	09.11.2012
मध्य प्रदेश	20.7.2011	रिपोर्ट नहीं की गयी
महाराष्ट्र	4.1.2012	रिपोर्ट नहीं की गयी
उड़ीसा	13.5.2011	28.09.2012
राजस्थान	21.7.2011 तथा 9.2.2012	7.9.2012
तमिलनाडु*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी
पश्चिम बंगाल*	रिपोर्ट नहीं की गयी	रिपोर्ट नहीं की गयी

(टिप्पणी: * दर्शाया गया है कि राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र नहीं है)
(एन.आर.: रिपोर्ट नहीं की गयी)

अध्याय 7

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)

टीएसपी को एसीसीए

7.1 मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह एक मुख्य कार्यक्रम है और इसके अन्तर्गत, योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसे उन क्षेत्रों के लिए, राज्य योजना के योगज के रूप में माना जाता है, जहां राज्य योजना प्रावधान सामान्य रूप में जनजातियों का आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम 1974 के दौरान शुरू किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का आशय जनजातीय उपयोजना के परिवार आधारित आय सृजनकारी कार्यकलापों की बहुत बड़ी खाई को पाटना था।

7.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य एवं स्कोप में विस्तार किया गया था ताकि रोजगार व आय सृजनात्मक गतिविधियों एवं उससे संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं को इसके अन्तर्गत लाया जा सके । परिवार आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त स्वयं-सहायक समूहों / समुदाय द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी प्रारम्भ की जाती हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के विस्तार का मूलभूत उद्देश्य मांग आधरित आय-सृजन कार्यक्रमों में गति लाना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश मई, 2003 में जारी किए गए थे, निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन दर्शाते हुए जनवरी, 2008 में इन्हें फिर से संशोधित किया गया है।

(क) वाटरशेड आधारित आय सृजनकारी कार्यक्रमों (ख) कौशल/प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, भंडारण, लघु पैमाने पर कारोबारी निविष्टियां आदि जैसे विशिष्ट आय सृजनकारी कार्यकलापों (ग) बाजारों, सेवा डिलीवरी केन्द्रों के साथ कनेक्टिविटी आदि पर विशेष ध्यान दिया गया; चूंकि मंत्रालय इन सबके लिए व्यापक भूमिका नहीं निभा सकता, अत: प्रत्येक राज्य स्वयं कार्यक्रम बनाएगा और कुशलता से उनकी निगरानी करेगा; मंत्रालय दूसरे स्तर की निगरानी करेगा;

7.3 विशेष केन्द्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा और दो संघ राज्य क्षेत्रों सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है। तथापि, वर्ष 2003-04 से संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां गृह मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं और मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों में निधियों के प्रशासन से संबंधित नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में तथा निम्नलिखित जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त की जाती है:

1. आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र (संख्या में 192), जो सामान्य रूप से कम से कम तहसील, ब्लॉक या उनसे अधिक आकार के संलग्न क्षेत्र हैं जिनमें कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
2. माडा पाकेट (संख्या में 259), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं, जो न्यूनतम 10,000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।

3. क्लस्टर (संख्या में 82), ये पहचान किए गए ऐसे क्षेत्र हैं जो न्यूनतम 5000 की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और इसमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी), जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर तथा साक्षरता का अत्यंत कम स्तर इनकी विशेषता है।
5. बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या, जो उपर्युक्त क्रम संख्या (1) से (4) में उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती।

वित्तपोषण प्रतिमान

7.4 मंत्रालय राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्यार्थ वार्षिक तौर पर उपलब्ध करवाई गई निधियों में से 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान करता है।

मई, 2003 में निर्धारित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं; इन्हें जनवरी, 2008 में निर्धारित प्रक्रियात्मक आशोधनों के साथ पढ़ना होगा :-

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता दी जाती है;
2. विशेष केन्द्रीय सहायता का 70 प्रतिशत उपयोग उन प्राथमिक योजनाओं के लिए किया जाए जो परिवार/स्व सहायता समूह/कृषि/बागवानी, भूमि सुधार, जल संभर विकास, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वन एवं वन ग्रामों का विकास, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमिता विकास आदि जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित रोजगार एवं आय-सृजन से संबंधित हैं तथा 30 प्रतिशत का उपयोग उनसे सम्बद्ध अवसंरचना के विकास के लिए किया जाए;
3. वन गांवों में रहने वाली उपेक्षित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाए एवं संयुक्त वन प्रबंधन के साथ कार्यक्रमों के सामंजस्य को प्राथमिकता दी जाए;
4. एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक विशिष्ट क्षेत्र लघु योजनाएं तैयार करना;
5. कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए;
6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन;
7. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग बनाया जाए;

राज्यों को निधियों के आबंटन हेतु मानदंड

7.5 (क) टीएसपी को एससीए के अधीन कुल वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदानों के लिए आरक्षित रखा जाता है और नीचे निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करने वाले चुने गए राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है :

ज्यादा एकीकृत और केन्द्रित नियोजन तथा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करके कि पूरी टीएसपी निधि, राज्य में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में, एक बजट शीर्ष के अतंर्गत राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर पूर्णत: टीएसपी दृष्टिकोण अपनाना।

उसके बाद अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधि का औसतन 75 प्रतिशत वास्तव में प्रयोग/निर्मुक्त किया जाए, जो पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष से कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किया गया है; और

प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग केवल जनजातियों के लाभार्थ रोजगार एवं आय-सृजन के क्रियाकलापों के लिए किया जाए।

(ख) एससीए के अंतर्गत कुल वार्षिक परिव्यय के शेष 90 प्रतिशत भाग को बाद में राज्यों में जनजातीय उपयोजना की व्यापक रणनीति के तहत कार्यक्रमों, जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेट (माडा), क्लस्टर एवं आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी)के हिस्से के आधार पर, आबंटित किया जाएगा तथा उसकी गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।

आईटीडीपी, माडा, क्लस्टर और आदिम जनजातीय समूह एवं बिखरी जनजातियों के कार्यक्रमों के अधीन राज्य-वार धनराशि का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

7.6 (क) **एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए)/एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी):** आईटीडीपी/आईटीडीए को एससीए आबंटित करने के लिए राज्यों को दो समूहों में बांटा जाता है।

श्रेणी (क) : इसमें वे राज्य आते हैं जिनका काफी भू-भाग जनजातीय बहुल जनसंख्या से आबाद है जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम।

श्रेणी (ख) : इसमें वे राज्य आते हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में जनजातीय बहुल्य वाले हैं किंतु राज्य में जनजातियों की बिखरी जनसंख्या है जैसे असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल।

आईटीडीपी को एससीए के सकल परिव्यय का आबंटन उपर्युक्त दो श्रेणियों के राज्यों के बीच प्रत्येक समूह के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

श्रेणी 'क' के लिए आबंटित निधियों को राज्यों में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बांटा जाता है :

70 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर;

30 प्रतिशत आईटीडीपी/आईटीडीए के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर।

श्रेणी (ख) राज्यों के लिए आबंटित निधियों को केवल आईटीडीपी में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है।

(ख) माडा पॉकेट, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियां:- माडा पॉकेटों, क्लस्टर और बिखरी हुई जनजातियों में अनु. जनजाति जनसंख्या के आधार पर 100 प्रतिशत।

(ग) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी):- वितरण का सूत्र इस प्रकार है :

आदिम जनजातीय समुदायों के संख्यात्मक आकार पर राशि का 70 प्रतिशत।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समूहों की संख्या के अनुसार राशि का 30 प्रतिशत।

7.7 मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की पात्रता की गणना करने के बाद राशि का परिकलन माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति और बिखरे हुए जनजातीय समूह (डीटीजी) के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य द्वारा एससीए, एक सुनियोजित ढ़ग एवं लक्ष्य के अनुसार माड़ा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, कलस्टरों में अनुसूचित जनजातियों, कलस्टरों में अनुसूचित जनजातियों और बिखरे जनजातीय समूहों के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए, अलग से निर्धारित किया जाएगा।

7.8 आईटीडीपी हेतु आशयित प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित एससीए के शेष भाग को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक आईटीडीपी को इन आईटीडीपी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के समानुपात में किसी राज्य विशेष में आईटीडीपी की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है। आईटीडीपी, माडा पॉकेट, क्लस्टर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में पीटीजी, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों और एक जनजातीय सलाहकार परिषद के विवरण **अनुलग्नकः 7 (क)** में दिए गए हैं।

7.9 वर्ष 2012-13 के लिए बजटीय सहायता 1200.00 करोड़ रु. है, जिसका उपयोग वन गांवों के विकास कार्यक्रम के लिए भी किया जाता है, जो अभिज्ञात वन गांवों में अवसंरचनात्मक विकास प्रदान करने का एक कार्यक्रम है।

उपलब्धि

7.10 1200.00 करोड़ रु. की आबंटित धनराशि में से 31.12.2012 तक 811.29 करोड़ रु. की राशि राज्यों को निर्मुक्त की गई थी। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान की गई निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण **अनुलग्नकः 7 (ख)** में दिया गया हैं।

आकृति 7 (i) 10वीं पंचवर्षीय योजना से टीएसपी को एससीए के तहत निर्मुक्तियां

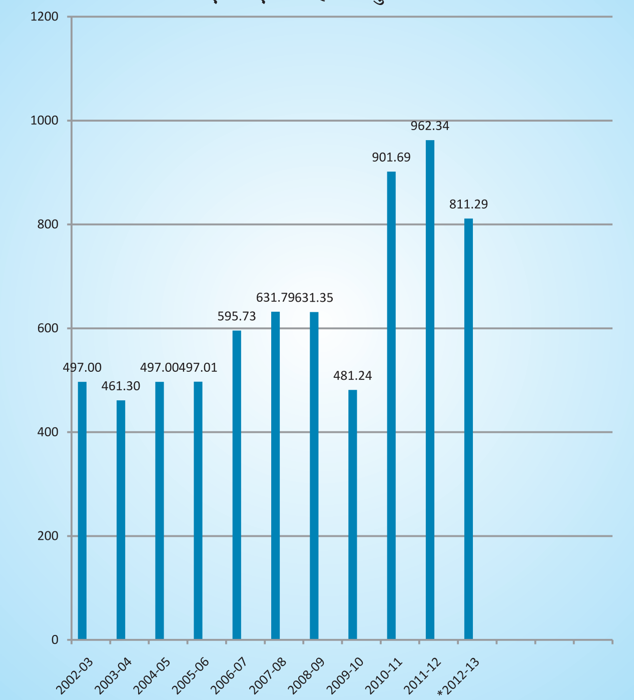

*2012-13 आंकड़े 31.12.2012 तक

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान निर्मुक्तियों की प्रवृत्ति नीचे आकृति 7(ii) में दी गई है, जिससे जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्दीय सहायता के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के समर्थन में निरंतर वृद्धि का पता चलता है।

आकृति 7 (ii) टीएसपी को एससीए के तहत योजनावार निर्मुक्तियां

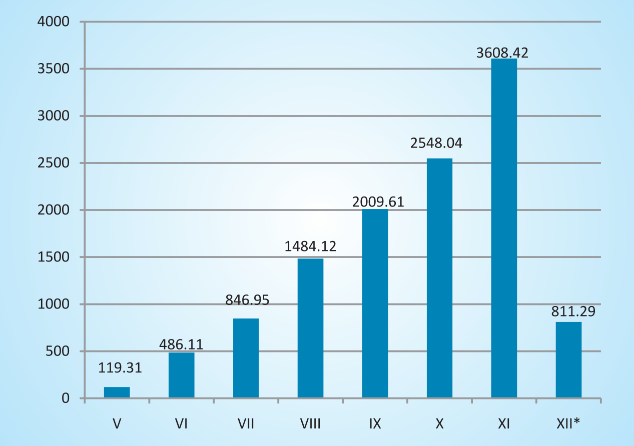

*12वीं योजना - 31.12.2012 तक आंकड़े

वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम

7.11 स्वतंत्रता से पूर्व वानिकी के विभिन्न कार्यों हेतु सुरक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए वन क्षेत्रों में आवास स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे ये आवास गांवों में बदल गए। ये ग्राम जिलों के राजस्व प्रशासन से बाहर हैं, इसलिए विकास के लाभों से वंचित हैं। इन वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। तथापि, 12 राज्यों में 2474 ऐसे वन ग्राम हैं जो राज्यों के वन विभागों के प्रबंधन में हैं। इन ग्रामों के अधिकांश निवासी जनजातीय हैं। इन ग्रामों के विकास का स्तर राज्य के शेष क्षेत्रों के बराबर नहीं है। वन ग्रामों पर उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वन ग्रामों की संख्या
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	425
3.	गुजरात	199
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	23
6.	मध्य प्रदेश	893
7.	मिजोरम	85
8.	ओडिशा	20
9.	त्रिपुरा	62
10.	उत्तराखण्ड	61
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	170
	कुल	**2,474**

7.12 2.5 लाख जनजातीय परिवारों वाले वन ग्रामों का विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय विकास का प्रमुख क्षेत्र है। तद्नुसार, योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वन ग्रामों के विकास के लिए औसतन 15 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से 450 करोड़ रुपए आबंटित किए। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग के विस्तार के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए तथा मंत्रालय के वर्ष 2005-06,

2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 करोड़ रू. के बजट में क्रमशः 230 करोड़ रु., 220 करोड़ रु., 150 करोड़ रु., 150 करोड़ रु., 100 करोड़ रु. और 60.50 करोड़ रु. तथा 42.01 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। दसवीं योजना के अंत में, यह सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया गया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान सीमित समयावधि के लिए राजस्व गांवों में लंबित परिवर्तन के लिए गांवों में पर्याप्त विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जाए। यह निर्णय भी लिया गया कि दसवीं योजना के प्रथम चरण के दौरान वित्तपोषित सभी वन गांवों को 15 लाख रु. तक की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी। तद्नुसार, कई राज्य सरकारों से इसके लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों से अधिकांश गांवों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दूसरे चरण के निधियन हेतु 31.03.2012 तक 297.58 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2012-13 में कोई अतिरिक्त निर्मुक्तियां नहीं की गई हैं और इस विषय पर मूल्यांकन अध्ययन अपेक्षित है।।

7.13 विकास के संदर्भ में सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्ग, पेयजल, सिंचाई जैसी न्यूनतम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं एवं आय-सृजन की गतिविधियों पर विचार किया गया है। परियोजनाओं या प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कार्यविधि

7.14 पहले एनएईबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की संवीक्षा करता है फिर उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करता है, जहां त्रिदलीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमति देने के लिए

तालिका 7.15 वन ग्रामों के विकास के लिये राज्यों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	निर्मुक्त राशि
		(2005-06)	(2006-07)	(2007-08)	(2008-09)	(2010-11)	(2011-12)	(2012-13)
1.	असम	4059.00	1817.42	0.00	4696.05	0.00	0.00	-
2.	छत्तीसगढ़	4359.00	4161.37	1034.00	0.00	1500.00	1297.18	-
3.	गुजरात	1979.00	1434.38	593.62	0.00	0.00	0.00	-
4.	झारखंड	129.71	173.87	0.00	0.00	1351.96	0.00	-
5.	मेघालय	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6.	मध्य प्रदेश	6190.65	10472.42	2829.00	6502.50	0.00	0.00	-
7.	मिजोरम	202.50	1317.50	190.00	435.00	0.00	202.50	-
8.	ओडिशा	157.14	133.46	0.00	180.00	0.00	0.00	-
9.	त्रिपुरा	0.00	930.00	0.00	558.00	0.00	0.00	-
10.	उत्तराखंड	0.00	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	30.00	151.14	0.00	-
12.	पश्चिम बंगाल	2104.00	699.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	-
	कुल	**19181.00**	**22097.09**	**4646.62**	**14951.55**	**3003.10**	**1499.68**	-

टिप्पणी: (i) वर्ष 2009-10 के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई थी।
(ii) वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई थी।

इन पर विचार किया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग एवं संबंधित राज्य सरकारों के निकट सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।

निधियों की निर्मुक्ति

7.15 वन ग्रामों वाले सभी 12 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और कार्यक्रम के प्रारंभ से ही निधियां निर्मुक्त कर दी गई थी जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अल्प निधियन किया जाना शेष है जिसके लिए राज्यों से प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के लिए कहा जा रहा है।

निधियों के प्रवाह की प्रणाली

7.16 प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद वन विकास अभिकरण (एफडीए) को हस्तांतरित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। इस क्षेत्र में वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं। परवर्ती किस्तें एफडीए द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं।

निगरानी तंत्र

7.17 राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे एनएईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव, निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली बनाएं। एफडीए को एनएईबी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से एनएईबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है जो उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

7.18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

''ऐसी राशियाँ जिसे संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है वे ऐसे राज्यों, जिन्हें संसद सहायता के लिए जरूरत मंद निर्धारित कर सकती है, के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में प्रति वर्ष भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होगी तथा अलग-अलग राज्यों हेतु अलग-अलग राशि निधारित की जा सकती है।

''बशर्ते कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संवर्धन के उद्देश्य या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के बराबर उठाने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्यों द्वारा की गई ऐसी विकास योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में भारत की समेकित निधि से भुगतान किया जाएगा।''

उपरोक्त संवैधानिक बाध्यता के अनुसरण में जनजाति कार्य मंत्रालय 'सविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाली राज्य सरकार को निधियां प्रदान करता है।

उद्देश्य

7.19 योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन करना है।

कवरेज

7.20 आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल नामक 26 राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

निधियन प्रतिमान

7.21 यह एक विशेष केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है और (1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, और (2) जनजातीय लोगों को राज्य के शेष हिस्से के बराबर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु ऐसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातीय विकास की प्रत्येक योजना की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्यों को अनुदान उस राज्य में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता

है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति एवं उपयोग के दिशानिर्देश वर्ष 2002 में संशोधित किए जा चुके हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन दर्शाते हुए जनवरी, 2008 में इसे और संशोधित किया गया है:

> सामुदायिक कल्याणकारी परिसम्पत्तियों जैसे विद्यालय, कौशल पूर्ण शिक्षण, पोषण, पेयजल इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करना; नवीन अनुदान वास्तव में नई योजनाओं के लिए हैं- अन्तिम आउटपुट/परिणाम या सुपुर्दगी के तरीके के सन्दर्भ में है; प्रत्येक राज्य को स्वंय ही कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी प्रणाली बनानी होगी एवं प्रचालित करनी होगी क्योंकि यहां मंत्रालय कोई भूमिका नहीं निभा सकता; मंत्रालय को द्वितीय स्तर की निगरानी करनी होती है।

मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2002 में निर्धारित दिशा निर्देश निम्नवत हैं: इन्हें जनवरी 2008 में निर्धारित प्रक्रियात्मक संशोधनों के साथ पढ़ा जाए:

(i) 2000-01 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान ब्लॉक ग्रांट्स के रूप में जारी किए जाते थे। तब से निधियां ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण हेतु परियोजनाएं चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों को राज्य के शेष भाग के बराबर लाने के लिए आवश्यक हों।

(ii) राज्य ऐसे क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के बीच की खाई पाटने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

(iii) दिशानिर्देशों में परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी के संबंध में परिकल्पना की गई है। राज्य पंचायत अधिनियमों तथा पेसा (पीईएसए) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर समुचित ध्यान दिया जाना है।

(iv) बहु-आयामी दलों के माध्यम से आईटीडीपी/ माडा/ क्लस्टरों के लिए माइक्रो-प्लान तैयार करने के लिए एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

(v) कम से कम 30 प्रतिशत परियोजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना होना चाहिए।

(vi) अनुदान का 2 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण, एमआईएस, प्रशासनिक खर्चों, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(vii) अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए मंत्रालय की पूर्वानुमति से राज्यों के आबंटन का 10 प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है।

(viii) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान से निधियों के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत अभिनव अनुदान के रूप में आवंटित किया जाता है। 26 राज्यों में से यह केवल उन्हीं राज्यों को आबंटित किया जाता है, जो टीएसपी दृष्टिकोण अपनाते हैं अर्थात् वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में कम से कम अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में निधियां निर्धारित की हैं, निधियों को एक बजट शीर्ष जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में रखा गया है और पिछले तीन वर्षों में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटनों का कम से कम 75 प्रतिशत व्यय किया जाए। चार जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में, मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अनुदान के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए किसी राज्य को इसके लिए योग्य पाए जाने पर नए अनुदानों के लिए विचार किया जाएगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

7.22 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान किया गया था। दसवीं योजना के अंत तक 22 राज्यों में 100 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 92 प्रचालानात्मक किए जाने की सूचना हैं।

7.23 इस प्रयोजन के लिए बनाई गई एक स्वायत्त सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों को चलाया जाना

अपेक्षित था। इन विद्यालयों में शिक्षा का एकसमान पैटर्न प्रदान करने के लिए और इनके विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों (चिकित्सा, तकनीकी आदि) के लिए ये विद्यालय मुख्यत: राज्य बोर्डों से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का नाम दिया गया है और इन्हें नवोदय विद्यालयों के अनुरूप चलाने की परिकल्पना की गई लेकिन राज्य केन्द्रित प्रबंधन के साथ।

7.24 ईएमआरएस की स्थापना करने हेतु दिशानिर्देशों को जून, 2010 में पुन: संशोधित किया गया है; ऐसी आशा की जाती है कि देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को और अधिक ईएमआरएस की स्थापना हेतु नए प्रयास किए जाने से पर्याप्त लाभ होगा। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

ईएमआरएस का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों को मिडिल और उच्चत्तर माध्यमिक स्तर की गुणवता परक शिक्षा प्रदान करना है; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस का निर्माण करने और चलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से निधियां देंगे;

ईएमआरएस के लिए आवर्ती और अनावर्ती लागतें काफी बढ़ गई हैं। छात्रावासों तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय परिसर के लिए पूंजीगत लागत को 2.50 करोड़ रुपए से संशोधित कर 12.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलों और द्वीपों के लिए इसे 16.00 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी होती है। आवर्ती लागत को प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 42000 रुपए निर्धारित किया गया है। महंगाई इत्यादि के लिए प्रतिपूर्ति हेतु इसे प्रत्येक दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है;

राज्यों को ईएमआरएस कार्यक्रम और इसके विस्तार हेतु मंत्रालय का समर्थन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधन की उच्च गुणवता को सुनिश्चित करने के बाद ही दिया जाएगा;

ईएमआरएस या तो राज्य अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वांछित हो, से जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ईएमआरएस के प्रबंधन और प्रभावी कार्यकरण के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा;

7.25 वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 37 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 15 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे और 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2012-13 में कोलार (कर्नाटक) में एक ईएमआरएस स्वीकृत किया गया है। इन स्वीकृत 153 में से, 108 को संचालित बताया गया है।

आबंटन

7.26 वर्ष 2011-12 के दौरान योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम-अनुदान हेतु 1197.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है।

7.27 दसवीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के दौरान राज्य सरकार को किए गए वार्षिक आबंटन और निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (निर्मुक्ति)
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00
2005-06	380.00	380.00
2006-07	400.00	400.00
2007-08	400.00	390.28
2008-09	416.00	339.78
2009-10	1000.00	399.10
2010-11	1046.00	999.88
2011-12	1197.00	1084.83
2012-13	1317.00	755.40 (31.12.12 तक)

7.28 वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2012-2013 (31.12.2012 तक) के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में की गई राज्यवार निर्मुक्ति का विवरण **अनुलग्नक 7-ग** में उपलब्ध है।

10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त राशि निम्नलिखित आकृति 7(iii) में दर्शायी गयी है:

आकृति 7 (iii) अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्षवार निर्मुक्तियां

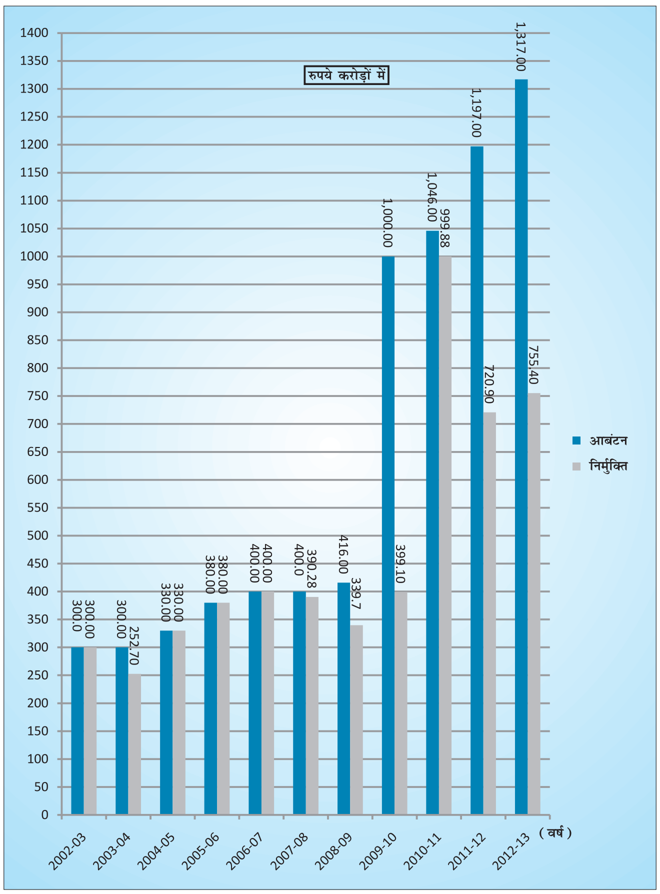

10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त राशियां निम्नलिखित आकृति 7(iv) में दर्शायी गई हैं:-

आकृति 7 (iv) अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्षवार निर्मुक्तियां

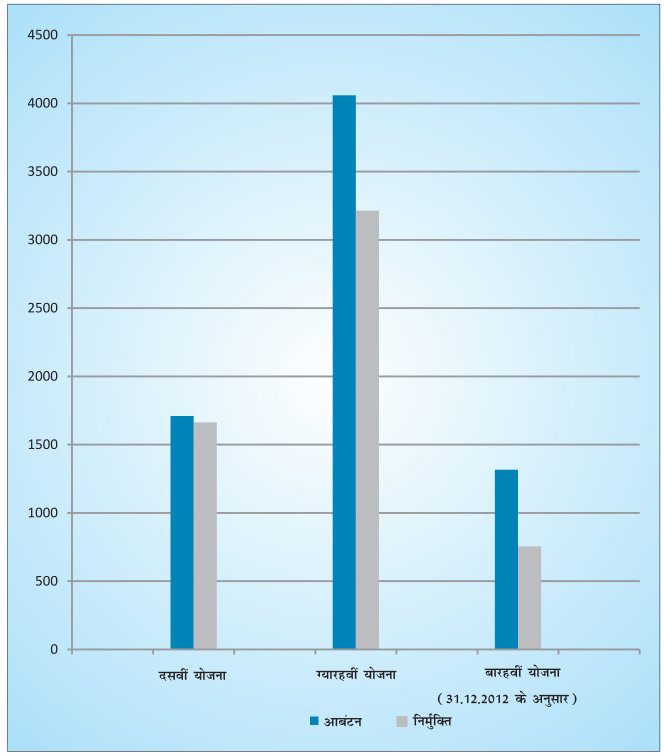

7.29 मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से शुरू की गई योजनाओं/कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्रता से करने की पहल की। वर्ष के दौरान मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों के साथ उठाया और परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि धीरे-धीरे कम हो रही है। कार्यान्वयन को और शीघ्रता से करने के लिए और निधियों की संभव पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु 2007-08 से उन राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की गई, जिनके पास पूर्व में निर्मुक्त की गई निधियों में से अव्ययित शेष राशि पड़ी थी।

❑

अनुलग्नक : 7-क

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/अभिकरण (आईटीडीपी/आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट, क्लस्टर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) की स्थिति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	संख्या			
		आईटीडीपी/ आईटीडीए पॉकेट	माडा	क्लस्टर	पीटीजी
1.	आंध्र प्रदेश #	8	41	17	12
2.	असम	19	-	-	.
3.	बिहार	-	7	-	9**
4.	छत्तीसगढ़ #	19	9	2	**
5.	गुजरात #	9	1	-	5
6.	हिमाचल प्रदेश #	5	2	-	.
7.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	.
8.	झारखंड #	14	34	7	**
9.	कर्नाटक	5	-	-	2
10.	केरल	7	-	-	5
11.	मध्य प्रदेश #	31	30	6	7**
12.	महाराष्ट्र #	16	44	24	3
13.	मणिपुर	5	-	-	1
14.	ओडिशा #	21	46	14	13
15.	राजस्थान #	5	44	11	1
16.	सिक्किम	4	-	-	.
17.	तमिलनाडु $	9	-	-	6
18.	त्रिपुरा*	-	-	-	1
19.	उत्तर प्रदेश	1	1	-	2**
20.	उत्तराखंड	-	-	-	**
21.	पश्चिम बंगाल $	12	-	1	3
22.	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	-	-	5
23.	दमन व दीव	1	-	-	.
	कुल	**192**	**259**	**82**	**75**

* त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं हैं। त्रिपुरा में जनजातीय स्वायत्त जिला परिषदें (टीटीएएडीसी) हैं। दिनांक 03.10.2006 के त्रिपुरा राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.15-2/भाग-I/टीडब्ल्यू/एसपी/2004/14648 की सूचना के अनुसार संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से प्रभावी छठी अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार त्रिपुरा तक किया गया है।

** बिहार तथा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पीटीजी समान हैं।

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) हैं।

$ राज्यों में केवल टीएसी ही हैं।

अनुलग्नक : 7-ख

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2012-13 तक के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता की निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्रप्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	5558.00
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00
8	जम्मू और कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00
9	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	9140.25
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	352.36	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00
12	मध्यप्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00
14	मणिपुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10
15	ओडिशा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	280.36	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	142.59	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00
19	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00
20	उत्तराखंड	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75
	कुल	**49700.00**	**46130.00**	**49700.00**	**49701.00**	**59573.91**	**63179.81**	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**96234.09**	**81129.35**

अनुलग्नक : 7-ग

2002-03 से 2012-13 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. मं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-2004	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्रप्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2453.03	1863.44	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00
2	अरुणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	544.29	308.68	35.20	772.00	1082.83	0.00
3	असम	1023.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1192.63	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00	0.00
4	बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20	0.00	95.00	838.00	959.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	3090.44	3211.43	2834.80	7786.00	9294.00	5950.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3652.68	2372.77	4783.00	8302.00	9426.00	4209.49
8	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	165.43	148.32	360.00	377.00	431.00	237.00
9	जम्मू और कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	286.61	193.66	282.74	607.00	1390.00	0.00
10	झारखंड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	3060.27	1852.43	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50
11	कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05	1496.37	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00
12	केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	101.52	159.42	387.00	405.00	463.00	382.50
13	मध्यप्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5973.00	6466.80	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04
14	महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310	2441.46	2000.00	9442.00	10805.00	0.00
15	मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96	324.44	352.50	819.00	937.00	1031.00
16	मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	773.02	155.33	0.00	2100.00	2798.00	0.00
17	मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	409.79	403.57	441.00	922.96	1056.00	810.75
18	नागालैंड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	866.170	200.00	576.59	2047.42	2301.00	2454.00
19	ओडिशा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	4176.84	4129.73	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99
20	राजस्थान	2224.48	2070.00	2200.00	2240.48	3160.00	3168.91	3107.04	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98
21	सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	101.50	65.00	149.20	226.00	259.00	243.60
22	तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00	291.39	342.00	358.00	614.25	0.00
23	त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	485.04	434.88	780.00	1358.73	1250.00	1375.00
24	उत्तर प्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	499.12	391.28	350.00	1200.00	1484.91	200.00
25	उत्तराखंड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81	20.00	120.00	250.00	0.00	0.00
26	पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	2151.620	2489.09	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00
	कुल योग	**30000.00**	**25270.00**	**33000.00**	**38000.00**	**40000.00**	**39027.69**	**33978.41**	**39910.00**	**99988.41**	**108483.48**	**75540.85**

अध्याय 8

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

8.1. संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रुप में अप्रैल, 2001 में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 (अलाभ वाली कंपनी) की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) से प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

8.2 मिशन, उद्देश्य तथा कार्य

क. **मिशन :** सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

ख. **उद्देश्य :** एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रलय के तहत एक शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व-रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और नौकरी के समय जारी प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से उनके शिल्प और उद्यमी विकास का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/ विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

ग. **कार्य :**

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- शिल्प विकास और लाभार्थियों तथा एससीए के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।
- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।
- जनजातीय उत्पाद को बाजार से जोड़ने में सहायता करना।

3. अंश पूंजी : निगम की अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये है तथा अब तक प्रदत्त पूंजी 365.89 करोड़ रुपये (31.12.2012 तक) है।

4. पात्रता मानदण्ड : एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता है:–

(क) व्यक्ति/स्वयं सहायित समूह

- सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हों।
- आवेदनकर्त्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना (डीपीएल) से अधिक न हो। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,04,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो योजना आयोग के मानदण्डों पर आधारित है।

(ख) **सहकारी समितियाँ :** कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

5. योजनाएं : निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत योजनाएं :

- **मियादी ऋण योजना :** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत एनएसटीएफ डीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत की 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रुप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50,000 रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक मियादी ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु ऋण योजना:** यह योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल स्वयं सहायित समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य 35,000/-रु. और प्रति स्व-सहायता समूह 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायित समूहों (एसएचजी) के लिए योजना :** स्वयं सहायित समूहों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु यह एक विशिष्ट योजना है तथा प्रति एसएचजी 25 लाख रुपए तक की इकाई वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जो प्रति सदस्य निवेश के अधीन है तथा प्रति इकाई 50,000 रुपए से अधिक नहीं हो। योजना के तहत प्रवर्तक का कम-से-कम अंशदान इकाई की लागत का 10 प्रतिशत है।
- **ट्राइफेड के सूचीबद्ध कारीगरों को सहायता:**

  इस योजना का उद्देश्य परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियां खरीदने के लिए रिआयती वित्त और ट्राइफेड के सूचीबद्ध जनजातीय कारीगरों के लिए कार्यशील पूंजी देना है। योजना के तहत व्यक्तियों के लिए 50,000/- रुपये तक और प्रति एसएचजी/सहकारी समितियों को 5.00 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (शिक्षा ऋण योजना):** इस योजना का उद्देश्य भारत में पीएचडी सहित पेशेवर/प्रौद्योगिकी

शिक्षा के अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के खर्च को पूरा करना है। 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता 6% वार्षिक की रिआयती ब्याज दर पर प्रदान की जाती है। योजना के तहत सहायित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति भी प्राप्त कर ली गई है। शिक्षा की समाप्ति के उपरांत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी आय सर्जनकारी इकाइयां स्थापित करने के लिए और ऋण भी ले सकते हैं।

ख **विपणन समर्थन सहायता :** निगम लघु वन उत्पाद और अन्य जनजातीय उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यशील पूंजी संबंधित आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग. **अनुदान के रुप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता :** स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के शिल्प तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. **रणनीतिक पहल :** योजनाओं के बारे में राहन जागरुकता पैदा करने तथा कार्यान्वयन तंत्र में सुधार लाने के लिए एनएसटीएफडीसी ने कई पहलें की हैं। कुछ पहलें निम्नानुसार हैं :

क. लाभार्थियों की अधिक संख्या को कवर करने के लिए निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के अलावा

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के संक्षिप्त मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियो द्वारा
1.	सावधिक ऋण योजना	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से अधिक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	50,000 रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 35,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) हेतु योजना	25.00 लाख रू	इकाई लागत का 90%	सावधिक ऋण योजना के लिए लागू ब्याज दरों के अनुरूप	
5.	ट्राइफेड के सूची बद्ध कारीगरों के लिए विशेष योजना	50000 रू	इकाई लागत का 90%	एएमएसवाई के तहत 2% तथा अन्य योजनाओं के तहत 3%	एएमएसवाई के तहत 4% तथा अन्य योजनाओं के तहत 6%
6.	शिक्षा ऋण योजना	5.00 लाख रू.	90%	3%	6%

पीएसयू बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दे रहा है। इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त शारदा ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) के साथ पुन: वित्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब तक, एनएसटीएफडीसी ने 7 पीएसयू बैंकों तथा साथ आरआरबी के 7 पुन: वित्त समझौतो पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख. योजना आयोग, भारत सरकार ने हाली ही में वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा आंकलन जारी किए हैं। इन अनुमानों के अनुरूप एनएसटीएफडीसी लाभार्थियों के लिए गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा से दोगुनी को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500 से 81,000 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 54,500 से 1,04,000 तक बढ़ा दिया गया है, जो 04.07.2012 से प्रभावी है।

ग. 26.06.2012 को एनएसटीएफडीसी की राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में एनएसटीएफडीसी सहायित योजना विशेष रूप से नई आरंभ की गई आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) के तहत अनुसूचित जनजातियों की कवरेज को बढ़ाने के लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी। इस बात पर भी बल दिया गया था कि अनुसूचित जनजाति के वन निवासियों में लक्षित संभावित लाभार्थियों, जन शिक्षण संस्थान, खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग तथा आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित शिक्षित अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।

घ. संयोजनकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष के साथ दिनांक 28.06.2012 को एक अन्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कवर किए गए अनुसूचित जनजाति के वन निवासियों को एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए भी आरआरबी से अनुरोध किया गया था।

ङ 20 वर्षों से की अवधि में अनुसूचित जनजातियों की एक बड़ी संख्या को कवर करने के लिए एक्सएलआरआई जमशेदपुर के माध्यम से निगम द्वारा व्यापार प्रक्रिया का पुन: इंजीनियरिंग अध्ययन कराया गया था। वर्ष के दौरान निगम को अंतिम रिर्पोट प्राप्त हो गयी है। 20 वर्षों की अवधि में 50 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए रिर्पोट के सिफारिशों के साथ-साथ वास्तविक एवं वित्तीय आशय को शामिल किया गया है।

च. अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में एनएसटीएफडीसी तथा इसकी दस एससीए का एक वृहद मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। अध्ययन के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के प्रभाव आंकलन तथा कार्यान्वयन तंत्र के सुधार हेतु सुझावों को शामिल किया गया है। यह कार्य मैनेजमेंट डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुड़गांव को सौंपा गया था। इस अवधि के दौरान, अध्ययन दल ने अध्ययन पूरा कर लिया है तथा यह प्रारूप रिर्पोट तैयार करने की प्रक्रिया में है।

छ हाल ही में आरंभ की गई आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) को लोकप्रिय बनाने के लिए निगम ने हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों में शिक्षा ऋण योजना के विज्ञापन जारी किए हैं। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/अन्य के साथ चर्चा भी की है।

ज माननीय जनजाति कार्य तथा पंचायती राज मंत्री द्वारा 01.08.2012 को "ट्रांस्फोरमिंग ड्रीम्स" शीर्षक के तहत एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायित 100 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के बारे में सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया

गया था। इस संकलन को एससीए, राज्य सरकारों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य हित-धारियों को भेजा गया था।

झ ‘उद्यमी हेल्पलाइन’ के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्यमों के लिए ऋण सुविधाओं, प्रौद्योगिक एवं प्रशिक्षण सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी ने उनकी ‘उद्यमी हेल्पलाइन’ के माध्यम से एनएसटीएफडीसी के ऋण कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए एमएसएमई के साथ एक समझौता किया है। ‘उद्यमी हेल्पलाइन’ में काम करने वाले काल सेन्टर के एजेंटो को संवेदनशील बनाने के लिए एनएसटीएफडीसी द्वारा उन्मुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

ञ निगम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहा है। वर्ष के दौरान, ऑल इंडिया रेडियो अलवर द्वारा 13.05.2012 को एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के बारे में चर्चा वार्ता प्रसारित की गई। 09.06.2012 को आकाशवाणी, रायपुर द्वारा “आदिवासी शिक्षा ऋण योजना” पर चर्चा वार्ता प्रसारित की गई थी। इसके अलावा, एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों के बारे में 12.05.2012 को दूरदर्शन, रायपुर द्वारा “आप की बात” का सीधा प्रसारण किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली द्वारा 31.07.2012 को मुख्य प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी के साथ चर्चा वार्ता को भी प्रसारित किया गया था।

ट एनएसटीएफडीसी ने 20.12.2012 से 29.12.2012 तक सुंदरबन पश्चिम बंगाल में कुलटाली मिलो तीर्थ सोसाटी द्वारा आयोजित “सुंदरबन कृषि मेला ओ लोको संस्कृति उत्सब” में भाग लिया। मेले में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विवरणिका/पर्णक संवितरित किए गए। एनएसटीएफडीसी के रिआयती वित्त के लिए अनुसूचित जनजातियों को प्रोत्साहित करने हेतु पश्चिम बंगाल तथा मेघालय राज्यों में कार्यान्वित एनएसटीएफडीसी की योजनाओं पर लघुचित्र (डाकुमेंट्रीज) भी दिखाये गए थे।

ठ भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुरोध पर अनूसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास पर सेमिनार में सीएमडी, एनएसटीएफडीसी द्वारा भाग लिया गया था। उद्योगों को अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए निगम के विकासीय कार्यक्रमों तथा विभिन्न पहलों के बारे में अवगत कराया गया था। उद्योगों को अनुसूचित जनजातियों के अधिक लाभ के लिए टाइअप किए जाने वाले संभावित क्षेत्रों के बारे में और सूचित किया गया था।

ड उपर्युक्त के अलावा, निगम द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं:

- अत्याधिक अन्तर तथा एससीए द्वारा की जाने वाली सर्वोत्तम कवायदों को अभिज्ञात करने के लिए इकाइयों की जांच करना।
- एससीए को फीडबैक उन्मुख कार्रवाई प्रदान करना।
- ख्याति प्राप्त संगठनों द्वारा प्रभाव आकलन।
- जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जागरुकता कैंपों, प्रचार आदि का आयोजन करना।
- एससीए द्वारा ऋणों के समय पर भुगतान के लिए पहल योजना।
- अतिदेयों के समायोजन के लिए बजटीय समर्थन देने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध करना।

7. निगम का कार्य निष्पादन :

(क) **संस्वीकृतियाँ :** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओं/ परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रूप से 175.00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान 31.12.2012 तक निगम ने आय सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए 178.15 करोड़ रुपए के अपने भाग को 49174 लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 162 योजनाओं को

स्वीकृत किया। उपरोक्त में, महिला लाभार्थियों के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 22912 महिला लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान हेतु 47.76 करोड़ रुपए तथा लघु ऋण योजना के तहत 6048 लाभार्थियों के लिए 13.54 करोड़ रुपये तथा आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 110 विद्यार्थियों के लिए 3.80 करोड़ रुपये की संस्वीकृति भी शमिल है।

(ख) **प्रशिक्षण के लिए अनुदान :** वर्ष के दौरान, 31.12.2012 तक एनएसटीएफडीसी के दक्षता एवं इंटरप्रेनरशिप विकास कार्यक्रमों के अनुदान के रूप में 4.20 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए हैं। इन प्रचालनों के स्तर को बढ़ाने के लिए एससीए ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपयुक्त प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया है।

(ग) **वसूलीः** 31.12.2012 तक संचयी वसूली प्रतिशतता 81.81 प्रतिशत है।

वर्ष 2012–13 के लिए समझौता ज्ञापन : निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य–निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

आप सृजनकारी कार्यकलापों के तहत वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य आर्य सृजन कार्य गतिविधियों के तहत 36,000 हजार लाभार्थी है। ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं–

एनएसटीएफडीसी तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री तथा माननीय पूर्व जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

सफल सहयोग
लाभार्थी का नाम: मिस्टीलिन मारबानियांग
अवस्थिति: मयलियम
योजना : मतस्य विकास-1000 तालाब, योजना (मतस्य पालन), राज्य मेघालय

कोई नहीं जानता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा किन्तु यदि वह कुछ नहीं करता तो कोई परिणाम नहीं होता है। मयलियम में स्थित मिस्टीलिन मतस्य परियोजना एनएसटीएफडीसी तथा मेघालय सरकार के बीच सहयोग का एक अनन्य मामला है। मिस्टीलिन एक अनुभवी मछली पालक है तथा एकीकृत मच्छली पालन करता है। तीन वर्ष पहले उसने एनएसटीएफडीसी से ऋण का लाभ उठाया तथा मत्स्य विकास 1000 हजार तालाब योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी भी प्राप्त की। मत्स्य इकाई स्थापित करने के उपरांत मिस्टीलियन और अधिक प्रेरित और उद्यमशील हुआ। मछली के अतिरिक्त मछली के बीज भी पैदा करता है तथा वह अच्छा लाभ कमाने की स्थिति में है। मिस्टीलियन का मामला एक सफलता की कहानी है जो परिसम्पति के सृजन तथा इसके माध्यम से सत्त आय के सृजन को दर्शाती है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि प्राकृतिक संसाधनों तथा स्थानीय विशेषज्ञता के सही प्रयोग से कैसे वृद्धि और विकास की ओर अग्रसित हुआ जा सकता है।

महिला अपने आप में परिपूर्ण है उसमें सृजन पालन पोषण और रूपान्तरण की शक्ति है।

मंगल लक्ष्मी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पवित्र नाम तथा उद्यम के उत्साह ने उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। केवल 4 वर्ष पहले दसवीं कक्षा तक पढ़ी लक्ष्मी के पास आय का कोई सत्त जरिया नहीं था। इस जनजातीय महिला के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण था इसके पास समृद्ध जीवन के लिए प्रेरणा थी। त्रिपुरा में अपने परिचित एक सरकारी अधिकारी से उसे एनएसटीएफडीसी की विभिन्न आय सृजनकारी योजनाओं के बारे में ज्ञात हुआ जो केवल जनजातीय लोगों के लिए थीं। लक्ष्मी ने त्रिपुरा में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के साथ संपर्क किया तथा उसे एक लाख रु. का ऋण मंजूर किया गया जिससे उसने अपने घर के नजदीक दुकान खोली जहां वह अपने आस-पड़ोस की रोजमर्रा की उपभोग्य वस्तुओं को बेचने लगी। उपयुक्त उद्यमशील अभियोगिता, सही प्रेरणा तथा आवश्यक पूंजी ने उसके परिवार का उत्थान करना शुरु किया। आज वह आत्मविश्वास से भरी हुई एक सशक्त महिला है जो अपने स्वयं के स्टोर का प्रबंध करती है तथा लगभग 10 हजार रू. प्रतिमाह तक कमाती है। इसकी आय एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पूर्व लगभग 3 हजार रू. प्रतिमाह थी। आय सृजनकारी इकाई का प्रबंध करने की अभियोगिता तथा बचत स्वरोजगार के सर्वोत्तम संकेत है तथा आज वह एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के तहत सफलतापूर्वक उभरती हुई महिला उद्यमियों का एक ज्वलंत उदाहरण है।

बेहतर भविष्य को चित्रित करते हुए

रमेश एमआर सुपुत्र श्री राघवन, ईडनजाकोली वीडु, पो. थ्रिकायपेटा, जिला वयनाड, केरल पिन-673577 स्कूल के दिनों से कलाकार हैं। रमेश एमआर कला, ड्राईंग तथा चित्रकारी में सम्पन्न हैं। वह मंहगे रंगों का उपयोग करते हुए चार्ट पेपर पर तस्वीरों को बनाया करता था। उसकी चित्रकारी जीवन के विभिन्न रंगों को उकेरती थी तो भी सस्ते माध्यमों की वजह से उसकी आशातीत बिक्री नहीं होती थी। एससीए केरल से एनएसटीएफडीसी का रिआयती वित्त प्राप्त करने पर वह उच्च गुणवत्ता वाले माध्यम और रंगों का उपयोग कर सका है। उसकी पेंटिग तथा कला की अब बहुत प्रशंसा की जाने तथा कई होटल अपने लॉज में उसकी पेंटिग को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई समाचार पत्र उसके कार्य की प्रशंसा करते हुए उसकी पेंटिंग के बारे में लेख लिखते हैं वह अलग-अलग प्रकार के पानी, तेल, एक्रिलिक इत्यादि के रंगों के साथ भी प्रयोग कर रहा है। उसकी चित्रकारी जनजातीय जीवन एवं संस्कृति की बारीकियां प्रस्तुत करती है। वास्तविक होने के कारण उसकी चित्रकारी की बड़ी प्रशंसा हो रही है। इसका श्रेय वह अति यथार्थवाद को देते हैं। एनएसटीएफडीसी की योजना के तहत वित्तीय सहायता ने उसकी कला तथा प्रतिभा को उजागर करने में उत्प्रेरक का काम किया है। यद्यपि उसकी आय में वृद्धि हुई हैं तो भी वह अपनी वित्तीय स्थिति को अधिक महत्व नहीं देता। उसके अनुसार पैसा उसकी कला समृद्धि को मापने का पैमाना नहीं है। कला का सृजन उसको सन्तुष्टि देता है। यदि उसे ऋण नहीं दिया जाता तो वह अपनी प्रतिभा को चरित्रार्थ नहीं कर पाता। उसने एक लैमिनेटिंग मशीन तथा व्यापार के अन्य औजार खरीदे हैं। उसे कला, चित्रकारी तथा ड्राईंग के लिए 50 हजार रू. की सहायता दी गई थी।

जलपान गृह

आज विश्राम की चाय जलपान नालपड़ा, तहसील छोटी-श्रवण, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान के बाजार में प्रत्येक दिन कई लोगों को ताजगी प्रदान करती है। विश्राम चाय की दुकान एक किराने की दुकान के एक्टैंशन में चल रही है, जिसे उसने राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निकास द्वारा पेश की गई एनएसटीएफडीसी-की लघु व्यापार योजना के तहत ऋण लेकर स्थापित किया था जिस समय राजस्थान एससीए की अधि सूचना स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई, विश्राम दयनीय जिंदगी बिता रहा था और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था जिससे उसे प्रतिदिन 100/- रु. मिलते थे। महादिया के एक सदस्य के रूप में, उसके परिवार के पास गुजर-बसर के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। जमीन के बारे में एक मात्र सकारात्मक बात यह थी कि वह हाईवे के सामने थीं। पढ़ा-लिखा होने के नाते उसकी समाचार पत्र पढ़ने की आदत थी। जिसका उसे फायदा हुआ और जब उसने राजस्थान एससीए की लघु व्यापार योजना के बारे में पढ़ा तो वह बांसवाड़ा के जिला मुख्यालय में गया। उसे किराने की दुकान के लिए जिला चयन समिति ने चुन लिया। ऋण मिलने पर उसने स्थानीय लोगों की जरुरतों की पूर्ति करने के लिए अनेक मदों का भंडारण किया, जैसे, अनाज, आटा, दाल, सौंदर्य-प्रसाधन की मदें, स्नैक्स आदि। अत: साथ ही अपनी किराने की दुकान के कोने पर चाय बेचने का काम भी शुरु कर दिया। अब उसकी अच्छी बिक्री है और वह प्रतिमाह 5000/- रू. से ज्यादा कमाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है और वह अपने परिवार के अच्छे भविष्य की ओर देख रहा है।

अनुलग्नक 8

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 की पुनः संरचना की है जो वर्ष 2012-13 के दौरान लाभार्थियों की कवरेज हेतु लक्षित है

क्र. स.	राज्य का नाम	2012-13	
		आय सृजनकारी योजना के तहत लाभार्थी	शिल्प एवं उद्यम विकास के तहत लाभार्थी
		लक्ष्य	लक्ष्य
1	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि., **आन्ध्र प्रदेश**	2104	117
2	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	112	5
3	अरूणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरूणाचल प्रदेश**	295	17
4	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड, **असम**	1385	78
5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **बिहार**	317	18
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	2772	155
7	दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **दादरा और नगर हवेली**	112	5
8	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गोवा**	112	5
9	गुजाात जनजातीय विकास निगम **गुजरात**	3135	176
10	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश**	112	5
11	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े वर्ग विकास निमग, **जम्मू और कश्मीर**	465	27
12	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **झारखंड**	2970	166
13	कर्नाटका अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	1450	81

क्र. स.	राज्य का नाम	2012-13	
		आय सृजनकारी योजना के तहत लाभार्थी	शिल्प एवं उद्यम विकास के तहत लाभार्थी
		लक्ष्य	लक्ष्य
14	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	112.50	5
15	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	112.50	5
16	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप**	112	5
17	मणिपुर जनजातिय विकास निगम लिमिटेड, **मणिपुर**	410	23
18	सबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	3595	200
19	मेघालय सहकारिता एपैक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय**	835	46
20	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	5125	285
21	मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, **मिजोरम**	175	10
22	मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लिमिटेड, **मिजोरम**	175	10
23	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, **नागालैंड**	372.5	21
24	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, **नागालैंड**	372.5	21
25	उड़ीसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिडेट, ओड़िशा, **उड़ीसा**	3413	190
26	राजस्थान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम, **राजस्थान**	2975	165
27	सिक्किम अनुसूचित जनजाति, जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, **सिक्किम**	112	5
28	तमिलनाडु आदि द्राविडर परिवार एवं विकास निगम लिमिटेड, **तमिलनाडु**	272	15
29	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **त्रिपुरा**	416	25
30	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तरांचल**	112	5
31	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	112	5
32	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल**	925	52
33	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारिता निगम, **पश्चिम बंगाल**	925	52
	कुल	**36000**	**2000**

अध्याय 9

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

9.1 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं। इस योजना को दिनांक 01-04-2008 से संशोधित कर दिया गया है।

9.2 कवरेज : योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव होगा स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

9.3 निधियन प्रतिमान : यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़के तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

9.4 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था नि:शुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

9.5 आबंटन : वर्ष 2012-13 के दौरान 78.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.12 तक 59.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.6 कार्य निष्पादन : वर्ष 2012-13 के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान तथा वीर नारमाद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत को 59.89 करोड़ रु. जारी किए

गए हैं। 2010-11 से 2012-13 (31-12-2012 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों और जारी किए गए सहायता-अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नकः 9 क** में दिए गए हैं।

9.7 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से शौचालयों, स्नान घरों, पेय जल, बिस्तर, पोषक, आहार जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा छात्रवासों में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने एवं पर्याप्त सपोटिंग स्टफ़ की व्यवस्था करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

9.8 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 (01.04.2008 से) से संशोधित कर दिया गया है।

9.9 कवरेज : यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

9.10 निधियन पद्धति : यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लड़कियों के सभी आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्र) लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्रदान करती है। उपर्युक्त स्कूलों से भिन्न, लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

9.11 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु मैजूदा आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र आश्रम स्कूलों के लिए निःशुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाएगा। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

9.12 आबंटन : 2012-13 के दौरान 75.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.12 तक 36.28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.13 कार्य निष्पादन: 31 दिसंबर 2012 तक छत्तीसगढ़, गोआ, ओडिशा तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों को 36.27 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए गए अनुदानों के ब्यौरे **अनुलग्नक : 9-ख** में दिए गए हैं।

9.14 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की होती है। यदि छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजाति के अग्रम स्कूलों में शौचालयों, स्नान घरों, जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है तथा इस उद्देश्य के लिए निर्माण लागत राज्य लो.नि.वि की अनुसूचित दरों के अनुसार होती है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा-योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों और लड़कों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएस पी क्षेत्रों में राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य सभी आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो वित्त पोषण 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।															
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ छात्रावासियों के लिए 380 रुपए से 1200 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230 रु. से 550 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (1-7-2010 से अधिकतम आय 2.00 लाख रू प्रतिवर्ष)					
									प्रतिभा उन्नयन प्रति विद्यार्थी प्रति माह 19500/- रु. तक						
												उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरी ट्यूशन फीस और अप्रतिदेय देय राशियो। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते, यदि लागू हों।			

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (3)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
													राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 14000/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9000/- यू.के. पौंड+ अन्य भत्ते, यदि लागू हों।		
														राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति- 2 वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रति माह की दर से; वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 18000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए।	
छात्रावासों का निर्माण समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए लड़कियों एवं लड़कों के छात्रावासों नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि जैसी मदों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।															
								मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति छात्रवासियों तथा दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ क्रमश: 350रु. तथा 150 रु. मासिक की दर से हैं तथा पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान क्रमश: 1000रु. तथा 750रु. वार्षिक की दर से है।							

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

9.15 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संशोधनों के साथ 1.7.2010 से संशोधित की गई है।

9.16 कार्य क्षेत्र : यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.7.2010 से 2.00 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का

चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

9.17 मुख्य विशेषताएं :

(i) छात्रों को जो पाठ्यक्रमों पर निर्भर करता है। अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/- रुपये प्रति मास से लेकर 1200/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ii) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है।विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(iii) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(iv) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

9.18 निधियन प्रतिमान :

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं। प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा सिक्किम राज्य सरकार को भी 2007-08 से छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

9.19 निष्पादन :

2012-13 के दौरान 748.50 करोड़ रुपये के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 483.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-9ग** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

9.20 उद्देश्य : व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

9.21 मुख्य विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक योजना के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की कलावधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/- रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपये
4	कृषि	4,500/-रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपये
II	**स्नातकोत्तर पाठयक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	जैव-विज्ञान	

इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

9.22 निधियन प्रतिमान : यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

9.23 इस योजना का पीटीजी विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में शिक्षा सहित चहुमुखी विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रतिभा का उन्नयन करना है ताकि वे अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवसायों में अन्य विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सकें। यह योजना पीएमएस की उस योजना के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित कर दिया गया था।

9.24 मुख्य विशेषताएं

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (अवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा, विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) वर्ष 2008-09 से 19,500 रु. का एक संशोधित पैकेज अनुदान प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जातीहै।

9.25 आबंटन : 2012-13 के दौरान 1.50 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 0.14 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.26 निष्पादन : वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की राशि **अनुलग्नक-9घ** में दी गई है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाः

9.27 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन (मास्टर्स, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर) कर रहे अनुसूचित जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह गैर-योजना स्कीम थी जो 2007-08 से योजना-स्कीम बन गई।

9.28 क्षेत्र : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 13 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा दो आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

9.29 मुख्य विशेषताएं

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों की कुल आय 25,000 रु. प्रतिमाह से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। एम फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/कार्य में वांछनीय अनुभव हो। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को 14,000 अमेरिकी डॉलर या 9000 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

9.30 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक ''यात्रा अनुदान'' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इसयोजना इकानॉमी क्लास द्वारा भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध है।

9.31 निधियन प्रतिमान : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

9.32 आबंटन : 2012-13 के दौरान 1.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 0.87 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.33 कार्य निष्पादन : वर्ष 2010-11 से 2011-12 के लिए एनओएस हेतु अवार्ड प्रदान करने के लिए 17 विद्यार्थियों का अनंतिम रूप से चयन किया गया है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) में एनओएस की प्राप्ति पर 9 विद्यार्थी विदेश गए।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ)

9.34 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है।

9.35 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी

विश्वविद्यालय / संस्थान कवर किए गए हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल + पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

9.36 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	16000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 18000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	18000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 20000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आक. स्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से

9.37 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना को कार्यान्वित करता है।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

9.38 आबंटन : 2012-13 के दौरान 90.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 45.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

9.39 निष्पादन: अपनी शुरूआत से 31.12.2012 तक 3335 विद्यार्थियों को आरजीएनएफ प्रदान की गई है।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

9.40 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2007-08 से शुरू की गई है।

9.41 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 213 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 625 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

9.42 मुख्य विशेषताएं

(i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2200 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी ।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

9.43 आबंटन : वर्ष 2012-13 के दौरान योजना के तहत 13.00 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 6.14 करोड़ रुपये खर्च किए गये थे।

9.44 कार्य निष्पादन : अब तक 36 संस्थानों में 298 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृति प्रदान की गई।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

9.45 उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा। इस योजना को 1.4.2009 से संशोधित किया गया है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

9.46 कवरेज : योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिंए। इसमें मासिक वजीफे और प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों/क्रम सुविधा पाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

9.47 निधियन प्रतिमान : इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

9.48 मुख्य विशेषताएं :

(क) योजना पीटीजी के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जाएगी तथा देश में कहीं भी शुरू की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद

सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और उग्रवादी गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

(ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ग) यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र/राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;

(घ) संबंधित संगठन (अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठन/अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

(च) संस्थान/संगठन (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर-सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान/संगठन भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)" के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)" जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता/संबंधन/प्रत्यायन प्राप्त करेंगे/रखेंगे।

(छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्व-रोजगार में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए, संगठन वितीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देंगे।

(ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;

(झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाएगा;

(ञ) सहायता-अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों/निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;

(ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों क्रम/सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों/जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। परिशिष्ट-। में दिए गए मानदण्डों के अनुसार दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवर्ती

(क) प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी 30,000/- रुपये में निम्निलिखित शामिल है :-

(i) प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 700/- रुपये वजीफा।
(ii) उपकरणों को प्राप्त करने, कच्चे माल आदि के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 1600/- रुपये।

(iii) प्राध्यापक वर्ग/सहायक स्टाफ आदि को मासिक मानदेय।

(iv) प्रशिक्षार्थियों के छात्रावास/आवास, बिजली तथा जल प्रभार आदि।

(ख) किराए के मकान के संबंध में, वास्तविक के अनुसार उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त वार्षिक किराया स्वीकार्य होगा और उच्चतम सीमा प्रति माह 10,000/- रुपये होगी। यह राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा **किराया आकलन प्रमाणपत्र** के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। यदि मकान का स्वामित्व/संगठन द्वारा रखा जाता है तो मात्र 10% किराया मूल्य (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित) स्वीकार्य होगा, प्रति वर्ष रखरखाव प्रभार प्रदान किया जायेगा।

अनावर्ती

पांच वर्ष में एक बार प्रति ट्रेड 0.48 लाख रुपये की दर से पांच ट्रेडों के लिए 2.40 लाख रुपये।

9.49 आबंटन : 2012-13 के दौरान राज्यों के लिए 6.00 करोड़ रुपये के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2012 तक कोई राशि खर्च नहीं की गई थी। (राज्यों के लिए 6.00 करोड़ रुपये तथा एनजीओं के लिए 3.00 करोड़ रुपये)

9.50 निष्पादन : वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरे **अनुलग्नक-9 (ङ)** में दिये गये हैं। 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए अनुदान अध्याय 11 के तहत **अनुलग्नक-11 घ** में दिये गए हैं।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

9.51 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य :- (i) कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता-पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की दर (ड्रोप आउट) की घटना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, को कम से कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें वेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

9.52 कवरेज : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित की जाती है जिन्हें इस योजना के तहत उनकी प्रतिबद्ध देयता के अलावा व्यय के लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

9.53 मुख्य विशेषताएं :

- यह एक केन्द्रिय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।
- छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं।

- राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जहाँ से आवेदक वास्तव में सम्बधित है, छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व की कक्षा 9 तथा 10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहभागिता में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सेकें।

9.54 पात्रता :

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।

- उसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहा हो।

- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय/ राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्ण कालिक विद्यार्थी होना चाहिए।

- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

9.55 लाभ :

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है।

- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्र के लिए 750रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।

- अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आयामों के आधार पर 160 रु. से 240 रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।

- छात्रवृत्तियों का भुगतान अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।

- प्रदत्त छात्रवृत्ति अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा 10 के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

9.56 आबंटन : वर्ष 2012-13 के दौरान 86.00 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 80.00 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

9.57 निष्पादन : 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक) बजट आबंटन की तुलना में 7.12 लाख विद्यार्थियों के लिए बजट आबंटन की तुलना में झारखंड, मध्यप्रदेश तथा ओडिशा राज्य सरकारों के लिए 80.00 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई है।

अनुलग्नक : 9-क

अनुसूचित जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम	2010-11			2011-12			2012-13 (31.12.2012 तक)		
		राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें	राशि	छात्रवास	सीटें
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	418.30	13	1300	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	75.09	6	121	1201.64	15	790	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
4	गुजरात	1296.43	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0
5	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	223	1	125	0	0	0
6	झारखंड	0.00	0	0	716.00	33	1850	0	0	0
7	कर्नाटक	105.38	बकाया	0	283.99	बकाया	0	0	0	0
8	केरल	146.79	3	160	250.00	4	260	0	0	0
9	मध्यप्रदेश	0.00	0	0	1223.43	200	1000	2291.57	30	1680
10	मणिपुर	1372.54	19	899	0.00	0	0	0	0	0
11	मिजोरम	0	0	0	392.33	2	200	437.08	1	100
12	ओडिशा	1000.00	65	6500	0.00	0	0	1697.50	बकाया	0
13	राजस्थान	3123.87	62	3100	1000.00	बकाया	0	1500.00	बकाया	0
14	तमिलनाडु	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
15	त्रिपुरा	0.00	0	0	1553.83	11	550	0	0	0
16	उत्तराखंड	0.00	0	0	37.48	बकाया	0	0	0	0
17	पश्चिम बंगाल	179.90	2	200	0.00	0	0	0	0	0
18	जेएनयू/आईआईटी, दिल्ली	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
19	दिल्ली विश्वविद्यालय	173.20	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0
20	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	180.47	1	88	0.00		0	0	0	0
21	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी, यू.पी.	46.33	1	80	0.00	0	0	0	0	0
22	मिजोरम विश्वविद्यालय	0	0	0	182.00	1	100	0	0	0
23	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंण्डिया यूनिर्वसिटी, बैंगलौर	0	0	0	100.00	1	19	0	0	0
24	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	0	0	0	218.00	3	110	0	0	0
25	वीर नरमाद दक्षिण विश्वविद्यालय गुजरात, सूरत, गुजरात	100.00	1	100	0.00	0	0	62.92	बकाया	0
	कुल	7800.00	160	11248	7800	160	6304	5989.07	31	1780

अनुलग्नक : 9-ख

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक राज्य-वार उपलब्धियों सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13 (31.12.2012 तक)		
		राशि	विद्यालय	सीटें	राशि	विद्यालय	सीटें	राशि	विद्यालय	सीटें
1	आंध्र प्रदेश	500.00	13	1300	0.00	0	0	0	0	0
2	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	530.36	12	600
3	गोवा	0	0	0	0	0	0	300.00	1	500
4	गुजरात	1887.53	8	2400	1500.00	बकाया	0	0	0	0
5	कर्नाटक	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
6	केरल	1025.02	3	770	0.00	0	0	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	2815.11	40	2000	0	0	0
8	उड़ीसा	2004.00	बकाया	0	2550.00	30	7500	2000.00	बकाया	0
9	राजस्थान	0	0	0	634.90	9	900	0	0	0
10	त्रिपुरा	622.76	16	1150	0.00	0	0	797.23	बकाया	0
11	उत्तरप्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0
12	उत्तराखंड	460.69	2	405	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	6500.00	42	6025	7500.01	79	10400	3627.59	13	1100

अनुलग्नक : 9-ग

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियाँ

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11		2011-12		2012-13 (31.12.2012 तक)	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	20036.25	147976	16697.74	252296	5010.00	229360
2	अरुणाचल प्रदेश	23.53	1	0	0	633.00	800
3	असम	2881.26	78505	4210.81	97699	3402.80	96755
4	बिहार	0	2285	298.42	2716	90.00	3270
5	छत्तीसगढ़	1253.96	98602	4034.112	108635	1210.00	122597
6	गोआ	29.11	257	26.77	1332	8.00	0
7	गुजरात	5116.09	125260	8482.59	178301	2460.71	173877
8	हिमाचल प्रदेश	113.99	1263	1141.84	4608	342.00	7072
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	8338	733.48	14930	428.81	10322
10	झारखंड	1855.54	39647	3374.06	61454	1188.02	53032
11	कर्नाटक	3163.59	87136	6149.11	99452	2522.75	109397
12	केरल	457.08	11823	957.08	12287	329.45	12488
13	मध्य प्रदेश	2026.23	130364	4591.67	158136	5503.97	178581
14	महाराष्ट्र	6629.51	123307	8820.42	150562	4146.00	192961
15	मणिपुर	2460.01	49842	4742.29	51905	4243.64	57096
16	मेघालय	2717.23	64110	2752.381	70521	1753.42	77569
17	मिजोरम	1633.93	38706	3732.934	45291	3392.50	54349
18	नागालैंड	1908.44	37880	2813.705	36057	2191.09	37861
19	उड़ीसा	1104.03	60476	1809.47	72669	4542.00	69605
20	राजस्थान	800.00	161730	6031.54	215059	1810.00	236565
21	सिक्किम	56.41	2206	198.00	2580	414.15	3111
22	तमिलनाडु	112.71	4334	78.91	4539	178.66	3941
23	त्रिपुरा	380.40	16744	1358.951	34205	1036.47	15705
24	उत्तर प्रदेश	0.00	7125	755.72	7850	227.00	7278
25	उत्तराखंड	531.69	16513	702.78	25058	657.98	27566
26	पश्चिम बंगाल	302.00	59510	2045.22	66867	614.00	80881
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.15	658	10.00	28	3.00	28
28	दमन और द्वीव	0.85	169	14.76	203	4.00	0
	कुल	**55602.99**	**1374767**	**86564.76**	**1775240**	**48343.42**	**1862067**

अनुलग्नक : 9-घ

प्रतिभा उन्नयन की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11		2011-12		2012-13 (31.12.2012 तक)	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	32.76	168	16.38	84	0	0
2	छत्तीसगढ़	17.06	बकाया	54.60	140	0	0
3	गुजरात	8.10	92	17.60	92	0	0
4	हिमाचल प्रदेश	0.045	1	0.39	2	0.39	2
5	मध्य प्रदेश	0.00	0	92.88	516	0	0
6	राजस्थान	8.17	36	1.74	30	7.175	39
7	सिक्किम	3.12	16	3.12	16	3.12	16
8	त्रिपुरा	3.12	16	3.12	16	3.12	16
9	पश्चिम बंगाल	0	0	7.23	72	0	0
	कुल	72.375	329	197.06	968	13.805	73

अनुलग्नक : 9-ड़

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या सहित निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13 (31.12.2012 तक)		
		राशि	केन्द्र	लाभार्थी	राशि	केन्द्र	लाभार्थी	राशि	केन्द्र	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	113.02	8	800	0	0	0
2	असम	150.00	10	500	0.00	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	0.00	0	0	107.86	11	477	0	0	0
4	गुजरात	37.12	13	1300	228.96	बकाया	0	0	0	0
5	मध्य प्रदेश	260.00	10	1000	50.16	10	1000	0	0	0
6	मेघालय	0	0	0	100.00	9	700	0	0	0
7	मिजोरम	152.88	5	500	0.00	0	0	0	0	0
	कुल	**600.00**	**38**	**3300**	**600.00**	**38**	**2977**	**0**	**0**	**0**

अध्याय 10
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड)

10.1.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। *इसकी स्थापना बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी।*

10.1.2 ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास तथा सेवा प्रदाता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड एक क्षमता निर्माता के तौर पर भी कार्य करता है जिसमें यह अनुसूचित जनजातीय-शिल्पियों एवं एमएफपी-एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.1.3 ट्राइफेड की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 100.55 करोड़ रुपये थी। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर-धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ट्राइफेड का अकेला सबसे बड़ा शेयर-धारक है।

10.2 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : *"जनजातीय उत्पादों/ उपज का बाजार विकास"*

10.2.1 मंत्रालय 'जनजातीय उत्पादकों के बाजार विकास' की योजना के तहत ट्राइफेड को निम्नलिखित चार मुख्य गतिविधियां करने के लिए सहायता अनुदान देता है।

(i) विपणन विकास कार्यकलाप;

(ii) जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

(iii) जनजातीय कारीगर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

(iv) अनुसंधान और विकास;

10.2.2 इस योजना के लिए 12वीं योजना में 175 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए बजट आबंटन 22.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत। उपरोक्त गतिविधियां करने के लिए से ट्राइफेड को 22 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

10.3.2 विपणन विकास कार्यकलाप

ट्राइफेड देश भर में अपने फुटकर बाजार नेटवर्क 'ट्राइब्स इंडिया' द्वारा जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों की 932.36 लाख रुपये की बिक्री की है। विपणन विकास कार्यकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- नई दिल्ली, खुजराओ (मध्य प्रदेश), कोवलम (केरल), कन्या कुमारी (तमिलनाडु), हैदराबाद तथा पिजोंर (हरियाणा) में 6 स्वायत्त बिक्री केन्द्रों और गुवाहाटी में प्रेषण आधार पर एक बिक्री केन्द्रों को जोड़ कर ट्राइफेड ने 'ट्राइब्स इंडिया' बिक्री केन्द्रों की कड़ी को विस्तृत कर दिया है। इन बिक्री केन्द्रों से ट्राइफेड ने 19 राज्यों के 34 शहरों में 32 स्वायत्त ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों और प्रेषण के आधार पर 9 बिक्री केन्द्रों की स्थापना से अपनी उपस्थिति चिह्नित की है।
- ट्राइफेड ने भारत में 70 से अधिक प्रमुख प्रदर्शिनियों और में भाग लिया है।
- ट्राइफेड ने शांथिगिरी (केरल), कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), बैंगलोर, अहमदाबाद, चैन्नई, हैदराबाद, शिमला (हिमाचल प्रदेश), कोलकाता तथा मुम्बई में जनजातीय चित्रकारी के प्रदर्शन के लिए 9 "आदि चित्र" आयोजित किए हैं।
- 31.12.2012 तक ट्राइफेड ने 669.43 लाख रुपये के जनजातीय उत्पाद खरीदे हैं।
- ट्राइफेड ने 986 वैयाक्तिक/एसएचजी/सहकारी समितियों/ एनजीओ/राज्य सरकार की संगठनों आदि

को आपूर्तिकर्ताओं के पैनल पर बनाए रखा जो लगभग 108673 जनजातीय लाभार्थी परिवारों से संबंद्ध हैं।

10.3.3 जनजातीय लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्त्ताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

ट्राइफेड निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं/गतिविधियां करता है:-

महुआ के फूल के विकास की गतिविधि:- गुजरात तथा ओडिशा राज्यों में 1200 महुआ के फूल के संग्रहकर्ताओं के लिए महुआ के फूल के संग्रह, उन्हें सुखाने, उनके ग्रेडिकरण, भंडारण तथा विपणन की सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

लाख की खेती और इसके प्रसंस्करण की गतिविधि:- ओडिशा, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में लाख की खेती के क्षेत्रों में फार्म प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लाख की खेती की गतिविधि करने के लिए 921 जनजातीय लाभार्थियों को ब्रूड लाख प्रदान किया गया था।

दोना पतल गतिविधि:- उड़ीसा के मल्कानगिरि जिले में मोलल्डग मशीनों और आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करते हुए दोना पतल बनाने की गतिविधि करने के लिए 227 जनजातीय लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था।

शहद संग्रहकर्ताओं के विकास की गतिविधि:- 7 राज्यों में 1040 शहद संग्रहकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक संचयन/खेती, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, भंडारण, विपणन इत्यादि पर प्रतिभा उन्नयन/क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

हिल ग्रास प्रशिक्षण :- ओडिशा तथा सिक्किम में 200 लाभार्थियों की आजीविका को बढ़ाने के लिए बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित उत्पादों पर आधारित मूल्य संवर्धन ब्रूम्स का उत्पाद करने के लिए जनजातीय लोगों के कौशलों को विकसित एवं उन्नत करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

सूक्ष्मता कृषि प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण :- 27 लाभार्थियों के लिए औषधीय पौधों में सूक्ष्मता कृषीय प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबद्ध कृषीय गतिविधियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

कोमोडिटी प्रोफाइलों की तैयारी तथा प्रशिक्षण मोड्यूल्स तैयार करना:- ट्राइफेड ने 11 एनटीएफपी के कोमोडिटी प्रोफाइल तैयार करने हेतु एक वर्ष का अध्ययन प्रायोजित किया है तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयम्बटूर के लिए उनका प्रशिक्षण मोड्यूल्स तैयार कर रहा है।

10.3.4 जनजातीय कारीगरों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- ट्राइफेड ने झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, असम नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे 17 राज्यों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र में 485 जनजातीय कारीगरों के लिए 22 आयोजित शिल्पों में 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम किये हैं।
- प्रशिक्षण में शुरू किए गए शिल्पों की श्रेणी इस प्रकार है:- बाघ प्रिंट, सूती कालीन, मोमबत्ती बनाना, जूट शिल्प, टोडा शिल्प, सौरा चित्रकारी, हथकरघा बुनाई, डोकरा शिल्प, वर्ली बन जाएं। चित्रकारी, वस्त्र शिल्प, जनजातीय चित्रकारी, घण्टा धातु, ऊन/पशमीना, फाइल फोल्डर (उपहार एवं संकलन मद), पिथौरा चित्रकारी, गोटा कार्य, हाथ से बना कागज, लाख शिल्प, बांस शिल्प, पैच कार्य तथा कशीदा इत्यादि।
- ट्राइफेड ने 543 कारीगरों का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 राज्यों में अब तक 12 जनजातीय कारीगर मेलों (टीएएम) आयोजित किए हैं। उक्त मेलों में भविष्य के स्रोतीकरण के लिए ट्राइफेड द्वारा 15 शिल्प मदों की पहचान की गई है तथा बाजार के सर्वेक्षण के लिए 3.60 लाख रुपये की कीमत के नमूने खरीदे हैं।

10.3.5 अनुसंधान और विकास कार्यकलाप:

- ट्राइफेड ने अलग-अलग संस्थानों के माध्यम से प्रायोजित परियोजनाओं की अनुसंधान निष्कर्षों की समीक्षा की तथा यह निर्णय लिया गया की इसके कार्यान्वयन के अगले चरण के लिए इन अनुसंधान निष्कर्षों का पालन किया जाएगा:
- "बेल फल से स्वास्थ्य उत्पाद तैयार करना" पर परियोजना केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूद प्रायोजित की गई थी। अलग-अलग उत्पाद जैसे बेल का सत्व, फल का बार तथा स्वास्थ्य पेय जिसमें गाजर, कालाजीरा, अदरक, स्वैलो जड़ तथा हल्दी मिलाई गई है, को बेल के फल से तैयार किया गया है विकसित उत्पाद में अनॉस्कृत प्रतिजैविक, प्रति अलसर तथा प्रति कैंसर के गुण हैं। इन वीवों में प्रोपर्टीज का मूल्यांकन प्रगति पर है।

- "साल की चिकनाई से उद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण ओलियो रसायनों को तैयार करने संबंधी परियोजना" जो भारतीय रसायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को प्रायोजित की गई थी, ने साल की चिकनाई से साल फेटी एसिड्स, स्नेहक आधारित स्टॉक, मोमबत्ती/जैव मोमबत्ती, पोलीयूरेथिन फोर्म धुआँ रहित ईधन विकसित किया है। ट्राइफेड अपने खुदरा बिक्री केन्द्र के माध्यम से जैव मोमबत्ती" के विपणन के लिए "जैव मोमवत्ती आधारित साल की चिकनाई बनाने की प्रक्रिया में है।
- ट्राइफेड ने प्रक्रिया की आर्थिक व्यवहारिता तथा उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा उत्पादों की के निष्कषों स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय ट्रायल के माध्यम से साल की खली पर दो परियोजनाओं निष्कर्ष को वैद्य करने का निर्णय लिया है। प्रयोगशाला स्तर पर प्रारंभिक निष्कर्षों यह दर्शाती हैं कि पायलट आधार पर क्षेत्रीय ट्रायल के माध्यम से साल की खली का उपयोग जैविक खाद्य, जैव कीटनाशक के स्रोत के रूप में किया जा सकता है।
- टेनिन स्टार्च तथा प्रोटीन, जिनके और उद्योगिक उपयोग हैं, को साल की खली से प्राप्त किया जा सकता है।

- ट्राइफेड ने बीआईटी, मेसरा, रांची, झारखंड के माध्यम से "कम लागत वाली प्रौद्योगिक का उपयोग करते हुए इमली, साल तथा करंज के तेल से न्यूट्रास्यूटिकल तथा कोसमासूटिकल प्राप्त करने" पर एक नई दो वर्षीय परियोजना को भी स्वीकृत किया है।

10.4 *"लघु वन उत्पाद (एमएफपी) प्रचालनों हेतु राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) आदि को सहायता अनुदान" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना*

10.4.1 अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश वन क्षेत्रों में रहती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों जैसे इमली, शहद, साल पत्तियां, तेंदू पत्ता, महुआ के फूल, महुआ के बीज इत्यादि पर निर्भर हैं। अधिकांश एमएफपी मदें मौसमी हैं तथा ये जल्दी नष्ट हो जाने वाली चीजें भी हैं।

10.4.2 जनजातियाँ अपने स्वयं के उपभोग/उपयोग के साथ-साथ बिक्री के लिए एमएफपी का संग्रहण करती हैं। जनजातियाँ अपने पास उपलब्ध एमएफपी के स्टॉक को अपने नजदीकी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजारों में कम नकद मूल्य या वस्तु विनिमय करके बेच देती हैं। जनजातियों में सामान्यत: इन उत्पादों की और कहीं बाजारी कीमत की अज्ञानता तथा बाहरी बाजारों से उनका सीधा संबंध, सामूहिक मोल-भाव की शक्ति तथा मौसमी एवं नष्ट होने वाले सामान की भण्डारण क्षमता न होने की बात का फायदा उठाते हुए, व्यापारी तथा बिचौलिए भी वहां पहुंच गए। इससे कुछ क्षेत्रों में जनजातियों का शोषण किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में, जनजातियों को अपने एमएफपी के लिए बहुत ही कम कीमत मिलती थी।

10.4.3 जनजातीय लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकारों ने मुख्य चयनित एमएफपी का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा जनजातीय लोगों को उनके एमएफपी का उचित मूल्य देते हुए इसे खरीदने के अधिदेश के साथ राज्य स्तरीय सरकारी संगठन (जैसे राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी), वन विकास निगम (एफडीसी) इत्यादि) स्थापित किए।

10.4.4 एमएफपी के प्रचालन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना द्वारा इन राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करने के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी समितियों (एसटीडीसीसी) इत्यादि को सहायता अनुदान की शुरूआत वर्ष 1992-93 में की गई। इस योजना के तहत संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इन संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है :-

(1) यदि आवश्यक हो, प्रचालन हानि को कम करते हुए संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना;

(2) वर्तमान में संचालित लघु वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करते हुए लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु निगम के शेयर पूंजी आधार को बल प्रदान करना;

(3) जहां आवश्यक हो, वैज्ञानिक भंडारणगृह सुविधाओं की स्थापना करना;

(4) जनजातियों के लिए लघु वन उत्पादों पर अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करना;

(5) जनजातियों को उपभोक्ता ऋण देना; और

(6) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों/प्रयासों में सहायता करना।

10.4.5 वर्ष 2012-13 के लिए बजट आबंटन 20.00 करोड़ रुपए हैं। जिसमें से इस योजना के तहत 31.12.2012 तक 11.56 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्य सरकारों को अभिज्ञात एसटीडीसीसी के लिए संवितरित कर दी गई है।

10.4.6 वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (31.12.2012 तक) में अब तक की गई राज्यवार निर्मुक्तियों का ब्यौरा **अनुलग्नकः 10** में दिया गया है।

अनुलग्नक : 10

'लघु वन उत्पादों के प्रचालनों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता-अनुदान' योजना के तहत राज्यों को वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. स.	राज्य	Year		
		2010-11	2011-12	2012-13
1	आंध्र प्रदेश	158.00	194.00	144.00
2	असम	-	-	-
3	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
4	बिहार	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	200.00	189.00
6	गुजरात	130.00	150.00	160.00
7	हिमाचल प्रदेश	33.00	10.00	7.00
8	कर्नाटक	-	-	-
9	केरल	58.00	14.00	-
10	मध्य प्रदेश	312.00	472.00	-
11	महाराष्ट्र	234.00	330.72	245.00
12	मणिपुर	-	-	-
13	मेघालय	92..00	77.00	-
14	ओडिशा	225.00	315.00	233.00
15	राजस्थान	42.00	29.28	
16	त्रिपुरा	71.00	38.00	28.00
17	पश्चिम बंगाल	145.00	170.00	126.00
18	मिजोरम	**-**	**-**	24.00
	कुल	**1500.00**	**2000.00**	**1156.00**

अध्याय 11

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.)/ गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका

11.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अत्यधिक लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को सरकार की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने और निरंतरता बनाए रखने की बेहतर स्थिति में होते हैं। इसका श्रेय मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों की कर्मठता और समर्पित मानव संसाधनों को जाता है।

11.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

11.3 योजनाओं के पारदर्शी तथा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों की अधिक सहभागिता के साथ कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन एवं उनकी भूमिका

(क) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;
- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;
- (v) आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग: सदस्य सचिव या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान।

(ख) राज्य समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।

(ग) राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

(घ) प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

(i) सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही है;

(ii) सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;

(iii) परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;

(iv) आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;

(v) कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(vi) लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिएं;

(vii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, निगरानी इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;

(viii) प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;

(ix) ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता परक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;

(x) नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

11.4 स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए): मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों का पता लगाएं जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन के रूप में घोषित संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।

4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

11.5 मंत्रालय की चार चल रही योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग भी शामिल है, के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और अवसंरचना के सुधार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की पूर्ववर्ती स्कीम।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के रूप में ज्ञात) (एनजीओ घटक)

अनुसूचित जनजातियों हेतु कोचिंग तथा अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना

11.6 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा अवसंरचना योजनाओं में सुधार के लिए एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन योजना के साथ मिला दिया गया था तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और अवसंरचना में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन सहित अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की अम्ब्रेला योजना तैयार की गई थी। इस योजना को वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। संशोधित आवेदन पत्रों इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.7 उद्देश्य : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

11.8 प्रक्रिया एवं वित्त पोषण : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संस्तुत आवेदन (संशोधित निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है।

सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

11.9 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19(क)' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

11.10 अनुदान प्रतिवर्ष सामान्यतया दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

11.11 गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के अलावा वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पेशेवर अभिज्ञात एजेंसियों के माध्यम से स्वतंत्र मॉनीटरिंग रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए प्रयासों की पहल की है।

11.12 योजना का निष्पादन : 11वीं योजना अवधि के लिए योजना हेतु परिव्यय 300.00 करोड़ रुपये है। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक) इस योजना के तहत वार्षिक आबंटन तथा खर्च पिछले दो वर्षों में आबंटन एवं खर्च के साथ **तालिका 11.1** में दिया गया है:

तालिका 11.1: वर्ष 2012-13 तथा पिछले दो वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आबंटन*		व्यय*
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2010-11	55.00	60.00**	54.12
2011-12	60.00	60.00**	53.98
2012-13 (31.12.2012 तक)	60.00	60.00**	10.38

* इस राशि में अवसंरचना में सुधार और अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु गैर सरकारी संगठनों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान शामिल है।

** पूर्वोत्तर पूल की निधियां शामिल हैं।

11.13 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य-श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैश केन्द्र
11. स्वास्थ्य रोकथाम एवं स्वच्छता कार्यक्रम

12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण
14. पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप की 15 जनजातीय बालिकाओं को प्रायोजित करना
15. रोजगार वाले शिल्पों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
16. वृद्ध आश्रम
17. जागरूकता के प्रसार में स्कूल के बच्चों को शामिल करना
18. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

11.14 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय विद्यालय परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट/बाथरूम सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

11.15 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान 8 राज्यों में 17 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 2650 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं तथा इन्हें निधियां प्रदान की गई हैं।

गैर-आवासीय विद्यालय

11.16 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

11.17 वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान 2 राज्यों में संचालित 64 गैर-आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 8292 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

11.18 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

11.19 वर्ष 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक) 7 राज्यों में 12 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया जिनसे 1615 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

सचल औषधालय

11.20 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

11.21 वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान 7 राज्यों मे 21 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 1,35,559 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

11.22 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

11.23 वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान 4 राज्यों में दस बिस्तरों वाले 6 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई, जिनसे 1,12,688 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

11.24 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

11.25 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक 3 राज्यों में 5 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को निधिपोषित किया गया जिससे 255 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

11.26 वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक : 11-क** में दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

11.27 अनुसूचित जनजातियों को कोचिंग (पूर्ववर्ती कोचिंग और संबद्ध) योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है। संशोधित आवेदन-पत्र इत्यादि सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.28 उद्देश्य : वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ पृष्ठभूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। समान अवसर प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें

और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

11.29 कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा ख्यातिप्राप्त निजी कोचिंग संस्थानों जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं, के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं की अपेक्षा गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों की ओर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निधियां प्रति यूनिट आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को 80% सहायता दी जाती है।

11.30 वित्त पोषण में कोचिंग शुल्क, (संकाय के प्रभार सहित) विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता भी शामिल है।

11.31 मुख्य विशेषताएं

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।
- प्रस्तावों की जांच चयन समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में तब तक पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।
- कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की होते हैं। गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में प्रधिमानतः 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिएं।
- कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित प्रपत्र में देने होते हैं।
- प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि उन्होंने इससे पूर्व इस मंत्रालय से सहायता प्राप्त किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठाया है/उठा रहे हैं।
- प्रत्याशी की आय सीमा (अपनी स्वयं की आय और/अथवा माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह 1 हजार रुपये की निश्चित राशि का वजीफा दिया जाता है। बाहरी छात्रों को रहने और भोजन के लिए प्रति छात्र 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।
- राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- कोचिंग संस्थानों को परिणाम घोषित होने तक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा विवरण सहित पाठ्यक्रम वार सूची जमा करानी होती है। कोचिंग संस्थानों को निरंतर सहायता देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

11.32 आबंटन : वर्ष 2012-13 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 4.50 करोड़ रुपये है। इनमें से

वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान 0.14 करोड़ रुपये एक राज्य में चयनित एक पेशेवर कोचिंग संस्थान को जारी किए गए जिससे 80 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

11.33 वर्ष 2012-13 के दौरान (31.12.2012) तक तथा पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यावसायिक कोचिंग संस्थाओं की सूची **अनुलग्नकः 11-ख** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना) :

11.34 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। संशोधित आवेदन-पत्र सहित संशोधित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

11.35 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

11.36 कवरेज :

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

(ख) उपरोक्त 54 अभिज्ञात जिलों की अपेक्षा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी कवर किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को** प्राथमिकता दी जाती है।

11.37 क्रियान्वयन एजेंसी

(क) इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक **"स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति"** (एससीएसवीई) इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

11.38 प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान :

(क) यह लिंग विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित संशोधित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं। संशोधित योजना में निर्धारित

समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति संशोधित योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19(क) के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के धीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह तारीख सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने चिह्नित पेशेवर संगठनों के माध्यम से भी स्वतंत्र निगरानी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रयास किए हैं।

11.39 मुख्य विशेषताएं : जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने तथा सामान्य महिला साक्षरता स्तर तथा जनजातीय महिला साक्षरता स्तर एवं जनजातीय महिला तथा जनजातीय पुरुष साक्षरता स्तर में अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाइयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, ये पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिएं।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं हैं, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

(ज) 54 कम साक्षरता वाले पहचान किए गए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की जाएगी जो एक ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन या गैर-सरकारी संगठनों का संघ होगा तथा यह पहचान किए गए जिलों, ब्लॉकों या पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के शत प्रतिशत नामांकन को प्रोत्साहित करेगा।

11.40 आबंटन : 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु इस योजना के लिए परिव्यय 298.78 करोड़ रुपए है। पिछले दो वर्षो के आबंटनों तथा व्यय सहित चालू वर्ष के दौरान किया गया आबंटन तथा व्यय **तालिका 11.2** में दर्शाया गया है :-

तालिका 11.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2010-11	40.00	39.70	37.56
2011-12	40.00	40.00	31.23
2012-13 (31.12.12 तक)	40.00	14.61	1.41

11.41 उपलब्धि : वर्ष 2012-13 के दौरान, (31.12.2012 तक) 5 शैक्षिक परिसरों के लिए 1.41 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए, जिसमें 2 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 761 लाभार्थी लड़कियों को कवर किया गया।

11.42 इस योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक: 11-ग** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

11.43 इस योजना के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 9 में चर्चा की गई है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया था संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

11.44 वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान इस योजना के तहत सहायता-अनुदान प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची **अनुलग्नक: 11-घ** में दी गई है।

अनुलग्नक:11-क

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान वित्त-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
आंध्र प्रदेश					
1	गुरुकुलाम आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, (एपीटीडब्यूएआरईआईएस) तेलुगू संशक्षैम भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय (18 इकाई)	36184851	0	0
2	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, गड्डामनुगु, जिला : कृष्णा, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	2175295	2180295	0
3	ग्राम अभ्युदय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	2219780	3218940	0
4	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1717660	2949547	0
5	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	563021	1210995	0
6	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गडामनुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	1253250	1856859	0
7	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163-ए, प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2145769	0	0
8	चेतनया एजुकेशनल एण्ड रूरल डिवलपमेंट जिला- कूड्डपाह, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1878412	0
	कुल		46259626	13295048	0
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
9	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	145890	0	0
	कुल		145890	0	0
अरुणाचल प्रदेश					
10	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3878010	3804210	0
11	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, पोस्ट/थाना, बामडिला, जिला - वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2248228	3206943	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
12	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1687815	1687815	0
13	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2 इकाई) आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20 बिस्तरो वाला अस्पताल	9380813	9038813	4519406
14	आर.के.मिशन, पोस्ट-विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास और दृश्य-श्रव्य इकाई	13808590	13392990	0
15	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	7099995	7300288	0
16	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला-तिराप, पिन कोड-786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4584510	4584510	2292255
17	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	0	0	1178550
18	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक+माध्यमिक)	3491865	4188015	0
	कुल		46179826	47203584	7990211
असम					
19	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	0	2056080	0
20	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी), लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल औषधालय	0	625594	0
21	ग्राम विकास परिषद ग्राम- रंगालो, जिला - नौगांव, असम	सचल औषधालय	0	685350	685350
22	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला-नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द	613800	945900	0
23	आर.के. मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय	652727	1309304	0
24	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्टी, चम्साई रोड़, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	1076100	1095750	0
25	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ./जिला-नौगांव, असम	सचल औषधालय	689259	1408200	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
26	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय)का एकक दयानंद सेवाश्रम संघ एनइआई बोकाजन कारबी अंगलॉग, असम, बोकाजन में 2 इकाई, जपारजन तथा दीफू	छात्रावास (4 इकाई)	3097170	3129479	0
	कुल		6129056	11255657	685350
छत्तीसगढ					
27	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	1779877	668790	0
28	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ	आवासीय विद्यालय	1607120	1614871	0
29	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग, दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों और सचल औषधालय	6485432	5879521	0
	कुल		9872429	8163182	0
गुजरात					
30	भारत सेवाश्रम संघ, पोस्ट-डेडियापाडा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	0	1413900	0
31	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (4 ईकाई) सचल पुस्तकालय सह ए.वी. यूनिट	9209878	3999850	0
32	भारत यात्रा केंद्र, डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	2688200	0	0
33	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	1258090	2381580	0
34	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम-धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	3538620	0
35	श्री धाधेला केलवानी मंडल, ग्राम एवं पोस्ट - धाधेला, जिला - दाहोद, गुजरात	छात्रावास	0	1325625	0
36	श्री सदगुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला - वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	0	2980149	0
37	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, मोल्हापंधा, जिला वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	2955534	0	0
	कुल		16111702	15639724	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
हिमाचल प्रदेश					
38	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश,	छात्रावास	1198125	1201675	0
39	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला-कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3605332	3159607	0
40	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3645450	4145635	0
41	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - सिद्धपुर, भाया-डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1219590	1339690	0
42	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	5359000	6300400	0
	कुल		15027497	16147007	0
जम्मू व कश्मीर					
43	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कॉलोनी, जम्मू व कश्मीर	सचल औषधालय	3261420	0	0
44	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम-गुलाबगढ़ पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1989020	0	0
45	लॅमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1673012	1656143	0
	कुल		6923452	1656143	0
झारखंड					
46	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम एवं पोस्ट+जिला - पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	3388945	1057350	1057350
47	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन- 831011, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द, केन और बम्बू, सचल पुस्तकालय सह ए.वी. यूनिट, कताई तथा बुनाई केन्द्र (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	3252866	20532718	0
48	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई तथा कताई प्रशिक्षण केन्द्र	10994167	3720965	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
49	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	1751511	3245892	1268100
50	आर.के. मिशन मठ ग्राम पोस्ट एवं जिला - जामतारा, पिन-815351, झारखंड	सचल औषधालय	918683	563709	280586
51	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय-व-ए वी युनिट	1739484	1791303	0
52	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, सचल औषधालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	4940067	5305731	2680037
53	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	11265962	11826274	5753951
	कुल		38251685	48043942	11040024
कर्नाटक					
54	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के. एच.बी कालोनी जिला- गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	0	1616400
55	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम - पाथापल्ली, तालुका - बागेपल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3320001	0	1609470
56	डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, (आर) नालकुदुर, गोमाला, नालकुदुर, पिन-577544, तालुका - चन्नागिरी, जिला - देवानगिरि, जिला कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1608570	1608570	0
57	डॉ. जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय	500000	1758064	0
58	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम - चिक्काबलपुर जिला - कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	883516	0	685350
59	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि-572132, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर-आवासीय विद्यालय	4929340	2329020	0
60	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिकबालपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	2961360	0	0
61	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड़, जगत, जिला- गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
62	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1483970	1534770	0
63	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	5162580	2515816	0
64	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3218940	0	15760 80
65	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला - मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2) 10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट) और सचल औषधालय	3619454	16663891	0
66	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और आवासीय विद्यालय	9410515	2359598	2358622
	कुल		40324116	30379199	7845922
केरल					
67	मां अमृतानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	1093835	2133896	0
68	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	2195424	2425375	0
69	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पाज़ पूजा, केरल	छात्रावास	0	2645974	0
70	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	5465745	2066993
71	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट-पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	5361525	0	0
72	विनोबा निकेतन पोस्ट - विनोबा निकेतन, जिला-केरल, तिरुअनन्तपुरम	छात्रावास और सचल औषधालय	2226451	2166129	1083065
	कुल		10877235	14837119	3150058
मध्य प्रदेश					
73	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	2020590	0	0
74	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	962490	968490	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
75	बयहर नारी उत्थान सेवा महिला मंडल, बयहर जिला- बेलूरघाट, मध्यप्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	563947	0	0
76	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली -110055 (मुख्यालय) धार, मध्य प्रदेश में परियोजना	आवासीय विद्यालय	0	1228098	1261272
77	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	703872	733593	0
78	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	3340676	1646384	0
79	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला-ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	2368215	0	0
80	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी-537-538 पुष्प नगर कॉलोनी, भोपाल-462010 (मध्य प्रदेश)	गैर-आवासीय विद्यालय	1936980	911004	0
81	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वरयालखेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	962490	965990	0
82	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, म.प्र.	आवासीय विद्यालय, 2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 3 और छात्रावास 2	1454182	916100	0
83	स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैंट रोड़, गुना, म.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	1906913	0	0
84	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (सैकेंडरी)	3400661	0	1708830
	कुल		19621016	7369659	2970102
महाराष्ट्र					
85	देवोनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1561145	0	0
86	धर्मास्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वोरकारी एण्ड विकास शिक्षण संस्था, ग्राम एवं पोस्ट - कारला, जिला - अमरावती, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	1602900	0	0
87	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय और अवासीय विद्यालय	6946290	1620270	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
88	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय	961290	0	0
89	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	3157269	0	0
90	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुका तालोडा, नंदुरबार, (महाराष्ट्र)	छात्रावास	1216290	0	0
91	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेश पुर, जिला धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1614870	1614870	0
92	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंद गांव तालुका नंद गांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1620270	1620270	0
93	उज्ज्वल रूरल डेपलेपमेंट सोसायटी, पोस्ट नवाड़े, तालुका सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	2439180	0	1183580
94	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	1616400	0
95	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	0
96	तापी परिसर एजुकेशन एण्ड कल्चर्ल ट्रस्ट, एटी-नेवाडे, जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1559070	1578570	0
97	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, एटी-दथान, तहसील-अस्थि, जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1609470	3188183
	कुल		25904444	11269320	4371763
मणिपुर					
98	आदिमजाति शिक्षण आश्रम, चिंगमिरोंग खोंगनांग अनिकारक, डीएम रोड, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल, मणिपुर-795001 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर समारक सदन, नई दिल्ली-110055 की इकाइ, इम्फाल मणिपुर की शाखा)	छात्रावास	972198	0	1918535
99	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर	छात्रावास	1762830	0	1748580
100	क्रिश्चन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) ग्रीन हिल्स तामींगलोंग मुख्यालय पिन- 795141	आवासीय विद्यालय	3017250	0	3542940
101	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	2417580	0	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
102	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट)	7438544	2436863	1620270
103	रूरल एजूकेशनल एण्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगेनाइजेशन, थांगा टाँगब्राम, लीकाई, बी पी ओ थांगा,) जिला -विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	2380905	885010	0
104	सियामसिनपाल्पी, पहरे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एसएसएसपी कॉम्पलेक्स बूंगनूअल पोस्ट बॉक्स नं 99 जिला-लमका, पिन-795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	6218685	6235470	0
105	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस,थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	3389040	0	0
106	सोसायटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	1737180	706950	0
107	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	3304890	1881055	0
108	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, वांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	2463390	0	0
109	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस) चिंमटूंग वेंग डोरकास्ट रोड, न्यू लमका,जिला-चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	5018307	1620270	0
	कुल		40120799	13765618	8830325
मेघालय					
110	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	1657730	1658730	829365
111	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/ माध्यमिक विद्यालय, छात्रावास और गैर-आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 2 छात्रावास, 3 सचल औबधालल, सीटीसी, पुस्तकालय, सचल ए-वी-यूनिट, कनई तथा बुनाई	60267890	62596529	28520555

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
मिजोरम					
112	मिजोरम मिथाई एसोसिएशन, अपर रिपपब्लिक रोड, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	1733670	1775790	0
113	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	686166	1291950	0
114	थुकटक ननपुईतु टीम, मुआना वेंघ, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	4656660	0
	कुल		2419836	7724400	0
नागालैंड					
115	दयानंद सेवाश्रम संघ दीमापुर, की एक इकाई नागालैंड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ , 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई, दीमापुर, (मुख्यालय) परियोजना नाहरवाड़ी, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	1531530	777915	0
116	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	1828486	990034	0
	कुल		3360016	1767949	0
दिल्ली					
117	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	0	893745	0
	कुल		0	893745	0
उड़ीसा					
118	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1613346	1611954	0
119	अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास	1185030	1185030	0
120	अरुण इंस्टीटड्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम-अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - देनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1620270	1907340	0
121	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन, दीमापुर, जिला – पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1785997	1825470	0
122	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला-कटक, उड़ीसा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	0	1219590	0
123	भैरवी क्लब, कुमरपाडा, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1610270	1620270	0
124	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादीबसाता बंस्ता, जिला - केन्द्रापारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	3218908	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
125	कलिंगा इंस्टीट्यूट आर्फ सौशल साईंस, (केआईएसएस) कोयल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक और माध्यमिक)	0	80360120	0
126	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	1617525	1617525	0
127	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	2310345	2245095	0
128	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	0	1185030	0
129	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, जिला कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	1793070	1793070	0
130	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास और पुस्तकालय	999765	999765	0
131	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद	1740285	1032898	0
132	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम सारागालांजी, भवानी पटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	701535	706950	0
133	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय) परियोजना(पदवा, जिला कौरापुट), उड़ीसा	उड़ीसा में सचल औषधालय	571910	0	1404062
134	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला- रायगाडा, उड़ीसा	छात्रावास	1212315	0	1214773
135	श्री आर.के.मिशन आश्रम पो.- रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	5649322	7160085	0
136	सोशल वीकर अवेयरनेस डेवलपमेंट एण्ड इकोनॉमिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला - कांधामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1578830	0	0
137	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2065545	2932020	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
138	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	16281487	4756738	0
139	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला - जाजपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	3218940	0
140	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ओडिशा स्टेट ब्रांच, एचआईजी-116, कानक बिहार, फेज-1, पटिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-31 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ल-110055 का एक युनिट)	ओडिशा में 3 छात्रावास, सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर, जिला-मयुरभंज	2407804	1749015	0
141	सोशल बेलफेयर एंड रूरल डवलपमेंट (एसडब्लूएआरडी) बाली जोरांदा, पोस्ट बेनरिया, वाया महीनगढ़ी, जिला-घेनकेनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2008228	2038770	0
	कुल		48752879	124384583	2618835
राजस्थान					
142	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, जिला - टोंक, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	2876020	4815750	0
143	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला - उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1577405	1726897	0
144	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	0
	कुल		6062895	8152117	0
सिक्किम					
145	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन चोगनेई गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	2602665	2559900	0
146	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	3261488	3187133	0
	कुल		5864153	5747033	0
तमिलनाडु					
147	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर, तमिलनाड, पिन-632009	छात्रावास	0	2241628	0
148	ग्राम्या मक्कल अभिविरूधी इयाकम (जीएमएआई) पुनथोटटम, पोस्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10 विस्तरों वाला अस्पताल सचल औशधालय	0	2330550	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
149	साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन, साइदापेट, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	3173440	0	0
	कुल		3173440	4572178	0
त्रिपुरा					
150	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट पोस्ट विष्णुपुर मणिबंकुट स्वरूप, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	3164940	1582470	0
151	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1709430	1715281	0
	कुल		4874370	3297751	0
उत्तर प्रदेश					
152	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र, (मुख्यालय) लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	3918321	1130946	0
153	उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्था, गांव गोबरूला, पोस्ट ध्यानपुर, जिला लखिनपुर खेरी, उत्तर प्रदेश		0	3130832	0
154	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, झंडेवालान क्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय) बलरामपुर और लखीमपुर खेरी में परियोजना	सचल औषधालय और छात्रावास	1564899	4907858	1667387
	कुल		5483220	9169636	1667387
उत्तराखंड					
155	अशोक आश्रम पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	5135048	2492831	2857243
156	महिला ग्रामीण उत्थान समिति, दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिलडुक्री, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	0
157	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	1038990	2098900	0
158	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	1413900	0	0
159	सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) बीजापुर, उत्तराखंड,	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	2136985	2168291	0
	कुल		11334393	8369492	2857243
पश्चिम बंगाल					
160	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	2749454	2749454	3412530

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
161	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए. वी. यूनिट	6919055	6935600	0
162	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	11703366	11633844	0
163	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	3695858	4092957	4449330
164	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	1833300	1829300	0
165	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	3312890	2260980	0
166	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	1443510	0
167	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	540566	901944	0
168	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1682350	1858500	1981800
169	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	1282050	1277050	0
170	भारत सेवाश्रम संघ, ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल (रंग घाट पयराडंगा ब्रोंच) (नादिया),	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	3304982	3510630	3600805
171	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट/जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1460272	1473210	1563210
172	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	706950	706950
173	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	740050	2937149	1981800

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2010-11	2011-12	2012-13 (31/12/2012 तक)
174	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2102200	2368050	0
175	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1185030	1185030	1306530
176	बकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार, स्ट्रीट, कोलकता - 700001, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) गोपी बल्बपुर-2 में परियोजना, जिला पश्चिम मेदिनीपुर	सचल औषधालय	0	685350	0
177	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम- क्रांति, पोस्ट-क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2988630	2978390	0
178	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड, वूमैन वेलफेयर सेंटर, गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2459520	2429520	0
179	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-734318	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1882980	0
180	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट- कोरा चण्डीगढ़, मधयम ग्राम, जिला - नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन-743298	छात्रावास	721755	721755	0
181	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	1704330	1600830	0
	कुल		51092608	57462983	19002955
		कुल योग	526092203	534822328	102380095

अनुलग्नक: 11-क का राज्यवार सारांश

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012)
1	आंध्र प्रदेश	4.63	1.33	0.00
2	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	4.62	4.72	0.80
4	असम	0.61	1.12	0.07
5	छत्तीसगढ	0.99	0.82	0.00
6	गुजरात	1.61	1.56	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	1.5	1.61	0.00
8	झारखण्ड	3.82	4.8	1.10
9	जम्मू और कश्मीर	0.69	0.17	0.00
10	कर्नाटक	4.03	3.03	0.78
11	केरल	1.09	1.48	0.31
12	मध्य प्रदेश	1.95	0.73	0.30
13	महाराष्ट्र	2.59	1.13	0.44
14	मणिपुर	4.01	1.38	0.88
15	मेघालय	6.19	6.43	2.93
16	मिजोरम	0.24	0.77	0.00
17	नागालैण्ड	0.34	0.18	0.00
18	ओडिशा	4.88	12.44	0.26
19	राजस्थान	0.61	0.82	0.00
20	सिक्किम	0.59	0.57	0.00
21	तमिलनाडु	0.32	0.46	0.00
22	त्रिपुरा	0.49	0.33	0.00
23	उत्तराखण्ड	1.13	0.84	0.29
24	उत्तर प्रदेश	0.55	0.92	0.17
25	पश्चिम बंगाल	5.11	5.75	1.90
26	दिल्ली	0	0.09	0.00
	कुल	**52.60**	**53.48**	**10.23**

अनुलग्नक:11-ख

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निर्मुक्त किये गये अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम		2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
1	**दिल्ली**	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिये)	2.81	25.50	0.00
2	**गुजरात**	एमटी एजुकेयर प्रा.लि. 101/102, सत्यम मॉल, नियर कामेश्वर हाई स्कूल, स्टेरेल्लिटी अहमदाबाद-380015	0.00	35.97	0.00
3	**झारखंड**	झारखंड विकास संस्थान, एल-104, अगरोरा हाऊसिंग कालोनी, रांची, झारखंड	12.80	12.62	0.00
		निखिलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (एनएलबीएम), 210, हरिओम टावर सरकुलर रोड, रांची, झारखंड	0.00	5.13	0.00
		हंस स्टडी सेंटर, 76, सर्कुलर रोड़, रांची, झारखंड	13.40	0.00	0.00
4	**केरल**	सेशन ऐकडमी पट्टम, तिरूवनंतपुरम, केरल	0.00	10.32	13.95
5	**महाराष्ट्र**	एमटी ऐजुकेयर प्रा.लि. 2201, दूसरा तल, फ्लाईंग कलर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, एलबीएस क्रॉस रोड के सामने मुलुन्द (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र	0.00	9.80	0.00
6	**मणिपुर**	वालुनटियर्स फॉर, रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वोहरा), हेड ऑफिस लेमडौंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	14.90	0.00	0.00
		कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, एमआई रोड, थाउबाल अचौबा, जिला थाउबाल, मणिपुर	6.10	15.20	0.00
7	**मध्य प्रदेश**	क्रिस्टर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, दूसरा तल, यमनोतरी, अपार्टमेंट, 96, नेहरू कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, पिन-474011, मध्य प्रदेश	42.27	35.14	0.00
		कुन्दन कल्याण समिति (कौटिल्य अकादमी), बिरला नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	13.00	0.00	0.00
		जवाहर लाल नेहरू चेरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट, वी बोरावान, दि कसारवाड, जि. खारगोन, मध्यप्रदेश	9.50	0.00	0.00
8	**उड़ीसा**	सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रेथनिंग टूडेज, इण्डिया (एसडब्लयूओएसटीआई), पोस्ट-झारपोखरिया, जिला-मयूरभंज, उड़ीसा	12.70	0.00	0.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम		2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
9	**राजस्थान**	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चौमु हाऊस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	0.00	25.84	0.00
		उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर-302018, राजस्थान	13.16	10.18	0.00
		बीएल सैनी कोचिंग सैन्टर, टोंकफाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	0.00	50.92	0.00
10	**तमिलनाडु**	एमटी एजुकेयर प्रा.लि., ओल्ड नं. 176, न्यू नं. 212, रामकृष्ण मठ रोड, मनदेवली, चेन्नई, तमिलनाडु	9.80	0.00	0.00
11	**पश्चिम बंगाल**	नार्थ बंगाल सुखन्ता पाल्ली फाउडेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट, एट-पॉडल भवन, शिव मंदिर, पीओ-कदमतला, जिला- दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल	2.30	13.31	0.00
	कुल योग		**152.74**	**249.93**	**13.95**

अनुलग्नक:11-ख का राज्यवार सारांश

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) निजी संस्थाओं/राज्य सरकारों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम		2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
1	दिल्ली		2.81	25.50	0.00
2	गुजरात		0.00	35.97	0.00
3	झारखंड		26.20	17.75	0.00
4	केरल		0.00	10.32	13.95
5	महाराष्ट्र		0.00	9.80	0.00
6	मध्य प्रदेश		64.77	35.14	0.00
7	मणिपुर		21.00	15.20	0.00
8	ओडिशा		12.70	0.00	0.00
9	राजस्थान		13.16	86.94	0.00
10	तमिलनाडु		9.80	0.00	0.00
11	पश्चिम बंगाल		2.30	13.31	0.00
	कुल		**152.74**	**249.93**	**13.95**

अनुलग्नक:11-ग

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निधि पोषित संघ संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) **(31 इकाई)**	159306090	118832038	0
	कुल	159306090	118832038	0
अरुणाचल प्रदेश				
2	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसेंग में परियोजना, जिला–वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश	0	3976457	0
3	विवेकानन्द केन्द्रा विद्यालय अरूणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनाली, ईटानगर-791111, अरूणाचल प्रदेश (सिजोशा, जिला पूर्वी कामेंग, अरूणाचल प्रदेश में परियोजना) छात्रावास परियोजना	750000	0	0
4	विवेकानन्द केंद्रा विद्यालय अरूणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनाली, ईटानगर-791111, अरूणाचल प्रदेश (टाडू डोबी, पोस्ट-जीरो, जिला-लोअर सुबन सीरी में परियोजना) अरूणाचल प्रदेश छात्रावास परियोजना	472500	0	0
	कुल	1222500	3976457	0
छत्तीसगढ़				
5	विवेकानन्द इंस्टीट्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	3491440	3663316	0
	कुल	3491440	3663316	0
गुजरात				
6	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)	1500000	0	0
7	लोक निकेतन, ग्राम/पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकंथा, पिन-385 001, गुजरात	2650773	5791876	0
8	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, पोस्ट-सनाली तालुका-दांता, जिला-बनासकांथा, गुजरात	1204410	2452818	0
	कुल	5355183	8244694	0

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
झारखंड				
9	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	0	1177800	0
10	झारखंड विकास संस्था, एल-104, अरगारा हाउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखंड	2335999	2425000	1846586
	कुल	2335999	3602800	1846586
मध्य प्रदेश				
11	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाइयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	11742275	6655148	0
12	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर, जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजना)	2285378	0	0
13	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश	2954200	2954200	0
14	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. (2-शैक्षिक परिसर)	9223300	4611400	0
15	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सतपुरा भवन, भोपाल, म.प्र. (13 परियोजनाएं)	0	30189304	0
16	म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	4542741	2300000	0
17	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, पुष्पा नगर भोपाल, मध्य प्रदेश	4992860	2496430	0
18	पाण्डेय शिक्षा समिति, गांव बाम्राहा, साथा, मध्य प्रदेश	7131000	2121000	0
19	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, जिला- झाबुआ, म.प्र.	2561772	5120944	0
20	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज, अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी, पिन-486661, मध्य प्रदेश	10689078	0	0
21	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	838053	600129	0
22	ग्रामीण सेवा केन्द्र, ग्राम/पोस्ट मंडलीनाथु, तहसील-राणापुर, जिला-झाबुआ, पिन-457993, मध्य प्रदेश	4015758	0	0

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2011 तक)
23	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहदोल, मध्य प्रदेश	15927000	4232000	0
	कुल	76903415	61280555	0
महाराष्ट्र				
24	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	5144400	5159400	0
	कुल	5144400	5159400	0
ओडिशा				
25	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट-करमुल, जिला धेनकनाल, ओडिशा	3681150	3583650	0
26	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा	3002000	3715500	0
27	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, एट/उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामापुर, जिला कटक, पिन-754200, ओडिशा	0	1689728	0
28	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, एट/लिंगराण नगर, पोस्ट-जैयपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा	3712500	0	0
29	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) पोस्ट-जैयपोर, ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	3008828	0	3007646
30	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपोर, जिला-कौरापुट, ओडिशा	2246200	2246200	0
31	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पी.ओ.-संथापुर, जिला-धेनकनाल, ओडिशा	3170150	0	0
32	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (19 परियोजना)	76424178	60000000	0
33	प्रकल्पा, ग्राम/पोस्ट- ज्योतिपुर, तहसील-क्योंझर, ओडिशा	3968420	4454720	0
34	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, ग्राम/पोस्ट-रायगाडा, जिला-रायगाडा, ओडिशा	1398154	1438156	0
35	सेवा समाज, जिला रायगडा, ओडिशा	0	2061027	1841312
36	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, ओडिशा	2751100	3171350	0

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
37	सोसायटी फॉर नेचर, एजूकेशन (एसएनईएच), एण्ड हेल्थ प्लॉट नं.- एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा	6198720	0	5867174
38	श्री रामाकृष्ण आश्रम, ग्राम एवं पोस्ट - बादारोहिला, आंगुल ओडिशा	0	10748900	0
39	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा	0	0	1586638
40	सर्वोदय समिति, ग्राम/पोस्ट कोरापुट: पिन-764020, जिला कोरापुट, ओडिशा	2999100	2999100	0
41	होली होम-डाईनमुडां छाक (महाराष्ट्र), पोस्ट-तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	782164	2560000	0
	कुल	113342664	98668331	12302770
राजस्थान				
42	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	0	1505800	0
43	मेवार शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्टा, पोस्ट- भंडर उदयपुर, राजस्थान	4288047	3244980	0
44	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	4212800	4140800	0
	कुल	8500847	8891580	0
	कुल योग	375602538	312319171	14149356

अनुलग्नक:11-ग का राज्यवार सारांश

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों/ राज्य संचालित स्वायत्त समितियों को निर्मुक्त की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.12 तक)
1	आंध्र प्रदेश	15.93	11.88	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.40	0.00
3	छत्तीसगढ़	0.35	0.37	0.00
4	गुजरात	0.54	0.82	0.00
5	झारखंड	0.23	0.36	0.18
6	मध्य प्रदेश	7.69	6.12	0.00
7	महाराष्ट्र	0.51	0.52	0.00
8	ओडिशा	11.33	9.87	1.23
9	राजस्थान	0.85	0.89	0.00
	कुल	**37.55**	**31.23**	**1.41**

अनुलग्नक:11-घ

जनजातिया क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.2012 तक)
असम				
1	डा. अम्बेडकर मिशन, कामरूप, असम	0	0	4920000
2	ग्राम विकास परिषद, डाकघर-जुमारमुर, जिला-नौगांव, असम	3120000	5620000	0
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीटयूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	0	6240000	0
	कुल	**3120000**	**11860000**	**4920000**
कर्नाटक				
4	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, देवेनगिरि	1108000	2400000	0
	कुल	**1108000**	**2400000**	**0**
मध्य प्रदेश				
5	बंधोवाल शिक्षा समिति, भोपाल	3120000	0	0
	कुल	**3120000**	**0**	**0**
मेघालय				
6	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरिंतिंग, शिलांग - 793021	0	0	4896000
	कुल	**0**	**0**	**4896000**
नागालैंड				
7	विटोले वूमन सोसायटी कोहिमा, नागालैंड	0	3696000	0
8	वूमेन वेलफेयर सोसायटी जून्हेबोटो, नागालैंड	0	0	2496000
	कुल	**0**	**3696000**	**2496000**
तमिलनाडु				
9	भाराथीयार माक्कल नलवालू संघम, 82, सनयासी कुंडु एक्सटेनशन, किचीपालायाम, सलेम-636015	1446000	0	0
	कुल	**1446000**	**0**	**0**
	कुल योग	**8794000**	**17956000**	**12312000**

अनुलग्नक:11-घ का राज्यवार

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक) गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियाँ (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31.12.12 तक)
1	असम	0.31	1.19	0.49
2	गुजरात	0.00	0.24	0.00
3	कर्नाटक	0.11	0.00	0.00
4	मध्य प्रदेश	0.31	0.00	0.00
5	मेघालय	0.00	0.00	0.49
6	नागालैंड	0.00	0.37	0.25
7	तमिलनाडु	0.14	0.00	0.00
	कुल	0.87	1.80	1.23

अध्याय 12

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए कार्यक्रम

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजना (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के रूप में ज्ञात)

12.1 अनुसूचित जनजातियो में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 17 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक: 12-क** पर है। इन समूहों मे से प्रत्येक समूह संख्या में कम हैं और इन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है तथा सामान्यतया उनका वास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार खराब है। इसलिए ये अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक कमजोर समूह बन जाते हैं। अत: इसे प्राथमिकता दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए तथा उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए।

12.2 उद्देश्य : आदिम जनजातीय समूह अत्यंत कमजोर वर्ग है इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता है। 1998-99 में आदिम जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर वर्ष 2008-09 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है। योजना संशोधित की जा रही है तथा यह 01.04.2013 से प्रभावी होगी।

12.3 कार्यक्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात आदिम जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने आदिम जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी, विशेषकर खानाबदोश प्रकार के पीटीजी, के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आदिम जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिदेंशों द्वारा

विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं की समाभिरूपता का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

12.4 योजना (सीसीडी योजनाओं) का कार्यान्वयन: वर्ष 2012-13 के दौरान 31.12.2012 तक दीर्घकालिक "आदिम जनजातियों के लिए संरक्षण-व-विकास (सी.सी.डी.) योजना" के कार्यान्वयन को जारी रखा गया। संरक्षण-व-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पांच वर्षो के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया था और मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी आदिम जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक ही क्षेत्र में दोहरे हस्तक्षेप से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

12.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाओं की जांच करती है। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष।
2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष।
3. सलाहकार, योजना आयोग।
4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. पीटीजी के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण से एक विशेषज्ञ।
6. निदेशक (एसजी-1 और एसजी-2), जनजातीय कार्य मंत्रालय।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य को देख रहे निदेशक/ उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
8. निदेशक/उप-सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव।

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है।

12.6 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेषज्ञ समीति के समक्ष अभ्यावेदन के आधार पर वर्ष 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक) 8 राज्यों अर्थात् आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा को निधियां निर्मुक्त की गई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मणिपुर, उत्तर प्रदेश तथा अंडेमान निकोबार द्वीप समूह प्रक्रियाधीन है।

12.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाए।

12.8 कार्यान्वयन अभिकरण : यह योजना राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से संरक्षण-व-विकास योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

12.9 निधियन प्रतिमान : यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती हैं।

12.10 निगरानी : सीसीडी योजना के कार्यान्वयन को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय निगरानी और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ध्यान केन्द्रित करना

12.11 मंत्रालय ने सभी हितधारियों के संहयोग से समग्र सीसीडी योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पहले ही कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीटीजी समुदायों की आवश्यकताओं तथा वर्तमान योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमियों को घ्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी स्तर के कार्य करने का सुझाव दिया गया है। सीसीडी योजनाओं के परिणामों के अनुवीक्षणीय होने के साथ उपयुक्त कार्यान्वयन अनुसूची होनी चाहिए। योजनाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निम्नलिखित पहलु दर्शाए गए हैं:

- छोटी जनसंख्या वाले पीटीजी तथा वे पीटीजी जिनकी संख्या स्थिर है/घट रही है पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक पीटीजी के विकास का बैंचमार्क निर्धारित किया जाए तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।
- राज्य/केन्द्र की अन्य योजनाओं के अधिकतम लाभों का उपयोग करना तथा निरूपणाधीन योजनाओं में विभिन्न विभागों से समर्थन प्राप्त करना है।
- स्वास्थ्य प्राप्त आय सृजन, शिक्षा तथा शिल्प विकास, आवास, सड़क संपर्क, भूमिहीन को भूमि प्रदान करना, भूमि का विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के केन्द्रित क्षेत्रों पर आवश्यकता आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने के अलावा योजनाओं में प्रबल पोषण पर ध्यान केन्द्रित करना।
- सीसीडी योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए अंत:निर्मित तंत्र निर्दिष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीटीजी की निधियों का विपथण नहीं हो रहा है, विशिष्ट कदम उठाना।

जनश्री बीमा योजना (जे बी वाई)

12.12 मंत्रालय समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार से एक कमाने वाले सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान कर रहा है। जिनके जीवन का बीमा किया गया है उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:-

(i) दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 50,000 रुपये का भुगतान;

(ii) सामान्य मृत्यु की अवस्था में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 20,000 रुपये;

(iii) आंशिक अपंगता की स्थिति में 20,000 रुपये; एवं

(iv) बीमित व्यक्ति के 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों को 300 रुपये प्रति तिमाही शिक्षा अनुदान।

12.13 आबंटन : समग्र 11वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 670.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2012-13 के दौरान आदिम

जनजातीय समूहों के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आबंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आबंटन और व्यय के ब्यौरों सहित **तालिका 12.1** में दिए गए हैं:-

तालिका 12.1 : वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक आबंटन एवं निर्मुक्ति

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2010-11	185.00	244.20	232.44
2011-12	244.00	244.00	231.29
2012-13 (31.12.2012 तक)	244.00	178.50	162.29

पूर्वोत्तर पूल से निधियाँ शामिल हैं।

12.14 वर्ष के दौरान निष्पादन : संरक्षण-व-विकास योजनाओं के आधार पर वर्ष 2012-13 के दौरान 8 राज्यों को 162.29 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-12(ख)** में दिया गया है।

अनुलग्नक : 12-क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी जनसख्या का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. बोण्डो गाडाबा 2. बोण्डा पोरजा 3. चेचूं 4. डोंगरिया खोण्ड 5. गुटोब गाडाबा 6. खोण्ड पोरजा 7. कोलाम 8. कोण्डा रेड्डी 9. कोण्डासवारा 10. कुलिया खोंड 11. पारेंगी पोरोजा 12. थोटी
2	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरजिया 16. हिल खारिया 17. कोरवा 18. मल पहारिया 19. परहइया 20. सौरिया पहारिया 21. सावर
3	गुजरात	22. काथोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिधि 26. कोलघा
4	कर्नाटक	27. जेनू कुरूवा 28. कोरागा
5	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र) 30. कदार 31. कट्टूनायकन 32. कुरूम्बा 33. कोरागा
6	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया 35. बैगा 36. भारिया 37. हिल कोरबा 38. कमार 39. सहरिया 40. बिरहोर

7	महाराष्ट्र	41. कटकारिया(कथोडिया) 42. कोलाम 43. मारिआ गोण्ड
8	मणिपुर	44. मारम नागास
9	ओडिशा	45. बिरहोर 46. बोड़ो 47. डिडाई 48. डोंगरिया खोण्ड 49. जुआंग 50. खारिया 51. कुटिया खोण्ड 52. लानजिया सौराव 53. लोधा 54. मनकिरडिया 55. पौडी भूयान. 56. साउरा 57. चुकतिया भूंजिया
10	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. कट्टूनायकन 60. कोटा 61. कोरूम्बा 62. इरूला 63. पानियान 64. टोडा
12	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा 67. राजी
14	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
15	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. जरावा 73. ओन्गेज 74. सेंटेनली 75. शोम पेन

अनुलग्नक 12-ख

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों के रूप में ज्ञात) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31-12-2012 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31-12-2012 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1) आंध्र प्रदेश सरकार	2292.400	2292.400	2000.000
2	अंडमान और निकोबार	1) अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	184.000	0.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	1) छत्तीसगढ़ सरकार	2244.790	1655.390	2000.000
		2) विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	7.486	0.000	0.000
		3) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	5.330	4.380	0.000
4	गुजरात	1) गुजरात सरकार	0.000	2035.200	700.000
5	झारखंड	1) झारखंड सरकार	0.000	2000.000	0.000
		2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	155.856	363.566	0.000
		3) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर, पश्चिम बंगाल	31.893	38.481	0.000
		4) भारत सेवा आश्रम संघ, बाराजुरी, वाया-घाटशिला, झारखंड	30.932	62.006	0.000
		Bharat Sevashram Sangha, Deogarh, Jharkhand	0.000	6.770	7.070
6	केरल	1) केरल सरकार	0.000	1210.000	0.000
7	कर्नाटक	1) कर्नाटक सरकार	6000.000	1225.608	264.393
		2) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, हंचिपुरा रोड, सारागुर, ताल- एचडी कोटे, मैसूर जिला, 571121, कर्नाटक	0.000	0.000	47.912

क्र. सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31-12-2012 तक)
8	**मध्य प्रदेश**	1) मध्य प्रदेश सरकार	5428.200	6546.320	4350.000
9	**महाराष्ट्र**	1) महाराष्ट्र सरकार	3459.835	0.000	0.000
		2) महारोगी सेवा समिति, बरोरा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमाकक्ष, पीओ-भमरागढ़, जिला-गढ़चिरौरी, पिन-442710, महाराष्ट्र	27.772	0.000	0.000
10	**ओडिशा**	1) ओडिशा सरकार	1226.680	1224.728	3260.000
11	**राजस्थान**	1) राजस्थान सरकार	1280.280	2677.000	1500.000
12	**तमिलनाडु**	1) तमिलनाडु सरकार	476.000	1075.940	1400.000
		2) नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला,	77.581	85.107	0.000
13	**त्रिपुरा**	1) त्रिपुरा सरकार	315.700	627.400	700.000
		कुल योग	**23244.735**	**23130.296**	**16229.374**

अनुलग्नक 12-ख का राज्यवार सारांश

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास के रूप में ज्ञात) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31-12-2012 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को की गई राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11	2011-12	2012-13 (31-12-2012 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2292.440	2292.400	2000.000
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	184.000	0.000	0.000
3	छत्तीसगढ़	2257.606	1659.770	2000.000
4	गुजरात	0.000	2035.200	700.000
5	झारखंड	218.681	2470.823	7.070
6	केरल	0.000	1210.000	0.000
7	कर्नाटक	6000.000	1225.608	312.305
8	मध्य प्रदेश	5428.200	6545.320	4350.000
9	महाराष्ट्र	3487.607	0.000	0.000
10	ओडिशा	1226.680	1224.728	3260.000
11	राजस्थान	1280.280	2677.000	1500.000
12	तमिलनाडु	553.581	1161.047	1400.000
13	त्रिपुरा	315.700	627.400	700.000
14	उत्तराखंड	0.000	0.000	0.000
15	पश्चिम बंगाल	0.000	0.000	0.000
	कुल	23244.775	23129.296	16229.375

अध्याय 13

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

13.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय यह मानता है कि जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान संबंधी, सामाजिक-आर्थिक तथा संबंधित मुद्दों पर निरंतर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा-भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, तथापि जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस प्रकार के अनुसंधानों को एक सीमा तक निधियां देना महत्वपूर्ण मानता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) अन्य कार्यों के साथ-साथ अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों भी कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं: -

(1) राज्य और केन्द्र के मध्य 50 : 50 के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।

(2) अखिल भारतीय स्वरूप अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता। अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता - अनुदान

13.2 इस योजना के अधीन अब तक आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं।

13.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को प्रशासनिक लागतों सहित अपने व्यय पूरे करने के लिए 50% केन्द्रीय हिस्सा तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान निर्मुक्त करता है।

13.4 ये संस्थान राज्य सरकारों को अयोजन संबंधी जानकारी प्रदान करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन करने, आंकड़े एकत्र करने, प्रशिक्षण संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, पारम्परिक कानूनों का आलेखन करने, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करने तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यकलाप संचालित करने में सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं ।

13.5 मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए भी सहायता देता है।

13.6 पूरे देश में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इस समय किए जा रहे सभी कार्यों का कारगर समेकन करने के लिए तथा इस संबंध में नए कार्यकलाप करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की संकल्पना की है। नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थान इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीतिगत निवेश प्रदान करेगा, अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करेगा तथा इन्हें समेकित करेगा तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थान के इस प्रकार के अन्य संबंधित कार्यकलाप, जिन्हें इनके कार्यभार के तहत सम्मिलित किया गया है, को पूरा करेगा। निम्नलिखित तालिका में चुनिंदा नोडल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और इनसे संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को दर्शाया गया है :

नोडल टी आर आई	समूह में अन्य टी आर आई
ओडिशा	आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
महाराष्ट्र	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात
मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान
असम	मणिपुर और त्रिपुरा

जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्यों के कल्याण विभागों को नीतिगत जानकारी प्रदान करना;

(ख) ऐसे अध्ययन और कार्यक्रम बनाना जो जनजातीय व्यक्तियों की जीवन शैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार कर सकें अथवा इनके संबंध में सहायता प्रदान कर सकें;

(ग) जनजातियों की समस्याओं, उनके अकादमिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों के मामलों से संबंधित मुद्दों का मुख्य केन्द्र बनना;

(घ) संबंधित अनुसंधान संस्थानों और संगठनों तथा अकादमिक निकायों के साथ समेकन करना तथा इनके साथ नेटवर्क स्थापित करना;

(ङ) अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट आबंटन 5.00 करोड़ रुपए है जिसकी तुलना में 31.12.2012 तक 3.04 करोड़ रुपए स्वीकृत गए हैं।

अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं

13.7 यह योजना अध्ययन, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों और विकास की योजनाओं/कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्ष 1979-80 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(i) अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं

(iii) जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

13.8 अनुसंधान अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों को अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सहायता दी जाती है। 8-12 माह में पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए अनुसंधान अनुदान सामान्तया अधिकतम 2.50 लाख रुपए है।

13.9 अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने की इच्छुक अनुसंधान संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों को इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है।

13.10 संवीक्षा एवं स्वीकृति : परियोजना/प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है, जिसमें जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है।

13.11 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 30.00 लाख रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 31.12.2012 तक 3.61 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

13.12 संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं के समूह को कार्यशाला/संगोष्ठियां को आयोजित करने के लिए सहायता-अनुदान निर्मुक्त किया जाता है जिससे अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने, जनजातीय समूहों की कला, संस्कृति और परम्परा तथा जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और इनका चयन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों

के अधिकारियों से गठित आंतरिक चयन समिति द्वारा किया जाता है।

13.13 सहायता की प्रमात्रा : संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित प्रतिमान पर अनुदान दिए जाते हैं :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि रु. में
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (अपवादात्मक मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरे अनिवार्य हैं)	1,00,000/-

13.14 अलिखित जनजातीय लोकवार्ताओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानत: उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है।

निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

13.15 इस योजना के अधीन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकासार्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा कराया जाता है तथा मंत्रालय द्वारा 100% अनुदान दिए जाते हैं।

13.16 वर्ष 2012-13 के दौरान 2.00 करोड़ के बजट अनुमान में से 31.12.2012 तक 67.94 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई है। मैसर्स वयाम टैक्नोलॉजी लि0 थापर हाउस, 124, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को 2010-13 की अवधि के लिए परियोजनाओं की स्वतंत्र समवर्ती निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नोडल निगरानी एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया है।

सूचना और मास मीडिया

13.17 जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनकी संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं मंत्रालय की कल्याण योजनाओं सहित जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मिडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है।

13.18 'विज्ञापन और प्रचार' नामक इस उप-योजना के तहत बजट अनुमान 2012-13 के लिए 3.00 करोड़ रुपए की तुलना में 31.12.2012 तक 1.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

जनजातीय त्यौहारों का आयोजन

13.19 'जनजातीय त्यौहारों का आयोजन' की योजना में अनुसूचित जनजातियों में अंतर-निहित प्रतिभा को प्रोत्साहित करके तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके स्थानीय, जिला राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत जनजातीय कलाकारों/लोक कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और जनजातीय कलाओं तथा परम्परागत जनजातीय खेलकूद को संरक्षित रखने, प्रोत्साहित करने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक मेले, त्यौहार तथा खेलकूद प्रतियोगिताएं की जाती हैं।

13.20 इस योजना के तहत जागरूकता पैदा करने, जनजातीय कला और संस्कृति तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तरीके से अभिनिर्धारित तथा तात्कालिक आवश्यकता पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

13.21 इस योजना के तहत जनजातीय सांस्कृतिक त्यौहारों तथा परम्परागत खेलकूद कार्यकलापों इत्यादि को उनके अपने वातावरण में आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन/अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा तथा ओडिशा नामक 4 राज्यों को अपने स्वयं के वातावरण में जनजातीय त्यौहारों को आयोजित करने के लिए निधियां निर्मुक्त कर दी गई हैं।

13.22 जनजातियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से **"जनजातीय त्योहार एवं भारत के जनजातीय खेलकूद"** विषय पर छठवीं राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से, उनकी जीवन शैली का सांस्कृतिक

और प्रतीकात्मक संघटकों को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। जनजातियों के जीवन के असाधारण पहलुओं को खोजने के लिए तथा प्रदर्शन, संप्रेषण और मनोरंजन के कलात्मक रूप में उन्हें सुरक्षित करने के लिए ऐसी फोटो प्रतियोगिताएं सभी शौकीन और जनजातीय फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेंगी।

13.23 जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आयोजित करता है। नृत्य पर्व का उद्देश्य स्पंधित जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना तथा जनजातीय नृत्य एवं संगीत को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करना है।

वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के तहत 1.60 करोड़ रु. के बजट आबंटन में से 31.12.2012 तक 0.37 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार

13.24.1 मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से एक नई योजना "राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार" शुरू की है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार कहा जाता है। जनजातीय जनसंख्या की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जनजातियों के कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां इस तथ्य के कारण भी बहुमूल्य हैं कि प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि उनसे संबंधित व्यक्ति जनजातीय जनसंख्या की भावी पीढ़ियों के आदर्श बन सकें। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने से जनजातीय लोगों की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और समाज की सोच को भारतीय समाज में जनजातीय लोगों की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तित किया जा सकेगा। इस प्रकार की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय कर्त्ताओं जनजातीय पुरस्कारों की शुरूआत की गई है। पात्र उपलब्धिकर्ताओं के चयन को सरल बनाने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया स्थापित करके योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि-कर्ताओं के नाम वर्ष 2012-13 के दौरान विचार हेतु समय पर भेजे जाएं।

पुरस्कार का स्वरूप

(क) सर्वोत्तम जनजातीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:

इन क्षेत्रों अर्थात (i) खेलकूद, (ii) शिक्षा, (iii) संस्कृति, (iv) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और जैव-विविधता संरक्षण तथा किसी अन्य क्षेत्र में (उत्कृष्ट योगदान) करने के लिए दो पुरस्कार (एक जनजातीय उपलब्धिकर्त्ता महिला के लिए और दूसरा जनजातीय उपलब्धिकर्त्ता पुरुष को दिए जाते हैं।

प्रत्येक पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी प्रदान की जाती है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई अनुकरणीय सामुदायिक सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार :

अलग-अलग व्यक्तियों और संगठनों अर्थात गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों और समुदाय आधारित समूहों द्वारा किसी अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस श्रेणी के नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र तथा ट्राफी होगी।

(ग) सर्वोत्तम कार्य करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार :

सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाली एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के लिए एक पुरस्कार होगा। इस नकद पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्राफी दी जाएगी। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण को पुरस्कार से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामुदायिक परिसम्पत्तियां तैयार करने में करना होगा। पुरस्कार की धनराशि को उनकी किसी स्कीम के तहत उपलब्ध धनराशि अथवा उनकी स्वयं की निधियों में मिलाया जा सकता है।

13.24.2 महिला फ्लाइवेट मुक्केबाजी में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने पर श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम को दिनांक 14 अगस्त, 2012 को 'अशोक' होटल, नई दिल्ली में हुए सम्मान समारोह में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा

10.00 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

श्रीमती एम.सी.मेरीकॉम महिला फ्लाइवेट मुक्केबाजी में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने पर नई दिल्ली में श्री महादेव सिंह खण्डेला, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री की उपस्थिति में माननीय श्री किशोर चन्द्र देव, जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए जिसमें 10.00 लाख रुपये की नकद राशि दी गई।

उत्कृष्ट केन्द्र

13.25 अनुसंधान संस्थान और संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय से देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहें हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सख्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/ संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों को निर्धारित करने के संबंध में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

(ख) बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

(ग) भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

13.26 इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जनजातीय समुदायों से संबंधित गुणवत्तापरक, कार्योन्मुख और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करना है।

13.27 ऐसे कार्यक्षेत्रों जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ जनजातीय लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) अधिकार; अनुसूची v और अनुसूची vi के क्षेत्रों में महिला अधिकार; लघु और बड़ी परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों/जनजातीय क्षेत्रों के विस्थापन, अंतरण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, जनजातीय मुद्दों इत्यादि से संबंधित मामले पर सम्मेलन/ कार्यशालाओं का आयोजन; जनजातीय कलाकृतियों इत्यादि का प्रलेखन शामिल है।

13.28 उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में घोषित संस्थानों/संगठनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। बजट अनुमान 2012-13 में 56.00 लाख रुपये के आबंटन की तुलना में 31.12.2012 तक 48.87 लाख रु. की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान

13.29 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित चल रही योजना में से एक है जिससे एकता की भावना पैदा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों में मेजबान एवं अतिथि के बीच एक-दूसरे की सर्वोत्तम जीवन शैली एवं रीति-रिवाज़ों से परिचित होना तथा ज्ञान में अभिवृद्धि करना है।

जनजातियों द्वारा यात्राओं के आदान-प्रदान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित है :-

1. यात्राओं के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों सहित अनुसूचित जनजातियों को दूसरे राज्यों/जनजातियों के विभिन्न विकास, कल्याण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रथाओं से बेहतर ढंग से सीखने को मिलता है

2. अनुसूचित जनजातियों का अद्यतन कृषि तकनीकों, पशुपालन, गैर-काष्ठीय वनोत्पाद के प्रसंस्करण (एनटीएफपी), लघु उद्योगों इत्यादि से परिचय होता है

3. खेल विकास तथा/अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के माध्यम से जनजातियों में निहित प्रतिभाओं को निखारना एवं संवारना

13.30 इस योजना के अनुसार प्रत्येक समूह में 10 जनजातीय व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक एक समुदाय से 4 जनजातियों एवं स्थानीय निकाय से 5 महिलाएं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति एक यात्रा से अधिक के लिए चुने जाने का पात्र नहीं है। इसके चयन में उच्चविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं जनजातीय अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त जिला परिषदों/ग्राम परिषदों को तरजीह दी जायेगी। सहभागी 3-टीयर ए सी से यात्रा करने के पात्र हैं। आवास और यात्राओं का प्रबंध मेजबान राज्य द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भाग लेने वालों को दैनिक भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है, बशर्ते यह निर्धारित मानकों के अनुसार हो। वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में आवंटन 44.00 लाख रुपये है।

अध्याय 14

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

14.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है।

14.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय ''गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजनाओं के तहत कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय इस विषय पर पूरा ध्यान रखता है कि ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किया जाए और मंत्रालय न पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन को कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित किया है।

14.3 वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 14-(क)** में दर्शाया गया है। यह सूचना नीचे दी गई **आकृति 14 (i)** में भी दी गई है:

आकृति 14 (i): केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

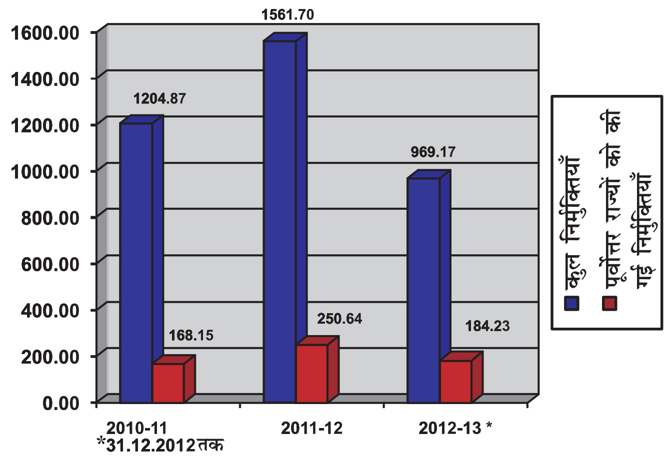

14.4 वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रतिशत प्रवाह को नीचे दी गई आकृति 14(ii) में दर्शाया गया है:

आकृति 14 (ii) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता

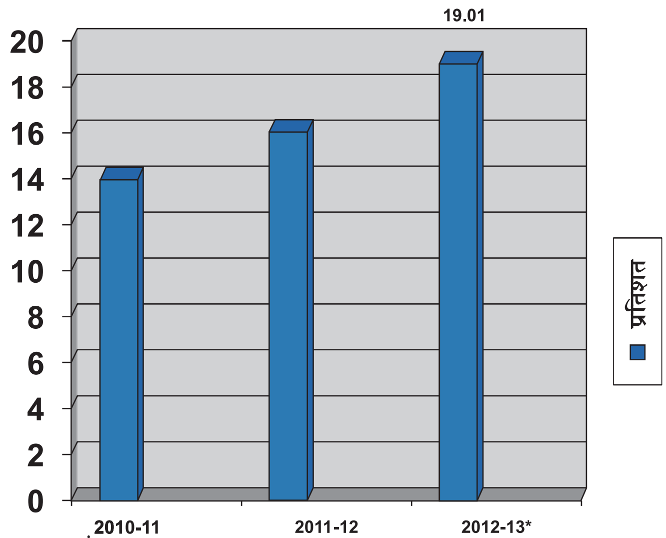

*31.12.2012 तक

14.5 वित्तीय वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के लिए यही आंकड़े **अनुलग्नक 14-ख** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक : 14-क

वर्ष 2010-11 से 2012-13 (31.12.2012) तक के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षवार निर्मुक्तियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2010-11		2011-12 *		2012-13 **	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	496.5230	25.51	530.9975	29.04	305.43	13.42
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	708.3470	142.6379	1030.7048	221.6047	663.74	170.81
	उप जोड़ (I+II)	1204.87	168.1479	1561.70	250.6447	969.17	184.23
	उपर्युक्त I और II के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		13.96		16.05		19.01
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	931.7277	69.35	977.3377	90.7751	811.29	82.96
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	999.8841	117.63	1084.8348	131.0283	753.38	59.14
	कुल (I से V)	3136.4818	355.1279	3623.8748	472.4481	2533.84	326.33
	उपर्युक्त I और V के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		**11.32**		**13.04**		**12.88**

* विनियोजन लेखा स्तर-III के अनुसार

** (31.12.2012 तक)

अनुलग्नक 14-ख

वर्ष 2012-13 (31-12-2012 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल*	अखिल भारतीय स्तर पर निर्मुक्त राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**											
1	कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान	0.06	0.80	0.88	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	10.35	45.12
2	**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण**											
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एनजीओ	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.25	0.00	0.00	1.23	1.23	100.00
3	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00
4	जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
5	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.28	0.52	11.56	4.50
6	**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास**											
	एनजीओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	161.6439	4.33
7	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
8	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
9	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च श्रेणी शिक्षा संस्थान की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00

10	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**											
11	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	34.02	6.33	42.43	17.53	25.44	21.91	4.17	10.39	162.22	483.57	33.55
12	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
13	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.8907	0.00
14	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम की स्थापना की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	36.2759	21.97
15	**अनुसंधान सूचना जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य**											
	अनुसंधान प्रशिक्षण (2225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.29	48.28
	सूचना एवं मास मीडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	उत्कृष्टता केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.90	48.28
	अखिल भारतीय तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	जनजातीय उत्सव का आयोजन	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10			
	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान (3601)	0.2756	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.2756	0.59	46.71
	कुल योग	0.2756	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.6156	2.78	22.1439
16	निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
17	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
C	**विशेष केन्द्रीय सहायता**									0.00		
18	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	46.74	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	4.37	19.55	82.96	811.29	10.23
19	संविधान के अनुछेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान	0.00	0.00	10.31	0.00	8.1075	24.540	2.4360	13.750	59.1435	753.38	7.85
	कुल	**81.5856**	**7.13**	**66.16**	**20.95**	**33.79**	**46.70**	**10.98**	**59.04**	**326.33**	**2533.8405**	**12.88**

अध्याय 15

जेंडर संबंधी मामले

15.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद-भाव के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारी का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

15.2 किसी भी देश के समग्र समाजार्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी आवश्यक है।

15.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति चिंतित है, जो अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और अलग-थलग होने के कारण एक समूह के रूप में कष्ट झेलते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियों का लक्ष्य तद्नुसार, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं, दोनों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तथापि, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अक्सर अधिक नुकसान उठाती हैं। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सामान्य योजनाओं से महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के प्रयास करते समय कुछ विशेष योजनाएं भी बनाई हैं, जो अनुसूचित जनजाति महिलाओं और लड़कियों के आशायित हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए योजना के तहत उपलब्धियों को अनुलग्नक-15क में दर्शाया गया है।

15.4 मंत्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सकें।

15.5 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसका वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया तथा इसका नया नाम "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा

का सुदृढ़ीकरण" रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार 54 चिह्नित किए गए कम साक्षरता वाले जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से या इसके अंशों से कम है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जिन्हें पूर्व में उपर्युक्त चिन्हित किए गए 54 जिलों के अलावा, किसी जिले के अन्य किसी जनजातीय ब्लाक, जहां वर्ष 2001 की जनगणना अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25% या इससे अधिक है और जनजाती महिला साक्षरता दर 35% से कम या इसके अंशों में है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (जिसे पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था) वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिह्नित किए गए जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिम जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100% नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी/संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की परिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ मिडिल/माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है। संशोधित योजना में प्रत्येक कम साक्षरता वाले जिले में जिला शिक्षा सहायता एजेंसी (डीईएसए) की स्थापना की भी अभिकल्पना की गई है जो 100 प्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित करने तथा मॉनीटर, फेसिलिटेटर की भूमिका निभाने तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ सहायता सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

15.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान की योजना के अन्तर्गत निधियां जनजातीय क्षेत्रों को शेष देश के बराबर लाने के लिए वांछित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के सृजन एवं उनके उत्थान हेतु विशिष्ट परियोजनाओं को करने के लिए राज्य सरकार को निर्मुक्त की जाती है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं से संबंधित/प्रभावित करने वाले मुद्दों को परियोजनाओं/योजनाओं की तैयारी में केन्द्रीय स्थान पर रखना चाहिये जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी तथा योजना से कार्यान्वयन तक का स्तर शामिल है। परियोजनाओं को इस प्रकार से नियोजित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण लाभ का कम से कम 30% भाग, लक्षित महिलाओं तक पहुँचे।

15.7 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से आरंभ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा-छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350 रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा-छात्र के लिए

750 रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 रु. वार्षिक की दर से किया जाता है। असहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी विकलांगता की डिग्री के आधार पर 160 रु. से 240 रु. प्रतिमाह की दर से मासिक भत्तों हेतु पात्र हैं। छात्रवृति इन अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

15.8 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाए जा रहे माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशसनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा, (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है। ये छात्रवृत्ति उन अनुसूचित जनजाति के पात्र लड़कों तथा लड़कियों को प्रदान की जाती है जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.00 लाख रू. है।

15.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आय सृजन के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) नामक योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 50,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा लाभार्थियों से 4 प्रतिशत वार्षिक की अत्यधिक रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाता है।

15.10 वर्ष के दौरान एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 22912 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 9 योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। जिसमें एनएसटीएफडीसी का हिस्सा 47.76 करोड़ रु. (31.12.2012 तक) है।

15.11 निगम अन्य आय सृजन योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निगम एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता के तहत और अधिक महिला लाभार्थियों को कवर करने का प्रयास कर रहा है।

15.12 वर्ष 2001-02 में "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान" नामक योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों की यात्रा कर सकें। इसका पूरा व्यय मंत्रालय वहन करता है। योजना के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम पांच महिलाएं सम्मिलित होंगी। इससे उनके संदर्श को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी ।

15.13 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से 2007-08 से 'राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार' नामक एक योजना प्रारम्भ की है। व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत, एक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता महिला होगी।

15.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी कुछ योजनाओं में 50% लड़कियों अथवा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए आशायित होती हैं। एम.फिल एवं पी.एच.डी के लिए राष्ट्रीय राजीव

गांधी अध्येतावृत्ति योजना के अन्तर्गत यूजीसी (जो इस योजन को कार्यन्वित करता है) को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

15.15 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत टी.एस.पी. को एस.सी.ए. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय सृजनकारी गतिविधियों हेतु हैं, दिशा निर्देश अनुबद्ध करते हैं कि निधियों का 30% महिला घटक के लिए रखा जाए तथा इसका खर्च महिला लाभार्थियों की आय सृजन गति विधिनों के लिए किया जाए।

❏

अनुलग्नक:15

वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2012-13 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2012 तक उपलब्ध लक्ष्य
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	23.23	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित राज्य-वार भौतिक परिसंपत्तिया (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	वर्ष के दौरान (31.12.2012 की स्थिति के अनुसार)एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 22912 महिला लाभार्थियो के आर्थिक उत्थान के लिए 47.76 करोड रु. स्वीकृत किए है। इसके अलावा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजनकारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है
2	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता	1200.00 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)	(i) सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या। (ii) घटकवार भौतिक परिसम्पतियां/सृजित अवसर; (क) कृषि/बागवानी-हैक्टेयर में; (ख) वाटरशेड विकास/मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्टेयर में; (ग) पशुपालन-संख्या में; (घ) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसमें वनों का विकास शामिल है- हैक्टेयर में अथवा खरीदे गए लघुवन उत्पादों की प्रमात्रा; (ङ) वन ग्रामों का विकास; (च) उद्यमशीलता का विकास-सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या; (छ) सभी घटकों में कवर की गई महिलाओं का प्रतिशत; लक्ष्य एवं परिणाम राज्यों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के प्रकारों पर निर्भर होंगे और परिणाम सभी परियोजनाओं की स्वीकृति कार्यान्वयन के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं। (क) कृषि/बागवानी-हैक्टेयर में (ख) वाटरशेड मृदा एवं नमी संरक्षण-हैक्ट में विकास/	31.12.2012 की स्थिति के अनुसार टीएसपी को एससीए के अंतर्गत 811.29 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए हैं। इसमें से 243.39 करोड़ रु. दिशानिर्देशों के अधीन महिला लाभार्थियों हेतु खर्च किए जाने के लिए निर्धारित हैं। भौतिक लक्ष्य आकालित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम/योजनाएं परिवारोन्मुख हैं तथा आवंटन आधारित प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान संप्रेषित किए जाते हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित/ जोड़कर तैयार किया जाता है।
3	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजनाएं	748.50	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV पूरा कर लिया है।	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 1862000 प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए 483.43 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए है, जिसमें अध्ययनों के सभी ग्रुपों में 671926 प्रत्याशित महिला लाभार्थियों के लिए 174.21 करोड रू शामिल हैं।

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 2012-13 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2012 तक उपलब्ध लक्ष्य
4	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	78.00	(i) निर्मित छात्रावासों की क्षमता (ii) अधिभोग दर	विभिन्न राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्व-विद्यालयों को 31 महिला छात्रावासों के लिए 59.89 करोड़ रु. का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।
5.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	जनजातीय जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	0.44	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	इस योजना में 10 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह मे कम से कम पांच महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान है। 2012-13 के दौरान अलग-अलग राज्य सरकारों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
6.	अनुसंधान, सूचना और जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार	0.50	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग श्रेणी के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक महिला होनी चाहिए। श्रीमती एम. सी. मैरीकोम द्वारा महिला फ्लाइवेट बॉक्सिंग में आलंपिक कांस्य पदक जीतने पर उनका अभिनंदन किया गया तथा उन्हें 10.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया।
7	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान संबंधी कार्यक्रम	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	1317.00	(i) चूंकि निधियन जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना में अंतराल को भरने के लिए तथा प्रशासन के स्तर सुधार के लिए है, इससे जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की समग्र रूप से प्रगति होगी। तथापि, परियोजनावार परिमाणीकरण सम्भव नहीं है। दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संबंधित मुद्दों पर, आयोजना से कार्यान्वयन स्तर तक महिलाओं की सहभागिता के अधिकारों सहित परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करते समय, ध्यान केंद्रीत होना चाहिए। परियोजनाएं इस प्रकार से नियोजित की जाएं कि महत्वपूर्ण लाभ, कम से कम 30% के अनुपात में, महिलाओं के लिए लक्षित हो। (ii) एकलव्य आदर्श आवासीय (ईएमआरएस)-153 विद्यालय	22 राज्यों में 153 विद्यालय जिसमें से 108 प्रचालन में है (वर्ष 2012-13 के दौरान एक विद्यालय स्वीकृत किया गया है।
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर की पूर्ववर्ती योजना)	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए है। वर्ष 2012-13 के दौरान ल(31.12.2012 तक) शैक्षणिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 761 लड़कियों को कवर किया गया है और 1.41 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।
9.	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	86.00	विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कक्षा 9 तथा 10 पास कर ली है	7.12 लाख प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों को 80.00 करोड़ रु. तक के अनुदान निर्मुक्त किए गए जिसमें 3,51,083 महिला लाभार्थियों के लिए 39.00 करोड़ रु. शामिल हैं।

अध्याय 16

विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

16.1 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

(क) नेत्रहीन अध्येताओं के लिए वाचक भत्ता:

पाठ्यक्रम का स्तर	वाचक भत्ता (रुपये प्रति माह)
समूह-I, II	240
समूह-III	200
समूह-IV	160

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रवास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को (समान अवसर अधिकार और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता, नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग अध्येता दिवा छात्रों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 160 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240 रुपये प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (घ) में प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा उन्नयन:

16.2 जहां कहीं संभव हो, 3% अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त, विकलांग विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

(क) कक्षा 9 से 12 में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रतिमाह का वाचक भत्ता;

(ख) विकलांग विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ता, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। उक्त अधिनियम के अनुसार विकलांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है;

(ग) किसी शैक्षिक संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित विकलांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 150 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत है;

(घ) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से विकलांग दिवा स्कोलर विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह अंगरक्षण भत्ता।

(ख) से (घ) में दिए गए प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त से उपचारित विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

16.3. शारीरिक रुप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

16.4. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

16.5. योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

कक्षा 9 तथा 10 मे पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

16.6 निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत 3,000 रुपये वार्षिक की दर से सहायता, सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकाय के विद्यालयों तथा सरकार द्वारा सहायित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे विकलांग विद्यार्थियों को इसके 'विद्यार्थी उन्मुख घटक' के तहत पहले ही दी जा रही है। तथपि, असहायित विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतः निजी असहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों हेतु पात्र होंगे, जो निम्नानुसार हैः

असहायित विद्यालयों में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपये में)
1) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
2) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अन्दर है, में नहीं रहते हैं।	160
3) गंभीर रुप से विकलांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी।	160
4) सैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रुप से गंभीर विकलांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रवास के किसी कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत है।	160
5) मानसिक रुप से कमजोर तथा मानसिक रुप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

टिप्पणीः विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

एनजीओ की योजनाएं

16.7. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एनजीओ की योजनाओं के तहत तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे एनजीओ को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों में ''अवरोध मुक्त वातावरण'' जैसी सुविधाएं प्रदान करायें। ❑

अध्याय 17
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

पृष्ठ भूमि :

17.1 वन निवासी इस देश के सबसे गरीब लोग हैं। कई जनजातीय लोग तथा अन्य वन समुदायों के लिए वन आजीविका, पहचान, रीति-रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रहे वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि पर कब्जा किए हुए थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

17.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वन क्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रुप से रह रहे हैं, विधायी ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर-अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा आधुनिक नियामक ढांचे की अनभिज्ञता, जिन क्षेत्रों में वे रह रहे हैं तथा जिन पर वे निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकार को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। वन तथा वन भूमि से जनजातीय समुदाय भावनात्मक रुप से तथा वास्तविक रुप से हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शायद कार्यकाल में असुरक्षा की भावना तथा भूमि से बेदखली, जहां वे पीढ़ियों से रहते आ रहे थे तथा संपन्न थे, का डर होगा। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम प्रचालन में आया है।

17.3 अधिनियम वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से आगे जाता है और वन अधिकार धारकों को किसी भी समुदाय के वन स्रोतों की रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंध का भी अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में यह निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में इसे ठीक ही मील का पत्थर कहा गया है। अधिनियम में सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े साकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

17.4 वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:-

(1) अधिनियम की धारा 3 में अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन

अधिकार हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व-कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार है।

(ख) भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त समुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जो भी नाम हो।

(ग) लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

(घ) सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतु या चरवाहा समुदायों के परंपरागत मौसमी संसाधान तक पहुंच।

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमियों पर अधिकार।

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर-सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

(झ) किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, सुधार या संरक्षण का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

(ञ) अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हो या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हो।

(ट) जैव-विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के एक हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

(ड) वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

(1) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

(2) इस अधिनियम की धारा 4(1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है।

(3) अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुनर्स्थापन हेतु प्रावधान है जो विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसी शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकारधारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अनुत्क्रमणीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनर्स्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्यिों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनर्स्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकारधारकों को पुनःस्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए पुनः बदला नहीं जाएगा।

(4) अधिनियम की घारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्यिों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(5) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(6) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधि कार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी भार बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(7) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकता है कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षति पूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार जहां उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(8) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती आवाह क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्यस संवेदनशील पारिस्थकीय क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई

गतिविधि जो जंगली जानवरों और जैव विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, की रोक को संकलित किए जाने को सशक्त करती है।

(9) इस अधिनियम की धारा 6(अध्याय-4) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन टियर संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसुचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारम्भिक प्राधिकरण है। उप-मण्डल स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप-मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों के रिकार्ड पर जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है।

(10) अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

(11) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

(12) धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय-4 में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

(13) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त हेतु किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

17.5 अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति :- 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 32,37,656 है, जिसमें से 27,91,330 दावे निपटा दिए गए हैं और 12,79,076 अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा ने सबसे अधिक अधिकार पत्र जारी किए हैं जिनकी संख्या 3,01,200 है (3,00,321 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 879 सामुदायिक अधिकार पत्र)। महाराष्ट्र का वन क्षेत्र सबसे अधिक है जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल वन क्षेत्र 6,35,915.57 एकड़ है जिसके संबंध में अधिकार पत्र जारी किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

हाल ही में की गई पहलें

17.6 यह अधिनियम चार वर्ष से अधिक समय से प्रचालन में है और इस अधिनियम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों से कारण उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। इसके लागू किए जाने अर्थात जनवरी, 2008 से, 3-स्तरीय संवीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पात्र वन अधिवासियों को बारह लाख उन्यासी हजार से अधिक अधिकार पत्र पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में हुई इस प्रगति के बावजूद, कतिपय अड़चनों के कारण, वन अधिवासियों को इस कानून के प्रत्याशित लाभ सीमित रहे हैं। नियमों में कुछ खामियों के कारण कई प्रचालनात्मक मुद्दें भी मंत्रालय की जानकारी में आए हैं जो इस अधिनियम के अक्षरशः कार्यान्वयन में बाधक रहे थे। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधक कुछेक मुख्य मुद्दे इन बातों से संबंधित हैं: वन अधिवासियों को लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के निर्बाध पूर्ण अधिकार को मान्यता न देना कोई प्रतिबंध लगान, जैसे, लघु वन उत्पादों को लाने-लेजाने के लिए आवजाही परमिट, लघु वन उत्पादों की बिक्री पर फीस, प्रभार, रायल्टी लगाना कतिपय प्रकार के लघु वन उत्पादों को, अधिनियम में प्रदत्त लघु वन उत्पाद की परिभाषा के उल्लंघन में, अलग करना, लघु वन उत्पाद के व्यापार में राज्य एजेंसियों के एकाधिकार को बरकरार रखना, विशेषतः

उच्च मूल के लघु वन उत्पादों के मामले में, यथा, तेंदुपत्ताय कुछ सामुदायिक अधिकारों को मान्यता न देना, जैसे, निस्तार अधिकार, सभी वन गांवों, वनों की पुरानी बस्तियों, सर्वे न किए गए गांवों और अन्य गांवों का राजस्व गांव में परिवर्तन, भले ही वे रिकार्ड में दर्ज अथवा अधिसूचित हों या नहीं इस अधिनियम की धारा 3(1)(i) के तहत बचाव, पुनर्सृजन या संरक्षण, अथवा किसी भी सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता न देना आदि। कई क्षेत्रें में, जनजातीय लोगों और वन अधिवासियों को परेशान करने की सूचना मिली थी और बताया गया कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, उन्हें धमकी दी गई कि उन्हें वन भूमि से अन्यत्र बसाया जाएगा या उनके अधिकारों का निपटारा किए बिना अथवा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे बगैर विकास परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्रें से बेदखल किया जाएगा। कुछ राज्यों में उनके दावों को नामंजूर किया जा रहा था, क्योंकि अधिकारी कुछेक सबूत पेश करने पर जोर डाल रहे थे और केवल 'सैटेलाइट इमेजरी' जैसी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग उनके दावों पर विचार करने के लिए बतौर सबूत किया जा रहा था, बजाए इसके कि इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग दावेदारों के दावों के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत सबूतों को पुख्ता करने के लिए किया जाता। जनता में इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में अपर्याप्त जागरूकता, विशेषत: इस अधिनियम के तहत विहित, प्राधिकारियों के निर्णयों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा याचिकाएं दायर करने संबंध-उपबंध), कार्यान्वयन अधिकारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि भी कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस अधिनियम का अक्षरश: कार्यान्वयन नहीं हो सका।

17.7 उपर्युक्त बातों का समाधान करने और इस अधिनियम का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने कुछ व्यवस्थाएं व उपाय करने के लिए एक प्रयोग किया ताकि इस अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन किया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जुलाई, 2012 में राज्यों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए और 6 सितंबर, 2012 को एफआरए नियमों में संशोधन अधिसूचित किए।

17.8 इस अधिनियम के अर्थनिरूपण में स्पष्टता लाने तथा राज्यों द्वारा इसका कार्यान्वयन युक्ति संगत बनाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय-यूएनडीपी संयुक्त कार्य योजना के तहत यूएनडीपी के सहयोग से रीजनल कंसलटेशंस का आयोजन करके एक गहन प्रयोग किया।

17.9 प्रत्येक रीजनल कंसलटेशन के परिणामत: राज्यों के भागीदारों को परस्पर इकठ्ठा किया गया, जिनमें जनजातीय कार्य मंत्रालय और यूएनडीपी के प्रतिनिधियों के अलावा, राज्य स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव, आयुक्त और जनजातीय कल्याण विभाग के विभागाध्यक्ष, वन राजस्व और पंचायती राज विभागों के प्रतिनिधि, अच्छा काम करने वाले जिलों के जिला समाहर्ता शामिल थे। एफआरए के विशेषज्ञ, इस अधिनियम पर स्पष्टीकरण देने और इसे समझाने के लिए वहां मौजूद थे। इन रीजनल कंटलटेशनों में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इन कंसलटेशनों से इसके भागीदारों को एफआरए के अनेक मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अद्‌भुत अवसर मिला।

17.10 देशभर में आयोजित ये रीजनल कंसलटेशन बेजोड़ और आत्मविश्लेषी थे। इनके माध्यम से यह भी बताया गया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिवासियों और विशेषत: जनजातीय लोगों के लिए एक युगांतारकारी कानून के रूप में एफआरए के कार्यान्वयन को महत्व प्रदान करता है।

17.11 इन क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से राज्यों में एफआरए के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए और अपनी प्रारूप कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी मिला है।

17.12 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने का परिणाम यह रहा कि माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें करीब 20 राज्यों की अंतिम कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय बैठक 3 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान, वन अधिकार नियमों में संशोधन करने के बाद से राज्यों द्वारा एफआरए के

कार्यान्वयन पर की गई प्रगति की समीक्षा के अलावा, राज्यों द्वारा अंतिम कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं।

17.13 एफआरए पर सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय- यूएनडीपी की संयुक्त कार्य योजना के तहत तैयार प्रशिक्षण माडडूल प्रकाशित किया गया है जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन में फ्रंटलाइन स्टफ के लिए उपयोगी होगा।

17.14 इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ख्र यूएनडीपी ने बार-बार पूछे जाने वाले पश्नों ('फ्रीक्वैंटली आस्क्ड क्वेश्चंस) की एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें रीजनल कंसलटेशनों के दौरान उठाए गए कुछेक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है जो अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया, प्रमाण संबंधी अपेक्षाओं, लघु वन उत्पाद पर स्वामित्व, सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार, बेदखली के प्रति संरक्षण, ओटीएफडी की परिभाषा, कस्बे (हेमलेट)/अधिवास (हैबिटेशन) स्तर पर ग्रामसभा का गठन करना, पीटीजी के अधिवास अधिकारों को मान्यता देने आदि से संबंधित है।

प्रगति

17.15 इस मंत्रालय के सतत प्रयासों से यह आशा की जाती है कि सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेषत: सामुदायिक अधिकारों एवं पीटीजी के अधिवास अधिकारों को मान्यता देना, आने वाले वर्षों में जोर पकड़ेगा। राज्य सरकारें, जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से, जमीनी स्तर पर इस ऐतिहासिक अधिनियम का पूरा उद्देश्य हासिल करने के लिए अंतिम कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन एक मिशन के तौर पर करेंगी।

वन अधिकार अधिनियम पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक के दौरान माननीय जनजातीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री तथा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

अनुलग्नक 17

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति (31.12.2012 तक)

क्र. स.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाये गये दावों की कुल संख्या/ प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	3,30,479 (3,23,765 व्यक्तिगत तथा 6,714 सामुदायिक)	1,67,797 (1,65,691 व्यक्तिगत तथा 2,106 सामुदायिक)	1,53,438	3,21,235 (97.20%)
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	1,31,911 (1,26,718 व्यक्तिगत तथा 5,193 सामुदायिक)	36,267 (35,407 व्यक्तिगत तथा 860 सामुदायिक)	37,669	73,936 (56.04%)
4.	बिहार	2,930	28	1,644	1,672 (57.06%)
5.	छत्तीसगढ़	4,92,068 (4,87,332 व्यक्तिगत तथा 4,736 सामुदायिक)	2,15,443 (2,14,668 व्यक्तिगत तथा 775 सामुदायिक)	2,72,664	4,88,107 (99.19%)
6.	गोवा	-	-	-	-
7.	गुजरात	1,91,592 (1,82,869 व्यक्तिगत तथा 8,723 सामुदायिक)	42,752 (40,994 व्यक्तिगत तथा 1,758 सामुदायिक)	18,399(13,252 व्यक्तिगत तथा 5,142 सामुदायिक)	61,151 (31.91%)
8.	हिमाचल प्रदेश	5,688	7	2,144	2,151 (37.81%)
9.	झारखंड	42,003	15,296	16,958	32,254 (76.78%)
10.	कर्नाटक	1,63,320 (1,60,403 व्यक्तिगत तथा 2,917 सामुदायिक)	6,288(6,235 व्यक्तिगत तथा 53 सामुदायिक)	1,55,417 (1,53,265 व्यक्तिगत तथा 2152 सामुदायिक)	1,61,705 (99.01%)

क्र. स.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाये गये दावों की कुल संख्या/ प्रतिशत
11.	केरल	37,535 (36,140 व्यक्तिगत तथा 1,395 सामुदायिक)	23,167 (23,163 व्यक्तिगत तथा 4 सामुदायिक	4252	27,419 (73.04%)
12.	मध्य प्रदेश	4,64,623 (4,51,498 व्यक्तिगत तथा 13,125 सामुदायिक)	1,71,673 संवितरित तथा 7,528 अधिकार पत्र संवितरण हेतु तैयार	2,79,503	4,51,176 (97.10%)
13.	महाराष्ट्र	3,44,330 (3,39,289 व्यक्तिगत तथा 5,041 सामुदायिक)	99,368 (98,335 व्यक्तिगत तथा 1,033 सामुदायिक)	2,34,242 (2,32,111 व्यक्तिगत तथा 2,131 सामुदायिक)	3,33,610 (96.88%)
14.	मणिपुर	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-
17.	ओडिशा	5,32,464 (5,29,160 व्यक्तिगत तथा 3,304 सामुदायिक)	3,01,200 संवितरित (3,00,321 व्यक्तिगत तथा 879 सामुदायिक)	1,31,970 (1,31,361 व्यक्तिगत तथा 609 सामुदायिक)	4,33,170 (81.35%)
18.	राजस्थान	64,422 (64,076 व्यक्तिगत तथा 346 सामुदायिक)	32,080 (32,027 व्यक्तिगत तथा 53 सामुदायिक)	30,914	62,994 (97.78%)
19.	सिक्किम	-	-	-	-
20.	तमिलनाडु	21,781 (18,420 व्यक्तिगत तथा 3,361 सामुदायिक)	3,723 अधिकार पत्र तैयार हैं #	-	-
21.	त्रिपुरा	1,82,617 (1,82,340 व्यक्तिगत तथा 277 सामुदायिक)	1,20,473 (1,20,418 व्यक्तिगत तथा 55 सामुदायिक)	21,384 (21,164 व्यक्तिगत तथा 220 सामुदायिक)	1,41,857 (77.68%)
22.	उत्तर प्रदेश	92,433 (91,298 व्यक्तिगत तथा 1,135 सामुदायिक)	17,705 (16,891 व्यक्तिगत तथा 814 सामुदायिक)	73,028	90,733 (98.16%)

क्र. स.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या	संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाये गये दावों की कुल संख्या/ प्रतिशत
23.	उत्तराखंड	182	-	1	1 (0.54 %)
24.	पश्चिम बंगाल	1,37,278 (1,29,454 व्यक्तिगत तथा 7,824 सामुदायिक)	29,532 (29,424 व्यक्तिगत तथा 108 सामुदायिक) तथा 3,288 अधिकार पत्र तैयार है	78,627	1,08,159 (78.78%)
25.	अंडमान तथा निकोवार द्वीप समूह	-	-	-	-
26.	दमन और द्वीप	-	-	-	-
27.	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-
	कुल	32,37,656 (31,73,565 व्यक्तिगत तथा 64,091 सामुदायिक)	12,79,076 संवितरित तथा 14,539 तैयार	15,12,254	27,91,330 (86.21%)

तमिलनाडु में उच्च न्यायालय के प्रतिबंधात्मक आदेश के कारण अधिकार पत्र संवितरित नहीं किये जा सके।

अध्याय 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

18.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पीसी एंड वी अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त सभी आवेदनों तथा फीस के रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टियां करने के बाद, आवेदनों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाता है। मंत्रालय से संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों का विवरण **अनुलग्नकः 18-क तथा 18 ख** में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं को (यथा संशोधित) इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए श्री जगदीश कुमार पोपली, निदेशक (पीएण्डसी) को ''नोडल अधिकारी'' मनोनीत किया गया है।

18.2 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी); और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें इस मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत (दिनांक 1.4.2012 से 31.12.2012 तक) प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नांकित हैं :

'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अधीन प्राप्त आवेदनों की संख्या	–	529
उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या	–	510

❑

अनुलग्नक : 18-क

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं0
1.	श्री असित गोपाल	निदेशक (राज्य अनुदान)	कमरा सं. 401, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाषः 23070508
2.	श्री के. टोथांग	निदेशक (एनजीओ)	कमरा सं. 218-वी, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष : 23383965
3.	श्री जगदीश कुमार पोपली	निदेशक (प्रशासन, पीसीएंडवी तथा रा.भा.)	कमरा सं. 214, डी-विंग, शास्त्री भवन, दिल्ली-110115 दूरभाषः 23073706
4.	सुश्री निवेदिता	उप सचिव (सीपीएण्डआर)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26182429
5.	श्री गोपाल साधवानी	उपसचिव (अनुसंधान एवं मीडिया)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 26182823
6.	सुश्री निवेदिता	उप सचिव (योजना एवं विविध) अतिरिक्त प्रभार	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाषः 26182429
7.	श्री एम. दास	उप सचिव (आईएफडी)	कमरा नं. 216, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाषः 23387397
8.	श्री रूपक चौधरी	उप सचिव (शिक्षा)	कमरा नं. 216-एच, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाषः 23387444
9.	श्रीमती नमिता प्रियदर्शी	निदेशक (सी एंड एल एम)	कमरा सं. 736, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाषः 23073176
10.	श्रीमती हनी सी. एच	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 26182094

***31.12.2012 तक**

अनुलग्नक : 18-ख

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी (अ.प्रा.) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम, पदनाम और पता	दूरभाष संख्या	प्रभाग/अनुभाग
1	श्रीमती सरिता मित्तल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं. 312, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23070672	एकीकृत वित्त प्रभाग (आई एफ डी)
2	डॉ. ए. के. दूबे, संयुक्त सचिव, कमरा सं. 722, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073489	प्रशासन/सामान्य/पीसी एंड वी/आरएंडएम/सीपीएंडआर/एनजीओ
3	डॉ. (श्रीमती) साधना राउत, संयुक्त सचिव, कमरा सं. 741, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383622	राज्य सरकार/एफआरए/शिक्षा
4	श्री शिलादित्य चौधरी, उप-महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा सं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182094	सांख्यिकी

***31.12.2012 तक**

अध्याय 19

विभागीय लेखा संगठन

लेखा संरचना :

19.1 विभाग, अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख हैं।

संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय, जो भुगतान संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है, बजट एवं सभी प्रकार के लेन-देन का संकलन एवं उस पर निगरानी रखता है, के माध्यम से विभाग से संबंधित लेखा मामलों का उत्तरदायित्व प्रधान लेखा कार्यालय का है। लेखा संबंधी कार्यों में बिलों/वाउचरों की पूर्व लेखा परीक्षा, भुगतान की निर्मुक्ति, बजट की उपलब्धता के अनुसार व्यय पर नियंत्रण, मंत्रालय के मासिक लेखे को कम्प्यूटरीकृत करना, विनियोजन लेखे तैयार करना, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, व्यय की प्रगति की निगरानी हेतु सचिव को योजनावार व्यय का विवरण देना, प्राप्ति बजट तैयार करना, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करना, आदि शामिल हैं।

19.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान एवं व्यय की निगरानी का कार्य नई दिल्ली स्थित एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन इस मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय हेतु प्रत्यायित बैंक है।

19.3 लेखे का कम्प्यूटरीकरण

19.3.1 लेखा प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई पहल के कारण उठाया गया जो कॉम्पैक्ट (सीओएमपीएसीटी) पैकेज का कार्यान्वयन है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय के अधिकांश क्रियाकलापों के निष्पादन में भूमिका निभाता है। कॉम्पैक्ट का विकास करने का समग्र उद्देश्य वेतन एवं लेखा कार्यालय में क्रियाकलापों में गति एवं सटीकता लाना है, साथ ही, एक ही डाटा को बार-बार हाथ से लिखने के नियमित कठिन कार्य से निजात दिलाना है। इस पैकेज के माध्यम से कम्प्यूटर समर्थन का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार डाटा एंटर करने पर उसे पुनः किसी अन्य प्रयोजन, यथा मासिक लेखा संकलन अथवा एमआईएस रिपोर्ट बनाने इत्यादि हेतु दोबारा एंटर करने की आवश्यकता न रहे।

इस प्रणाली से न केवल बेहतर लेखा कार्य तथा सूचना प्रबंधन संभव हुआ है बल्कि लेखा सूचनाओं के विश्लेषण में भी इससे सहायता मिली है। बहुत से ऐसे कार्य हैं, विशेषतः लेखा समायोजना जिनमें मानव श्रम की आवश्यकता है। यह पैकेज ऐसे कार्यों में सहायता करने के साथ-साथ इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाने तथा सटीकता में सुधार करता है। यह पैकेज कम्प्यूटरीकृत वैलिडेशन के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण एवं लेखे की सुविधा देता है एवं इस प्रकार लेखे की गुणवत्ता के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल्स यथा पूर्व जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन, का वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने में अभिवृद्धि हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनके विषय में प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नियमित रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एण्ड फाइनांस (आईएनजीएएफ) में भेजा जाता है।

19.4 ई-लेखा

वेतन एवं लेखा कार्यालय वेबसाइट पर दैनिक आधार पर ई-लेखा में बेबसाइट www.cga.nic.in/elekha/elekhahome.asp पर कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड कर रहा है, ताकि प्रधान लेखा कार्यालय एवं महालेखा नियंत्रक विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी कर सके तथा पीएओ के कार्य में पारदर्शिता ला सके।

ई-लेखा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. मंत्रालय के व्यय की स्थिति का दैनिक आधार पर अभिनिश्चयन

2. इससे योजनावार व्यय की और अधिक प्रभावी रूप से निगरानी होती है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ सभी योजनाओं की निगरानी न केवल इस मंत्रालय द्वारा अपितु प्रधानमंत्री कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा ई-लेखा के माध्यम से भी होती है।

3. वेतन एवं लेखा कार्यालय में लंबित बिलों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

19.5 केन्द्रीय योजना स्कीम की निगरानी प्रणाली:

केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, की शुरूआत भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन एन्टीटीज को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिला तथा उपमंडल एवं व्यय स्थानों को निधियों के प्रवाह पर विश्वसनीय डाटा हेतु की गई है। तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी योजना स्कीमों का इस उद्देश्य हेतु विशेष सॉफ्टवेयर, अर्थात् केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली के माध्यम से नक्शा बनाया गया है। इस विभाग के सभी कर्मचारियों को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न संगठनों/इकाइयों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को कोई भी देख सकता है। विभाग ने भी इसे अत्यंत लाभदायक पाया है। इस प्रणाली में नई उपयोगिता विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अनुपयोजित निधियों/अनुदानों को देखने के लिए प्रदान की गई है।

19.6 नई पेंशन योजना:

नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड वेतन सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्सों के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीएल (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

19.7 आंतरिक लेखा परीक्षा:

प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो पारंपरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है, अलग-अलग योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन तथा उसके विषय में अवगत कराने के कार्य में शामिल है। अनुपालन/नियामक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर निम्नांकित पर भी ध्यान देता है:

- सामान्यत: आंतरिक नियंत्रण की औपचारिकता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषत: वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता;

- रिस्क फैक्ट्र्स (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित) की पहचान एवं निगरानी;
- धन की महत्ता के सुनिश्चियन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- सुविधा एवं मध्यावधियों में सुधार लाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली

रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया पैराओं की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है:-		
1.	31.3.2011 तक बकाया पैराओं की सं.	44
2.	2011-2012 के दौरान जोड़े गए पैराओं की सं.	07
3.	2011-12 के दौरान समायोजित पैराओं की संख्या	0
4.	31.3.2012 तक बकाया पैराओं की संख्या	51

19.8 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएन):

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-19क** में दिया गया है।

19.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र:

मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूचित सूचनाओं हेतु एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है।

इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंन्ट्री के चार स्तर हैं। प्रथम स्तर पर मंत्रालय स्वीकृति विवरण एंटर करता है। द्वितीय स्तर पर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी बिलों के विवरण एंटर करते हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ स्तरों पर वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम रूप से बिलों के भुगतान हेतु उसका सत्यापन करते हैं तथा उन्हें स्वीकार करते हैं।

यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्गम निरूपण में उपयोगी होते हैं। साथ ही, मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट में इस सॉफ्टवेयर से लिंक है ताकि ऐसी रिपोर्टों में रूचि रखने वाले लोग इसका अवलोकन कर सकें। इन रिपोर्टों का संक्षिप्त सारांश निम्नांकित है:

रिपोर्टें

1. वर्ष वार सारांश
2. ब्यूरो वार सारांश
3. ब्यूरो प्रभाग वार सारांश
4. ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्ष वार सारांश
5. ब्यूरो डिविजन सैक्शन वर्षवार
6. गारंटी एवं योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थिति का सारांश
7. अनुदान का वर्ष एवं प्रकृति वार सारांश
8. वर्ष, महीना तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
9. वर्ष, राज्य, एवं जिलावार निर्मुक्त, अनुदान का सारांश
10. वर्ष, एवं गारंटीवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
11. वर्ष एवं योजनावार निर्मुक्त अनुदान का सारांश
12. वर्ष स्कीम ग्रारंटी तथा राज्यवार निर्मुक्त अनुदान का सारांश

❑

अनुलग्नक : 19क

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कृत कार्रवाई (एटीएन) टिप्पण की स्थिति

क्र सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर ऑडिट द्वारा जांच के बाद पीएसी को एटीएन सौंपा गया है।	पैराओं/पीए रिपोर्ट के व्योरे, जिन पर एटीएन लंबित है			
			वैसे एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय ने प्रथम बार भी नहीं भेजा।	भेजे गए एटीएन, की संख्या, जिन्हें मंत्रालय को टिप्पणियों सहित वापस किया गया है तथा ऑडिट, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा है।	भेजे गए एटीएन की संख्या किन्तु जिन्हें आडिट द्वारा वेट नहीं किया गया अपनी टिप्पणियों सहित वापस नहीं किया है।	ऑडिट द्वारा अंतिम रूप से जांच किए गए परन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किए गए एटीएन की संख्या
1	1999	...	...	1	...	...
2	2002	...	...	...	...	...
3	2003	...	...	...	...	...
4	2005	...	...	...	...	...
5	2006	...	...	...	...	...
6	2007	...	1	...	...	...
	कुल	...	**1**	**1**	...	...

अध्याय 20

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पताः	शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110 115
वेबसाइट आई डीः	www.tribal.nic.in
जारी करने की तिथिः	फरवरी, 2011
अगली समीक्षाः	फरवरी, 2013

परिदृश्य

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करने और समाप्त करने तथा उनकी जीवन शैली, उनके प्राकृतिक संसाधन आधार पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं संसूचित चुनाव में समर्थ बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक तथा आर्थिक रुप से सशक्त बनाना।

मिशन

भारत सरकार के विभिन्न लाइन मंत्रालयों के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय, बहु आयामी रणनीति के माध्यम से देश में सम्पूर्ण अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये क्षेत्र जो निम्नलिखित हैं:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेपों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी तथा पोषण समर्थन, शिक्षा, आवश्यक शिल्पों के लिए तथा मौसम की परिस्थितियों और अन्य विपत्ति वाली स्थितियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लिए आधारभूत अवसंरचना का पुन:सृजन करना।

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
1.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास!	25	श्री असित गोपाल निदेशक (एसजी)	asitgopal.77@gmail.com	(23070508)	I/II किस्त की स्वीकृति /निर्मुक्ति (जैसा लागू हो)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों संघ राज्य/क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति 3) विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदान जहां उपयोगित प्रमाण पत्र देय नहीं हैं, के लिए व्यय रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र. सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
2.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/गै.स.सं. को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शौक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिककोत्तर स्तर पर छात्रवृतियां	15	श्रीमती नमिता प्रियदर्शी निदेशक (सीएंडएलएम)		(23073176)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						I/II किस्त की स्वीकृति /निर्मुक्ति (जैसा लागू हो)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3) छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक तथा वर्षा जल सन्दोहन प्रणाली के संबंध में सत्यापन की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
3.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/एनजीओ को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी), अत्यन्त कमजोर क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास (ग) मूल्यांकन एवं स्वास्थ्य परियोजनाओं	15	श्री के. टोथांग (निदेशक(एनजीओ)	touthang@nic.in	9971800727	I/II किस्त की स्वीकृति /निर्मुक्ति (जैसा लागू हो) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	सिक्योरिटी बोंड लागू नहीं 1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) लेखों का लेखा परीक्षित विवरण 3) प्रबंधन समिति की सूची 4) स्टाफ सदस्यों की सूची 5) जिला समाहर्ता की जांच रिपोर्ट 6) वार्षिक रिपोर्ट 7) राज्य स्तरीय बहुविषयक समिति की सिफारिशें	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
							8) किराया करार 9) किराया आकलन प्रमाण पत्र 10) सिक्यूरिटि बाण्ड 11) इलेक्ट्रोनिक भुगतान स्वीकार करने के लिए अनुज्ञप्ति पत्र 12) संगठन द्वारा यथा हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ संस्थानों/एनजीओ को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता : क) जनजातीय लोगों से सबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन अध्ययन करना ग) जनजातीय त्यौहारों, दौरों का आदान-प्रदान करना	10	श्री गोपाल साधवानी (उपसचिव) (आर एंड एम)	sadhwani@nic.in	(26182823)	अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
						अनुसूची के अनुसार स्वीकृति जारी करना तथा I, II और III किस्तों की निर्मुक्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
						अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा संवीक्षा एवं चयन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से संगठनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव, वार्षिक रिपोर्टें, लेखा परीक्षित लेखे, ज्ञापन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरी और अंतिम किस्त की निर्मुक्ति, चार्टर्ड एकाउंटेंट से जीएफआर 19क में लेखों के लेखा परीक्षित विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर की जाएगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	निम्नलिखित कार्य के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ तथा राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5	सुश्री निवेदिता उपसचिव (सी पी एंड आर) (एलओ) (पी एंड एम)		(26182428)	स्वीकृति जारी करना तथा I/ II किस्त की निर्मुक्ति (जैसा लागू हो)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
						राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के दस्तावेज/मामले, विधान प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में इन्पुट/ टिप्पणियां प्रदान करना	10	सुश्री निवेदिता उप सचिव (सी पी एंड आर) (एलओ) (पीएंडएम)		(26182428)	संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से नीति दस्तावेजों, विधान	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10	सुश्री निवेदिता उप सचिव (सी पी एंड आर) (एलओ) (पीएंडएम)		(26182428)	संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा अपने विचारों को तैयार करना	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा योजना आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/ पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	श्री जे. के. पोपली, निदेशक (प्रशासन)	jk.popli@nic.in	9868833090 (23073706)	जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						शिकायत की प्राप्ति	समर्थन दस्तावेज/ आदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						आवेदक को उत्तर	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं / कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य सम्पादन	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	एकक	भार	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास	25.0	समय	40	दिन	25.00	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	15.00	मंत्रालय रिकार्ड
3	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (ख) विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों(पीटीजी), अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक कमजोर वर्ग, का सामाजिक आर्थिक विकास	15.0	समय	45	दिन	15.00	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं पर निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन (ग) जनजातीय त्यौहारों, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	5.00	मंत्रालय रिकार्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी	10.0	समय	25	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
7	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास	10.0	समय		दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड
8	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	10.0	समय	30	दिन	10.00	मंत्रालय रिकार्ड

पीड़ा निवारण

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्री जे.के. पोपली, निदेशक	23073706	jk.popli@nic.in	9868833090
2	श्री आर.एस. मीणा, कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	26522652	rsmeena@nic.in	9868100042
3	श्री अनिल पी.सी. रवेन, वरिष्ठ प्रबंधक (परि.) एनएसटीएफडीसी	26712539	raven.oraon@gmail.com	9873015939

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

जिम्मेदारी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

S.No.	Responsibility Centers and Subordinate L Orgnizations	andline Number	Email	Mobile Number	Address
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	26866084			एनसीयूआई बिल्डिग, दूसरा तल, 3–इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110066
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	26712519	gursaroop@yahoo.co.in	9911370094	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा से निर्देशात्मक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण–दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना